वार्षिक रिपोर्ट

1961-62

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

1962

विषय-सूची

अध्याय — पृष्ठ

पहला अध्याय

प्रस्तावना

1. कार्यक्षेत्र और काम संघ सूची मे शामिल विषयो के बारे मे पूरी कार्यकारी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। इस शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयो—बनारस, अलीगढ, दिल्ली और विश्वभारती—और कुछ स्वायत सगठनो अथवा संस्थाओ, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, केन्द्रीय अंग्रेजी सस्थान, हैदराबाद, लक्ष्मीबाई शिक्षा कालेज, ग्वालियर, राष्ट्रीय खेल कूद सस्थान, पटियाला, और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सम्बन्ध मे शिक्षा मत्रालय पर जिम्मेदारी है।

उच्च शिक्षा सस्थाओ मे स्तर निर्धारित करने और उनमे समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध मे भारत सरकार की जो जिम्मेवारी है, उसे शिक्षा मत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिये पूरा करता है। इस आयोग की स्थापना 1953 मे हुई थी। संघीय क्षेत्रो की शिक्षा (तकनीकी शिक्षा को छोडकर) और समाज कल्याण कार्यक्रमों की जिम्मेवारी भी शिक्षा मत्रालय पर ही है। देश के बाकी भाग मे शिक्षा के विकास की सीधी जिम्मेवारी राज्य सरकारो पर है। इसलिए शिक्षा सम्बन्धी विकास के अधिकतर कार्यक्रम आयोजना के राज्य क्षेत्र मे आते है। राज्यक्षेत्र मे सम्मिलित योजनाओं के बारे मे वित्तीय सहायता देने, उनके कार्य का मूल्यांकन करने और विकास प्रायोजनाओ मे समन्वय स्थापित करने का काम भी यह मत्रालय ही करता है। इसके अलावा शिक्षा के सभी क्षेत्रों जैसे प्रारम्भिक, बुनियादी, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, छात्रवृत्तियों, शारीरिक और सामाजिक शिक्षा या हीनांगो की शिक्षा और उनके कल्याण से सम्बन्धित ऐसी अनेक योजनाएँ भी चलाता है जिनको क्रियान्वित तो राज्य सरकारे करती है, किन्तु जिनके लिए वित्तीय सहायता केन्द्र द्वारा दी जाती है। हिन्दी भाषा की समृद्धि और विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्य-भार भी इसी मंत्रालय पर है। संघीय अभिकरण के रूप मे शिक्षा मंत्रालय पर समग्र रूप से सारे देश के लिए शिक्षा सबन्धी सूचनाएँ इकट्ठी करने, सुलभ कराने और उनमे समन्वय स्थापित करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को अमल में लाने की भी जिम्मेदारी है।

2. सगठन : मंत्रालय का सगठन सामने के पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दिखाया गया है :—

आलोच्य वर्ष में मंत्रालय के सघठन में जो प्रमुख परिवर्तन हुए, वे इस प्रकार हैं :—

(1) 1 अप्रैल 1961 से पश्चिमी बंगाल में विस्थापित विद्यार्थियों के कालिजों और

विस्थापित प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य पुनर्वास मंत्रालय से लेकर इस मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

(2) पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों के घर/अस्पताल और बाल-संस्थाओं से सम्बन्धित कार्य पुनर्वास मंत्रालय से लेकर इस मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं।

(3) 11 मई, 1961 से यूनेस्को अनुभाग को एक अलग एकक का रूप दे दिया गया जिससे कि वह यूनेस्को सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय के रूप में काम कर सके और यूनेस्को से सम्बन्धित दूसरे कार्य भी कर सके। "उच्च शिक्षा और यूनेस्को प्रभाग" का नाम बदल कर "विश्वविद्यालय शिक्षा प्रभाग" कर दिया गया है।

(4) 3 जून 1961 को "तिब्बती शरणार्थी बच्चों का शिक्षा एकक" नाम से एक अलग एकक खोला गया। तिब्बत से आए हुए शरणार्थी बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों के लिए इस एकक की स्थापना की गई है।

(5) वैज्ञानिक और तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समन्वय के लिए एक आयोग की स्थापना की गई।

(6) यूनेस्को की सहमति से नई दिल्ली में एशिया के शिक्षा आयोजकों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किया गया। यह केन्द्र शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय के रूप में काम करेगा।

3. **सलाहकार मंडल** अपने काम में सहायता प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कई सलाहकार मंडल नियुक्त किए हैं। वर्ष के शुरू में जितने सलाहकार मंडल थे, वे सब बने रहे और उनके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में एक और सलाहकार मंडल की नियुक्ति की गई। इस मंडल का नाम 'राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा मंडल" है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और राज्य सरकारों को बुनियादी शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सलाह देना है।

आलोच्य वर्ष में सलाहकार मंडलों की जो बैठकें हुईं, उनका विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है।

4. **तीसरी पंचवर्षीय आयोजना** : आलोच्य वर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था और इस वर्ष के दौरान आयोजना में सम्मिलित की गई योजनाओं को अमल में लाने का काम केन्द्र और राज्यों में शुरू किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में केन्द्रीय स्तर पर मंत्रालय की योजनाओं के लिए 7,200 लाख रुपये की राशि नियत की गई है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए रखी गई रकम भी शामिल है। योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट अगले अध्यायों में दी गई है।

राज्यों की शिक्षा आयोजना के लिए (तकनीकी शिक्षा को छोडकर, जो कि वैज्ञानिक अनुसन्धान और सास्कृतिक कार्य मत्रालय के अन्तर्गत है) 34,000 लाख रु० की रकम निर्धारित की गई है। इसका पूरा ब्योरा अनुबन्ध 2 मे दिया गया है।

5. नीचे की सारणी मे पहली और दूसरी पचवर्षीय आयोजना मे स्कूल जाने वाले विभिन्न वयोवर्ग के बच्चों की संख्या और प्रतिशतता तथा तीसरी पचवर्षीय आयोजना के लक्ष्य दिए गए है :—

वर्ष	विभिन्न कक्षाओ मे भर्ती होने वाले छात्रो की सख्या			विभिन्न वयोवर्ग के स्कूल मे पढने वाले बच्चो की सख्या (प्रतिशत मे)		
	1—5	5—7	9—11	6—11	11—14	14—17
			(आंकड़े लाखों में)			
1950-51	1915	312	122	42 6	12.7	5 3
1955-56	2517	429	188	52 9	16·5	7.8
1960-61	3442	635	287	61.3	23·0	11·4
1965-66	4964	975	456	76.4	28 6	15 6

तीसरी पचवर्षीय आयोजना का पहला वर्ष अब समाप्त हो चुका है और राज्य तथा केन्द्र की दूसरे साल की योजनाओ को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अत अब समग्र आयोजना मे निर्धारित लक्ष्यो को ध्यान मे रखते हुए सफलता की गति पर विचा किया जा सकता है। नीचे की सारणी मे प्रथम दो वर्षों की वास्तविक और प्रत्याशित उपलब्धियो का विवरण दिया गया है :—

	विभिन्न कक्षाओ में भर्ती होने वाले छात्रो की सख्या			स्कूल मे पढने वाले विभिन्न वयोवर्गों के बच्चो की सख्या (प्रतिशत मे)		
	1—5	5—8	9—11	6—11	11—14	14—17
1	2	3	4	5	6	7
			(आँकड़े लाखों में)			
1960-61	3442	635	287	61.3	23 0	11 4
1961-62	3797	701	315	65.7	24.3	12 1
1962-63	4160	790	346	70.0	26 2	12.9

दूसरा अध्याय

स्कूली शिक्षा : प्राथमिक, बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा

स्कूली शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। राज्य आयोजनाओ को सहायता देने के लिए बनाई गई सामान्य नीति के अनुसार भारत सरकार राज्य सरकारो की सहायता करती है। वित्तीय सहायता देने के अलावा भारत सरकार मुख्य प्रयोजनाओ के विकास व अनुसन्धान की अभिवृद्धि के लिए केन्द्रीय व केन्द्र द्वारा परिचालित क्षेत्रको मे कुछ एक योजनाओ को क्रियान्वित भी करती है।

2 **प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (वयोवर्ग 6-11 वर्ष)** स्कूली शिक्षा सम्बन्धी जो योजनाएँ तृतीय पचवर्षीय आयोजना मे शामिल की गई है, उनमे सबसे महत्वपूर्ण योजना 6 से 11 वर्ष तक के बच्चो की शिक्षा सबन्धी सुविधाओ का विस्तार करना है। 1961 मे पहली से पाँचवी कक्षा तक भर्ती हुए बच्चो की सख्या 344 2 लाख थी। दूसरे शब्दो में 6 से 11 वर्ष तक के बच्चो की कुल जनसख्या का 61.3 प्रतिशत स्कूलों मे दाखिल था। तृतीय पचवर्षीय आयोजना के दौरान यह विचार है कि 152.2 लाख और बच्चे दाखिल किए जाएँ और पहली से लेकर पाँचवी कक्षा तक दाखिल हुए बच्चो की सख्या बढ़कर 496·4 लाख हो जाए। दूसरे शब्दो मे इस वयोवर्ग के बच्चो की कुल सख्या का 76·4 प्रतिशत स्कूलो मे भर्ती हो जाए।

3. तृतीय पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1961-62 के दौरान इस योजना की प्रगति काफी उत्साहजनक रही है। लोगो ने अपने बच्चो को स्कूल भेजने मे काफी उत्साह दिखाया है और 1961-62 मे प्रत्येक राज्य मे वार्षिक दाखिलो की संख्या उस वर्ष के लिए नियत किए गए लक्ष्य से कही अधिक रही है। मूल रूप से समग्र देश के लिए 1961-62 के दौरान पहली से लेकर पाँचवी कक्षा तक कुल 22·5 लाख बच्चे दाखिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनुमान है कि इस वर्ष मे कुल 35·5 लाख और बच्चे दाखिल कराए जाएगे।

4. अनुमान है कि 1962-63 मे कुल अतिरिक्त दाखिलो की संख्या 35·3 लाख होगी। इस तरह से कुल मिला कर पूरी तृतीय पचवर्षीय आयोजना के लिए निर्धारित 152·2 लाख बच्चों को दाखिल करने के लक्ष्य के मुकाबले में 1962-63 के आखिर तक 71·8 लाख अतिरिक्त बच्चे दाखिल किए जाएँगे। 1961-62 और 1962-63 के दौरान हुए दाखिलों का ब्यौरा अनुबन्ध 3 में दिया गया है।

5. आलोच्य वर्ष के दौरान लगभग सभी राज्यों में दाखिले संबन्धी आन्दोलन आयोजित किए गए और उनका परिणाम भी काफी ठोस रहा है। सहशिक्षा को लोकप्रिय बनाने,अधिक लडकियाँ दाखिल करने और अध्यापिकाओ की सख्या को बढ़ाने के भी प्रयत्न किए गए है। चालू वर्ष के दौरान हुई प्रगति का मुख्य श्रेय इन कार्यक्रमों और लोगों के प्रोत्साहन को ही है।

6. 1961-62 मे जिस गति से शिक्षा का विस्तार हुआ है और 1962-63 मे जिस गति से प्रगति की आशा है, वही गति यदि चलती रही, तो तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के आखिर तक 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चो का दाखिला 80 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। जबकि मूल रूप से 76·4 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7. **मिडिल स्कूल शिक्षा का विस्तार (वयो वर्ग 11-14 वर्ष)**. यद्यपि इस क्षेत्र मे हुए विस्तार की मात्रा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चो के क्षेत्र मे हुए विस्तार की मात्रा के समान नही है, फिर भी 11 से 14 साल तक के बच्चो की शिक्षा मे भी काफी प्रगति हुई है। आशा है कि 1961-62 और 1962-63 मे छठी से आठवी कक्षा तक हुए अतिरिक्त दाखिलो की सख्या क्रमश: 665,000 और 884,000 होगी। इस प्रकार आयोजना के प्रथम दो वर्षो मे छटी से आठवी कक्षा तक 3460000 छात्रो के दाखिलो की जो आशा थी, उसमे 1549000 अतिरिक्त दाखिले हो जाने की उम्मीद है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे जितनी सफलता की आशा की जाती है, वह मूल निर्धारित लक्ष्यो से कुछ अधिक ही होगी।

8. **प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक**. आलोच्य वर्ष मे प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्न जारी रखे गए। कुछ राज्यो मे वेतनमानो मे सुधार किया गया और कुछ अन्य राज्यों मे वेतन और भत्ते मे तदर्थ बढोत्तरी करने की मंजूरी दे दी गई।

9. आलोच्य वर्ष के दौरान प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने त्रिविध लाभ योजना (Triple Benefit Scheme) और गुजरात की सरकार ने स्थानीय प्राधिकारियो के अन्तर्गत काम करने वाले प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए पैंशन योजना चालू की है। अभी तक जिन राज्य सरकारो ने प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको की वृद्धावस्था मे सहायता के लिए कोई योजना नही बनाई है, उनसे शिक्षा मंत्रालय ने सिफारिश की है कि वे इस योजना पर विचार करे।

10. **स्कूल में खाना** : श्रीमती रेणुका रे की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने स्कूल के बच्चो के स्वास्थ्य के विषय मे अपनी रिपोर्ट (जिसमे स्कूल में भोजन देने की व्यवस्था पर भी विचार किया गया है) पेश कर दी है। मत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

आलोच्य वर्ष के दौरान मद्रास, केरल और पंजाब के प्राथमिक स्कूलो मे दोपहर का खाना देने का कार्यक्रम बडे पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। लगभग 6,50,000 बच्चे मद्रास मे, 16,00,000 बच्चे केरल मे और 5,00,000 बच्चे पंजाब मे इस योजना का लाभ उठा रहे है। सरकारी साधनों के पूरक रूप मे सहायता को जुटाना इस योजना का मुख्य अंग है। लोगो ने इसमे काफी उत्साह दिखाया है। खाद्य-सामग्री और दूध देकर केयर (CARE) ने भी इस योजना मे सहायता दी है। प्रसूती और बाल स्वास्थ्य केन्द्रो के अतिरिक्त स्कूलो मे भी दूध देने के लिए यूनिकेफ (UNICEF) की ओर से भी प्रति वर्ष 20 लाख पौंड दूध की सहायता दी जाती है। विचार है कि 1962 63 के दौरान इस कार्यक्रम को बढाकर प्रतिवर्ष 20 लाख बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जाएगी।

11 **प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण :** आलोच्य वर्ष के दौरान प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको के प्रशिक्षण से सम्बन्धित पहले राष्ट्रीय सेमिनार की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। सेमिनार द्वारा की गई सिफारिशो पर अमल किया जा रहा है।

चालू वर्ष के दौरान सामुदायिक विकास के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको के अनुस्थापन का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको को प्रशिक्षित करना है, जिससे कि वे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो मे महत्वपूर्ण भाग ले सकें और प्राथमिक स्कूल समुदाय के प्रमुख केन्द्र बन जाएँ। इस कार्यक्रम के अनुसार अनुस्थापन को प्राथमिक स्कूलों के अध्यापको के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बना दिया जाएगा। इसके लिए समाज शिक्षा आयोजको के प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्राथमिक स्कूलो के अध्यापको की प्रशिक्षण संस्थाओ के प्रिंसिपलो के सेमिनार आयोजित किए गए है और अध्यापकों की प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था के अध्यापको मे से दो-दो को सामुदायिक विकास विषयक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आलोच्य वर्ष के दौरान इन प्रशिक्षण संस्थाओ के लगभग 800 अध्यापकों को सामुदायिक विकास मे अनुस्थापन दिया गया और प्रशिक्षण संस्थाओ के लगभग 500 प्रिंसिपलो ने इन विशेष सेमिनारों मे भाग लिया।

शिक्षा विभागो के निरीक्षण अधिकारियो के लिए भी सामुदायिक विकास कार्य के प्रशिक्षण से सम्बन्धित उचित पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

सामुदायिक विकास सम्बन्धी पुस्तकों को खरीदने के लिए प्राथमिक अध्यापको की प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था को 300 रु० का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य इन संस्थाओ को मुफ्त दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए विशेष पुस्तके भी तैयार की जा रही है। प्राथमिक अध्यापकों की प्रत्येक शिक्षा संस्था मे कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यावहारिक कार्य को भी शुरू करने का विचार है और इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान भी दिए जा रहे हैं।

12. **अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था :** अब तक आन्ध्र प्रदेश,

गुजरात, मध्यप्रदेश, मैसूर और पंजाब राज्यों मे 'दिल्ली अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनिय म' के आधार पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध मे नए कानून बनाए गए है।

13. **केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजनाए** · तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओ के अध्यापकों की प्रशिक्षण सस्थाओं मे विस्तार सेवा केन्द्रो की स्थापना केन्द्रीय योजना के रूप मे की जाएगी। ये केन्द्र मुख्य रूप से माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों मे बनाए गए विस्तार सेवा विभागो के समान ही काम करेंगे। प्रस्ताव है कि शुरू मे 1962-63 के दौरान 30 केन्द्र खोले जाएगे और तृतीय पचवर्षीय आयोजना के अन्त तक यह सख्या बढाकर 60 कर दी जाएगी।

प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के अध्ययन की उन्नति के लिए केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजनाए (जो द्वितीय पचवर्षीय योजना मे शुरू की गई थी) अब राज्य क्षेत्र को सौप दी गई है। हाल ही मे इस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले विज्ञान-परामर्श-दाताओ का प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार मे समस्या की जॉच करने के वाद कार्यक्रम के विस्तार और सुधार सबम्न्धी अनेक सिफारिशे की गई है। मत्रालय इन सिफारिशो पर विचार कर रहा है।

14. **बच्चों की पुस्तकें** . 1954 से भारत सरकार बच्चो की पुस्तको के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित करती आ रही है। आलोच्य वर्ष मे इसी क्रम की सातवीं प्रतियोगिता आयोजित की गई। कुल मिलाकर सब भारतीय भाषाओ की 531 पुस्तकें पान्डुलिपियाँ इस प्रतियोगिता मे आई थी। नियमानुसार जॉच करने के बाद बाल साहित्य समिति ने कुल 28 पुस्तको को 7 इनाम एक-एक हजार रुपए के और 21 इनाम पाँच-पाँच सौ रुपए के दिये। प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि योजना के कार्य को विकेन्द्रित कर दिया जाए और इस योजना को अमल मे लाने के लिए राज्य सरकारो को और अधिक अधिकार दे दिये जाएँ। ये अधिकार आठवी प्रतियोगिता से दिए जाए गे जिसकी घोषणा अभी-अभी की गई है। आँध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल राज्य की सरकारो ने 1961-62 के दौरान साहित्य रचनालयो का प्रस्ताव मान लिया है। इस उद्देश्य लेखको को बच्चों की पुस्तकें लिखने की तकनीक सिखाना है। प्रत्येक रचनालय पर लगभग 10,000 रु० खर्च होंगे।

1926-63 के दौरान लगभग 6 और साहित्य रचनालय बनाने का प्रस्ताव है।

15. **बुनियादी शिक्षा** . बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना मे 2800 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है। सभी प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी पद्धति की अनुस्थापना कराना इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि बुनियादी शिक्षा के वे सब कार्य-कलाप जिनके लिए बड़े पैमाने के व्यय व साज सामान की

आवश्यकता नही है, सभी सामान्य प्राथमिक स्कूलों के अभिन्न अंग बन जाएं। प्रत्येक राज्य मे अनुस्थापन प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और आशा है कि 1962 63के दौरान यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। एक दूसरी योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी पद्धति के अनुरूप बलदने के क्रम को जारी रखना है। आशा की जाती है कि तृतीय पंचवर्षीय आयोजना मे 57,760 स्कूलो को बुनियादी स्कूलो मे बदल दिया जाएगा। नागरिक क्षेत्रो मे भी बुनियादी शिक्षा स्कूल खोले जाने का कार्य आरभ किया जा रहा है। क्योकि अन्ततोगत्वा सभी प्राथमिक स्कूलो को बुनियादी शिक्षा पद्धति अपनानी होगी, इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सोचा गया है कि तृतीय पचवर्षीय आयोजना के अन्त तक प्राथमिक स्कूलो के अध्यापकों के सभी प्रशिक्षण स्कूलो को बुनियादी पद्धति के ढाँचे मे ढाल दिया जाए।

बुनियादी शिक्षा की प्रगति का मूल्याकन करने और केन्द्रीय और राज्य सरकारो को बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम और नीति सम्बन्धी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय-बुनियादी-शिक्षा-मडल की स्थापना की गई है।

16. **लड़कियो और स्त्रियों की शिक्षा :** तृतीय पचवर्षीय आयोजना मे लडकियों की शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। सामान्य शिक्षा के लिए निर्धारित की गई कुल 408,00 लाख रु० को रकम मे से 175,00 लाख रु० की व्यवस्था लडकियों और स्त्रियो की शिक्षा के लिए की गई है। प्रस्ताव है कि तृतीय पचवर्षीय आयोजना के अन्त तक प्राथमिक स्तर पर लडकियो के दाखिलो की संख्या 61·6, मिडिल स्तर पर 16.5 और माध्यमिक स्तर पर 6·9 प्रतिशत हो जाएगी 1961-62 के दाखिलो की सख्या का सिंहावलोकन करने से यह पता चलता है कि यद्यपि सामूहिक विस्तार मूल लक्ष्यो से कही अधिक हुआ है, फिर भी लडकियो के दाखिले मे वृद्धि की रफ्तार सामान्य वृद्धि की रफ्तार से कम रही है। इससे यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे और अधिक गम्भीर प्रयत्न किये जाने चाहिए। यही कारण है कि शैक्षिक प्रचार और प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिकाओं की सख्या को बढाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे है।

आलोच्य वर्ष के दौरान श्रीमती रक्षा सरन की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का पुदर्गठन किया गया। चालू वर्ष के दौरान इस परिषद् की दो बैठकें हुई—एक पुरानी परिषद् की और दूसरी पुनर्गठित परिषद् की।

लडकियो के दाखिलों की संख्या को बढाने के लिए परिषद् द्वारा दिए गए सुझावो के आधार पर (स्त्री) समाज-सेविकाओं के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर समग्र देश मे 17 सेमिनार आयोजित करने का सुझाव दिया गया था जिसमें से 13 सेमिनार चालू वर्ष मे हो चुके है और शेष सेमिनार शीघ्र ही आयोजित किये जायेगे।

17. **अन्य कार्य-क्रम :** स्कूलो की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए पश्चिमी

जर्मनी की सरकार ने एक आधुनिकतम मुद्रालय भेट किया है । प्रेस की स्थापना के लिए जर्मन विशेषज्ञो की सेवाओ की भी व्यवस्था की गयी है। प्रेस किस जगह पर खोली जाए, इस विषय पर मंत्रालय विचार कर रहा है । स्कूली पाठ्य पुस्तको के लिए कागज प्राप्त करने के लिए कई अन्य देशो के साथ समझौता किये गये है । आस्ट्रेलिया की सरकार ने पाच वर्षो मे 10,000 टन कागज भेट करना स्वीकार किया है। स्वीडन की सरकार ने भी हमें प्रतिवर्ष 8,000 टन कागज भेट करने का वचन दिया है । इन देशों से जितना भी कागज प्राप्त होगा, वह राज्य सरकारो को दे दिया जायगा और इससे प्राथमिक कक्षाओ के गरीब और जरूरतमन्द बच्चो को मुफ्त किताबे दी जाएंगी।

18. **माध्यमिक शिक्षा का विस्तार :** आशा की जाती है कि इस तृतीय पचवर्षीय आयोजना के दौरान नवी से दसवी कक्षा तक के दाखिलो की संख्या, जो कि 1961 मे 28·7 लाख थी, सन् 1966 मे 45·6 लाख हो जाएगी । इससे इन कक्षाओ के दाखिलो की सख्या 14 से 17 साल तक की आयु के बच्चो की कुल सख्या का 15 6 प्रतिशत हो जाएगी जो कि 1961 मे केवल 11·4 प्रतिशत थी ।

आयोजना के प्रथम वर्ष मे जितनी सफलता प्राप्त हुई है और द्वितीय वर्ष मे जितनी सफलता पाने की आशा की जाती है, उसका सिंहावलोकन करने से यह पता लगता है कि मूल रूप से निर्धारित किए गए लक्ष्यो से कुछ अधिक ही प्रगति हुई है ।

19. **माध्यमिक शिक्षा का सुधार :** राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए बनाई गई योजनाओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने कुछ कार्यक्रम तो सीधे स्वय आरम्भ किए है और अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से शुरू किए है ।

20. **राज्यों में शैक्षिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन सम्बधी योजनाएं :** अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया था कि सभी पुनर्गठित माध्यमिक स्कूलो मे शैक्षिक और व्यावसायिक पथप्रदर्शन की व्यवस्था की जाए । इसकी शुरूआत द्वितीय पचवर्षीय-आयोजना मे की गई थी और तृतीय पचवर्षीय आयोजना मे इस कार्यक्रम को केन्द्रीय योजना का रूप देकर सुदृढ और विस्तीर्ण बनाने का विचार है । इससे सम्बन्धित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह अमल मे लाने के लिए राज्य सरकारो को भेज दी गई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12 राज्यो मे बनाए गए शैक्षिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन कार्यालयो (ब्यूरो) को सुदृढ बनाना और शेष तीन राज्यो में नए कार्यालयों की स्थापना करना है । इसके अन्तर्गत कुछ बहूद्देश्य स्कूलो मे सलाह-सेवा की भी व्यवस्था की गई है ।

21. **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल :** अजमेर के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल को जिसके नियत्रक अधिकारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा सलाहकार

हैं, पुनर्गठन करके अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का रूप दे दिया गया है। इस मंडल का कार्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित करना होगा। दिल्ली के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलो, निगम के स्कूलो और इमदादी स्कूलो की परीक्षाएं यही बोर्ड लेगा। देश के अन्य माध्यमिक स्कूल भी इस मंडल से सम्बन्ध रख सकते है। इसके साथ ही यह मंडल ऐसे एक से पाठ्यक्रम और माध्यम की व्यवस्था करेगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के बच्चो को जिनकी कि अक्सर एक जगह से दूसरी जगह पर बदली होती रहती है और अन्य ऐसे ही लोगो के बच्चो को असुविधा न हो।

22. **बहूद्देश्य स्कूलों को सुदृढ़ बनाना :** माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या कार्यक्रम की विविधता के प्रसंग मे माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावो में से एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जो कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी की योग्यता, अभिरुचि और वैयक्तिक गुणो के अनुरूप हो। इसके फलस्वरूप बहूद्देश्य स्कूलो की सख्या मे तेजी से वृद्धि हुई है। इन स्कूलों की कार्यविधि में सुधार करने और उसे समेकित करने के लिए तृतीय आयोजना के राज्य क्षेत्र मे योजनाओ की व्यवस्था की गई है। मत्रालय की ओर से राज्य सरकारो को सहायता देने का प्रस्ताव है जिससे कि कुछ चुने हुए स्कूल क्षमता के उच्च स्तर तक पहुँच सके और भावी आयोजनाओ के लिए आदर्श का काम कर सके। इससे सम्बन्धित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और 1963-64 से उसे अमल मे लाया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए कुछ स्कूलो मे विशिष्ट कार्यक्रमो को विकसित करने, टैक्नौलौजी, हस्तकला, कृषि आदि विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रबन्ध करने, और बहूद्देश्य स्कूलो मे पुस्तकालय आदि की सुविधाओ को सुदृढ करने के प्रयत्न किए जाएगे।

23. **केन्द्रीय अंग्रेजी सस्थान, हैदराबाद :** भारतीय शिक्षा संस्थाओ मे विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की पढाई मे सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय अंग्रेजी सस्थान की स्थापना की है। यह संस्थान हैदराबाद मे स्थित है और इसका प्रशासन एक स्वायत्त सगठन के हाथों में है। इस संस्थान के स्थापन और संचालन में ब्रिटिश कौसिल और फौर्ड फाउन्डेशन ने काफी सहायता दी है। इस सस्थान में माध्यमिक स्कूलो, प्रशिक्षण कालेजों और प्रि-यूनिवर्सिटी कक्षाओ के अंग्रेजी के अध्यापको के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते है। इसके साथ ही यहाँ पर विदेशी भाषा के रूप मे अग्रेजी की पढाई से सम्बन्धित समस्याओ पर खोज भी की जाती है। सितम्बर 1961 में सस्थान की पत्रिका (बुलेटिन) का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। प्रि-यूनिवर्सिटी कक्षाओं की अंग्रेजी की पढाई की सामग्री से सम्बन्धित दो पुस्तकें तैयार हो गई है और अप्रैल 1962 तक उनके प्रकाशित हो जाने की आशा है। मई और जून 1961 मे इस संस्था की ओर से श्रीनगर मे दो सेमिनार आयोजित किए गए। पहला सेमिनार शिक्षा निदेशकों और

माध्यमिक शिक्षा मंडलों के अध्यक्षों के लिए था और दूसरा सेमिनार विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापकों और अंग्रेजी अध्ययन मंडलों के अध्यक्षों के लिए आयोजित किया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के अनुरोध पर इस संस्था की ओर से वहाँ के अध्यापकों के लिए पन्द्रह दिन का एक छोटा-सा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया।

एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय और मराठवाडा यूनिवर्सिटी के अनुरोध पर प्रि-यूनिवर्सिटी कक्षाओं के अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए बम्बई और औरंगाबाद संस्थान के अध्यापकों की ओर से चार दिन का एक पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया। अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण पाठ्क्रमों में संस्थान से निकले हुए बहुत से प्रशिक्षितों ने भी भाग लिया। श्रीनगर में हुए दोनों सेमिनारों की रिपोर्ट सभी विश्वविद्यालयों और राज्यों के शिक्षा विभागों के पास भेज दी गई है ताकि वे उसमें दिए गए सुझावों को अमल में लाने पर विचार करें।

10 जुलाई 1961 को छटा नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापकों, कला और विज्ञान के कालेजों के अध्यापकों और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों ने भाग लिया जिनकी संख्या 52 थी। इसके फलस्वरूप इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या 404 तक पहुँच गई है।

संस्थान के कार्यों और उसकी प्रगति का सिंहावलोकन करने के लिए फरवरी 1961 में शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति की स्थापना की। इस समिति ने नौ महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की मुख्य रूप से सिफारिश की इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य मुख्य मुख्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है जिससे कि वे अपने राज्यों में अंग्रेजी की पढाई से सम्बन्धित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने में पूर्ण कुशलता प्राप्त करलें।

24. **स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को सहायता :** शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन सब स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाते हैं जो अपनी वर्तमान सेवाओं में सुधार व विस्तार करने अथवा नई सेवाओं को शुरू करने के लिए किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे 22 संगठनों को और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले 18 संगठनों को क्रमशः 1,27,000 रु० और 2,79,555 रु०की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर. को 35,000 रु० का अनुदान मंजूर किया गया है। इसे 1962-63 के दौरान भी जारी रखने की व्यवस्था की जाएगी।

25. **आर्थिक व्यवस्था :** जिन योजनाओं का इस अध्याय में वर्णन किया गया है, उनके लिए धन की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से की गई है :—

क्रम संख्या	योजना का नाम	1961-62 वर्ष के लिए की गई व्यवस्था	1962-63 के बजट मे की गई व्यवस्था
		Rs.	Rs.
.	प्राथमिक स्कूल के बच्चो के लिए यूनिकेफ (UNICEF) द्वारा दिए जाने वाला दूध का पाउडर, उसके रख रखाव का खर्च		2,00,000
2.	बाल साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता	1,40,000	1,30,000
3.	बच्चों और अध्यापको के लिए साहित्य का निर्माण	60,000	1,85,000
4.	शैक्षिक और व्यावसायिक पथ प्रदर्शन सम्बन्धी योजनाएँ	—	3,00,000
5.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल	—	4,00,000
6.	केन्द्रीय अंग्रेजी सस्थान, हैदराबाद	6,94,700 (7,72,500 +6,00,500)	13,73,000
7.	पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा क्षेत्र के स्वैच्छिक सगठनों को सहायता	3,50,000	3,50,000
8.	माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनो को सहायता	3,50,000	8,00,000

तीसरा अध्याय

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे अलीगढ, बनारस, दिल्ली और विश्वभारती के जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी व्यवस्था का भार भारत सरकार पर है। उच्च शिक्षा मे समन्वय करने तथा उसका स्तर बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी उसी पर है और इसी उद्देश्य से 1953 मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इन सांविधानिक उत्तर-दायित्वो के अलावा भारत सरकार उच्च शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकारो और स्वैच्छिक सस्थाओ को सहायता अनुदान देती है और भारत मे उच्च शिक्षा के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अनेक कार्यक्रम भी चलाती है। वह उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण प्रायागिक प्रायोजनाये भी चलाती है, जिनमे ग्राम-संस्थानो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।

अ—केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2. **दिल्ली विश्वविद्यालय** : आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित मुख्य विकास-कार्य हुए हैं ·

(क) **पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम आरम्भ करना** : पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम चलाने तथा जिन लोगो ने पत्र-व्यवहार के जरिए अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया है उनको उपा-धियाँ अथवा डिप्लोमे प्रदान करने मे दिल्ली विश्वविद्यालय को समर्थ बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 मे सशोधन करने के उद्देश्य से लोक सभा के सामने एक विधेयक रखा गया था और वह ससद् के दोनो सदनो मे पास हो चुका है। यह पाठ्यक्रम 1 फरवरी, 1962 से शुरू कर दिया गया है।

(ख) **नये कालेजों का खोला जाना** : दाखिले की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए जुलाई, 1961 मे दो नए कालेज अर्थात् श्री वेंकटेश्वर-कालेज और डब्ल्यू० ए० एफ० मेमोरियल शिवाजी कालेज खोले गए है।

(ग) **देहली स्कूल आफ सोशल वर्क** : दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको अपने हाथ मे ले लिया है और अप्रैल, 1961 से यह विश्वविद्यालय द्वारा चालित सस्था के रूप में चल रहा है।

(घ) **आधुनिक भारतीय भाषाओं का नया विभाग** : विश्वविद्यालय में आधुनिक भार-

तीय भाषाओं का एक नया विभाग खोला गया है । इसमें बंगाली, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती और मराठी के अध्यापन की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

(ङ) नये पाठ्यक्रम : आलोच्य वर्ष मे विश्वविद्यालय ने ये नए पाठ्यक्रम चालू किए है : (1) स्पेनिश का प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रम (2) गुजराती का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (3)मराठी का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम और (4) अनुवाद (अंग्रेजी-हिन्दी) प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।

3. **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय** आलोच्य वर्ष मे नीचे लिखे मुख्य विकास हुए है —

(क) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाँच समिति अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय जाच समिति ने दिसम्बर 1960 मे अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को दे दी है । इस बीच इसकी सब सिफारिशे विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने मान ली है और यह निश्चित करने के लिए कि वे जल्दी ही कार्यान्वित हो जाएं, उसने एक कार्यान्विति समिति की स्थापना भी की है ।

(ख) मेडीकल कालेज . विश्वविद्यालय की मेडीकल कालेज स्थापित करने की योजना सम्वन्धित अधिकारियों ने मंजूर कर ली है और इसके लिए अध्यादेश भी बना लिए गए है । कालेज के लिए जरूरी पदों की मंजूरी भी दी जा चुकी है ।

(ग) शिक्षा विभाग : अपने नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि के अतिरिक्त इस विभाग ने कक्षाओं के अध्यापकों की सहायता से अंग्रेजी के अध्यापन के विषय मे एक प्रायोजना भी चलाई । इस प्रायोजना का उद्देश्य यह था कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को बदले बिना ही छठी, सातवी और आठवीं कक्षाओं मे अंग्रेजी के अध्यापन की सबसे अच्छी और प्रभावी विधि मालूम की जाए ।

4. **बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय** आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण विकास-कार्य हुए ·

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए दीर्घकालीन विधान . बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 मे और संशोधन करने के लिए लोक सभा मे मई 1961 मे एक विधेयक रखा गया । परन्तु लोक सभा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण और कुछ दूसरी वजहों से इस विधेयक पर विचार न कर सकी ।

(ख) नये विभाग : राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विजीटर की हैसियत से निम्न-लिखित तीन अतिरिक्त विभाग खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है :—

1. भारतीय भाषा विभाग

2. विदेशी भाषा विभाग

3 भू-भौतिकी विभाग

(ग) **नाभिकीय-विज्ञान संस्थान** . नाभिकीय विज्ञान का संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे परमाणु-ऊर्जा आयोग की एक समिति पहले ही विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर चुकी है।

5. **विश्व-भारती** आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित मुख्य विकास-कार्य हुए :—

(क) **विश्वभारती अधिनियम, 1951 में सशोधन** . विश्व-भारती अधिनियम 1951 के कुछ अभाव की पूर्ति के लिए ससद के दोनों सदनो मे एक सशोधन विधेयक पास हो चुका है और उसे राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई है।

(ख) **नए विभाग खोलना/नए पाठ्यक्रम शुरू करना :** शिक्षा समिति (एकेडेमिक कौंसिल) की सिफारिश पर 1961-62 के शैक्षिक वर्ष से तीन नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए है:—

(1) भौतिकी और रसायनशास्त्र के सहायक विषयो के साथ गणित मे बी० एस-सी०, आनर्स ;

(2) प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति मे बी० ए० आनर्स और इतिहास मे एम० ए०। जिन लोगो ने दस वर्ष के स्कूल पाठ्यक्रम को पूरा करके स्कूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है या उसके समकक्ष किसी परीक्षा मे उत्तीर्ण हो चुके है, उनके लिए कला-विषयो का एक वर्ष का पूर्व अध्ययन क्रम जुलाई 1960 से दो वर्षों के लिए शिक्षा भवन मे चालू कर दिया गया है।

(ग) **अध्ययन का पुनर्गठन** :—सगीत और नृत्य के त्रिवर्षीय इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम और इसके बाद दो वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के स्थान पर सगीत भवन में संगीत और नृत्य मे चार वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरभ किया गया।

कला भवन की ललित कला और कलात्मक दस्तकारी के चार वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम और दो वर्ष के प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का फिर से गठन किया गया।

(घ) **चालू और कार्यान्वित की गई प्रायोजनाये** . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जल की व्यवस्था के लिए 18 लाख रुपए की अनुमानित लागत की जो योजना मजूर की थी, उसके काम मे संतोषजनक प्रगति होती रही।

भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मत्रालय ने विश्वविद्यालय को एक गहरा नल-कूप भेट किया जो अन्वेपक नलकूप संगठन द्वारा शाँति निकेतन मे खोदा गया था। इसके फलस्वरूप मई 1961 से यहाँ का जल व्यवस्था-केन्द्र फिर से चालू हो गया है।

रवीन्द्र कला वी थी का जो निर्माण कार्य 1960 के प्रारभ मे शुरू किया गया

था, वह आलोच्य वर्ष मे सतोष-पूर्वक चलता रहा। मई, 1961 मे कवि के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर यह इमारत उपयोग के लिए तैयार थी। हाबी बर्कशाप की इमारत बन गई है और पियर्सन मेमोरियल अस्पताल मे विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है।

आ—अखिल भारतीय महत्व की शिक्षा संस्थायें :—

6. **जामिया मिलिया इस्लामिया :—**जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा सस्था है जिसे केन्द्रीय सरकार से घाटा पूरा करने के आधार पर अनुदान मिलते है। इसमे नर्सरी से लेकर स्नातक स्तर तक शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके अलावा इसमे एक अध्यापक-कालेज और ग्रामीण-संस्थान भी है।

हाल ही मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रशासकीय, और शैक्षिक व्यवस्था का संतोषप्रद प्रबन्ध किये जाने की शर्त पर इस बात के लिए तैयार हो गया है कि पहले जामिया की बी० ए० और बी० एड० उपाधियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दे दी जाए।

7. **उच्च शिक्षा की अखिल भारतीय सस्थाओं को सहायता :** तीसरी पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजनाओ मे शिक्षा मत्रालय ने उच्च शिक्षा की अखिल भारतीय सस्थाओ को सहायता देने की एक योजना शामिल की है। यह योजना द्वितीय पचवर्षीय आयोजना से चल रही है और इसके अनुसार उच्च शिक्षा की उन असबद्ध सस्थाओ को अनुदान दिए जाते है जिनकी सहायता के लिए श्रीमती कमलादेवी की अध्यक्षता मे काम करने वाली सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत सलाहकार समिति ने निम्नलिखित सस्थाओ को सहायता देने की सिफारिश की है —

(1) विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर (राजस्थान)
(2) लोक भारती, सानोसरा (गुजरात)
(3) कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति, लोनावला, पूना (महाराष्ट्र)
(4) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)
(5) काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ० प्र०)
(6) गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार (उ० प्र०)
(7) कन्या गुरुकुल महाविद्यालय. देहरादून (उ० प्र०)
(8) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन (उ० प्र०)
(9) प्राच्य दर्शन संस्थान, वृन्दावन (उ० प्र०)
(10) श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाँडुचेरी।

इनमे से कन्या गुरुकुल, देहरादून, और काशी विद्यापीठ, वाराणसी, को 1961-62 में क्रमश: 53,000 रुपयों और 80,000 रुपयो के अनुदान दिए गए। इसके अलावा मंत्रालय काशी विद्यापीठ को अतिरिक्त कक्षा के कमरे बनाने के लिए 1,00,000, रुपयो का अनावर्ती अनुदान देने के लिए सिद्धान्ततः राजी हो गया है।

8. **भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टीज)**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह मे शिक्षा मत्रालय ने यह घोषणा कर दी है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सस्थान (इडियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज), नई दिल्ली, जो उच्च शिक्षा की एक सस्था है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक विश्वविद्यालय माना जाएगा।

9. **गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय :** मत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस सलाह पर विचार कर रहा है कि गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक यूनिवर्सिटी मान लिया जाए।

10. **काशी विद्यापीठ** काशी विद्यापीठ, वाराणसी, की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने और सरकार को यह रिपोर्ट देने के लिए कि उसे राष्ट्रीय महत्त्व की सस्था घोषित करना वाँछनीय है अथवा नही, श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता मे एक निरीक्षण समिति नियुक्ति की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस पर विचार कर रहा है।

11. **गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद :** भारत सरकार ने इस संस्था के लिए डा० एम० एस० मेहता, उप-कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, की अध्यक्षता मे एक निरीक्षण समिति बनाई है। इस समिति के विचारार्थ विषय वही है जो काशी विद्यापीठ की समिति के है। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उस पर विचार हो रहा है।

12. **गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार :** 1961-62 और 1962-63 के लिए अथवा उस समय तक के लिए जब तक कि गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार, की हैसियत विश्वविद्यालय की नही हो जाती, भारत सरकार ने इस सस्था के लिए 1,11,200 रुपयो का सालाना अनुरक्षण-अनुदान निश्चित कर दिया है।

13. **श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र के डिप्लोमा की मान्यता से सम्बन्धित समिति :** श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डुचेरी, के डिप्लोमो को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से गृह मत्रालय इस केन्द्र के 'उच्च पाठ्यक्रम' को केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए बी० ए०, बी० एस० सी० डिग्रियो के बराबर मान लेने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

इ—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:—

14. आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों तथा राज्य विश्वविद्यालयो के प्रतिनिधियो की अनेक बैठके यह पता लगाने के लिए आयोजित की गई कि उचित आकार की विकास योजनाओ को कैसे सर्वोत्तम ढग से कार्यान्वित किया जाए। निम्नलिखित योजनाओ के सम्बन्ध मे निश्चय कर लिया गया है —

(क) विक्रम, मैसूर, उत्कल, मराठवाड़ा और जबलपुर विश्वविद्यालयो तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर के पुस्तकालयो की इमारतें 55 लाख रुपयों की लागत से बनाने की मंजूरी दे दी गई है,

(ख) पाण्डुलिपियों का संग्रह, परिरक्षण और उपयोग करने के बारे में सहायता देने के लिए अलीगढ़, बड़ौदा, कलकत्ता, गुजरात, केरल, मैसूर, उस्मानिया, पजाब, और संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को चुना गया है,

(ग) मानव विद्या और विज्ञान, दोनों में ही अध्यापन और अनुसंधान की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से पुस्तकालय के लिए पुस्तके और पत्र-पत्रिकायें खरीदने और पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालय बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था की गई ;

(घ) अध्यापन और अनुसंधान की सामान्य आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए जो वैज्ञानिक उपकरण जरूरी हैं, उनके लिए सभी विश्वविद्यालय को धन का नियतन किया गया ;

(ङ) कलकत्ता, श्री वेंकटेश्वर, जम्मू और कश्मीर तथा बर्दवान विश्वविद्यालयो मे 6,60,000 रुपयो की लागत से मुद्रणालय खोलने और उनमे सुधार करने के लिए मजूरी दी गई ;

(च) विश्व-भारती, दिल्ली और राजस्थान विश्वविद्यालयों में 6,60,000 रुपयों की लागत से अतिथि-गृह और कर्मचारी क्लब बनाने की मंजूरी दी गई ;

(छ) बम्बई, बडौदा, कलकत्ता, दिल्ली, केरल, मद्रास, नागपुर, पंजाब और राजस्थान विश्वविद्यालयो में टैगोर-पीठ (चेयर) स्थापित किए गए और इलाहाबाद, अन्नमलाई, मराठवाड़ा, मैसूर और पूना विश्वविद्यालयों में टैगोर व्याख्यान-मालायें प्रारम्भ की गई ;

(ज) पटना, उस्मानिया, केरल, बिहार, नागपुर, गुजरात विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय महिला छात्रावास, और सागर, वाल्टेयर, तथा बर्दवान विश्वविद्यालयों मे पुरुष छात्रावास बनाने के लिए कुल 45 लाख रुपयो की मन्जूरी दी गई।

(झ) गोरखपुर, बर्दवान, बड़ौदा, विश्व-भारती, श्री वेंकटेश्वर और आन्ध्र विश्व-

विद्यालयों में कुल 34 लाख रुपयों की लागत से कर्मचारी आवासगृह बनाने की मन्जूरी दी गई ;

(ञ) इलाहाबाद, दिल्ली, नागपुर, पंजाब और राजस्थान विश्वविद्यालयों में गांधी-भवन खुल रहे हैं और केरल, कर्नाटक, मैसूर, आन्ध्र, अलीगढ़ और जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालयों मे उनकी स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ;

(ट) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयो मे शतवार्षिकी समारोह के सिल-सिले मे बनाई जाने वाली इमारतो का काम सन्तोषपूर्वक चल रहा है और इनमे से कुछ इमारतें लगभग पूरी हो चुकी हैं ;

(ठ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० बी० बी० एस० डिग्री के लिए एक मेडीकल कालेज चलने लगा है ;

(ड) त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के अधीन गोहाटी विश्वविद्यालय को सहायता दी जा रही है ;

(ढ) विख्यात वैज्ञानिको और अध्यापकों (जो सेवा-निवृत्ति की अवस्था पर पहुँचने के बाद भी काम करने योग्य हैं) की सेवाओ का विश्वविद्यालयों के केन्द्रो मे (सामान्यत: 65 वर्ष की उम्र तक) लाभ उठाने की योजना स्वीकार कर ली गई है ,

(ण) आयोग के तत्वावधान मे अब तक जो अनुसन्धान सेमीनार, और ग्रीष्म कालीन शालाएँ तथा सस्थान आयोजित किए गए है, उनका आयोजन और बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई गई है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे विज्ञान की जो योजनाएँ शुरू या मजूर की गई थीं, उनके अलावा नीचे लिखी योजनाएँ मजूर की गई हैं :—

(क) मैसूर विश्वविद्यालय मे भूगोल और सांख्यिकी के स्नातकोत्तर अध्ययन के नए विभाग खोलने की योजना ,

(ख) बर्दवान विश्वविद्यालय मे विभिन्न विज्ञान विभागो के विकास की योजना ;

(ग) मैसूर विश्वविद्यालय मे डा० सर एम० विश्वेश्वरैया के नाम पर एक पीठ (चेयर) स्थापित करने की योजना ,

(घ) विशेष विषयों पर वर्कशाप और ग्रीष्मकालीन स्कूल आयोजित करने तथा विद्वत्समाज के वार्षिक सम्मेलनो का आयोजन करने के लिए गुजरात, दिल्ली, केरल और उत्कल विश्वविद्यालयो को सहायता देने की योजना ;

(ङ) मूलभूत वैज्ञानिक नियमो के स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए संबद्ध

कालेजों को सहायता (जो योजनाएँ पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं, उनमें बलवंत राजपूत कालेज, आगरा, के प्राणि-विज्ञान विभाग और मदूरै कालेज के रसायन विज्ञान विभाग के विकास की योजनाएँ शामिल हैं) ;

(च) कलकत्ता विश्वविद्यालय के हरिनघाट आयन मण्डलीय क्षेत्रीय केन्द्र को विकसित करने और उसे बनाए रखने की योजना ,

(छ) इंजीनियरी कालेजो मे पाँच वर्ष के समेकित पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए सहायता अनुदान की योजना ;

(ज) अन्नमलाई विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग का और अधिक विकास करने की योजना ;

(झ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खनन और धातु विद्या कालेज में शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए अनुदान की योजना ;

(ट) दिल्ली, बम्बई, गुजरात और मद्रास विश्वविद्यालयो में उद्योग-प्रबन्ध और व्यवसाय-प्रबन्ध मे शिक्षण-सुविधाओं के विकास की योजना ,

(ठ) दिल्ली, बम्बई, गुजरात और मद्रास विश्वविद्यालयो मे व्यवसाय प्रबन्ध के पूर्णकालिक और अंशकालिक पाठ्यक्रम चलाने की योजना ;

(ड) मद्रास विश्वविद्यालय के वास्तुविद्या स्कूल मे पाँच वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम चलाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ देने की योजना ;

(ढ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की संयुक्त समिति की सिफारिशो के अनुसार भू-विज्ञान और व्यावहारिक भू-विज्ञान की सुविधाओं के विकास के लिए सागर विश्वविद्यालय के व्यवहारिक भू-विज्ञान विभाग के विकास की योजना ;

(ण) अन्नमलाई विश्वविद्यालय मे एक पालीटेकनीक स्थापित करने की योजना; और

(त) निम्नलिखित विश्वविद्यालयो मे उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की योजना :—

(1)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	भौतिकी (रेडियो तरग प्रसार, उच्च वायु मंडल और रेडियो खगोल विज्ञान)
(2)	दिल्ली विश्वविद्यालय	भौतिकी (सैद्धान्तिक भौतिकी और खगोल भौतिकी)

(3)	दिल्ली विश्वविद्यालय	रसायन (प्राकृतिक उत्पादन रसायन)
(4)	दिल्ली विश्वविद्यालय	वनस्पति विज्ञान (रूप विज्ञान और भ्रूण विज्ञान)
(5)	बम्बई विश्वविद्यालय (टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च के सहयोग से)	गणित (सैद्धातिक)
(6)	कलकत्ता और यादवपुर विश्वविद्यालय	गणित (व्यावहारिक)
(7)	मद्रास विश्वविद्यालय	वनस्पति विज्ञान (फफूंद रचना विज्ञान और वनस्पति रोग निदान विज्ञान)
(8)	सागर विश्वविद्यालय	भू-विज्ञान (संरचना और स्तर भूतत्व)
(9)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	जीव रसायन (एन्जिमोलाजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और विटामिन उपापचयन)
(10)	पूना विश्वविद्यालय	अर्थशास्त्र (कृषि अर्थ-शास्त्र)

आयोग ने यह नीति निर्धारित की है कि सम्बद्ध कालेजो मे विज्ञान के स्नात्तकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए अनुदान दिए जाए और अनेक कालेजो के लिए आवश्यक अनुदान मंजूर किए गए हैं।

15 **वेतन मान** . 1 अप्रैल, 1961 से केन्द्रीय विश्वविद्यालयो के अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का निश्चय किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान इस प्रकार है :—

आचार्य	1000-50-1500	रुपये
प्रवाचक (रीडर)	700-40-1100	रुपये
अध्यापक	400-40-640—दक्षतारोध—40-800	

ये वेतन-मान राज्य विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन के लिए सूचित कर दिए गए है। और यदि वे किसी प्रकार सुधार करना चाहे तो बढे हुए खर्च का 80 प्रतिशत अंश आयोग सहायता के रूप मे देगा। इस बारे मे अनेक विश्वविद्यालयो ने अपने प्रस्ताव भेजे है और अब उनकी जाँच की जा रही है।

द्वितीय आयोजना के दौरान मंजूर किये गये वेतनमानो के अनुसार कालेज अध्यापकों के वेतन बढाने के लिए उन कालेजो को सहायता देने का वचन दिया गया है जो पहले वेतनमान मे सुधार नही कर सके, परन्तु अब उसे लागू करना चाहते है। यह सहायता केवल तृतीय पचवर्षीय आयोजना की अवधि मे ही दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए वेतन आयोग ने जो सिफारिशे की थीं

उनके अनुसार विश्वविद्यालयों के गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में संशोधन कर दिया गया है।

ई—विदेशी सहायता से प्रारम्भ की गई विकास प्रायोजनाएँ :

16. उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे विदेशी सहायता से कई महत्वपूर्ण प्रायोजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इनमे निम्नलिखित प्रायोजनाये शामिल है—(क) गृह विज्ञान शिक्षा और अनुसधान, (ख) लखनऊ विश्वविद्यालय मे लोक प्रशासन केन्द्र, (ग) चुने हुए भारतीय विश्वविद्यालयो मे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ, (घ) कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया द्वारा सदर्भ पुस्तकों का उपहार, (ङ) शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के लिए भारत और सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वित्तीय सहायता का करार, (च) शिक्षा सम्बन्धी मानक ग्रन्थो और सदर्भ पुस्तको का कम कीमत पर पुनर्मुद्रण, और (छ) शिक्षा विनिमय के लिए भारतीय गेहूँ ऋण कार्यक्रम।

17. **गृह विज्ञान और अनुसधान**. भारत अमरीकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह-विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान मे सहायता देने की प्रायोजना मे 1961 62 मे प्रगति होती रही। इस प्रायोजना के अधीन प्रादेशिक प्रदर्शन केन्द्रो के रूप में जिन सस्थाओं को चुना गया था, उनकी सहायता करने के लिए नौ अमरीकी टेकनीशियनो का जो अन्तिम दल आया था, उसमे से आठ व्यक्तियो ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और वे अमेरिका लौट गए हैं।

इस कार्यक्रम के आधीन जिन प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था है, उनके अनुसार चार गृह विज्ञान शिक्षक उच्च अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 12 मास की अवधि तक अमेरिका मे रहे और उसके बाद अपनी-अपनी सस्थाओ को लौट आए।

उन गृह विज्ञान प्रशासकों से विचारो और अनुभवो का आदान-प्रदान करने के लिए, जिन्हे इस कार्यक्रम के अधीन अमेरिका जाने का तथा अमरीकी सस्थाओ की कार्य प्रणाली देखने का अवसर मिला था, गृह-विज्ञान प्रशासकों का एक सम्मेलन जनवरी, 1961 मे दिल्ली मे बुलाया गया था। अन्य बातों के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अन्य संबन्धित वियषो पर चर्चा करने के लिए फरवरी 1962 मे एक गृह विज्ञान वर्कशाप का आयोजन किया गया था।

प्रादेशिक प्रदर्शन केन्द्रों ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों मे अपने-अपने प्रदेश की गृह विज्ञान-संस्थाओं और उच्च/उच्चतर बुनियादी स्कूलो के अध्यापकों को सहायता पहुँचाने के लिए गृह विज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा अध्यापन प्रणालियों और शिक्षा सहायक साधनो के विषय मे वर्कशापों का आयोजन किया।

भारत की पाँच सस्थाओ मे गृह-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रो का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू किया गया है और पाच अन्य संस्थाएँ इस पाठ्यक्रम को लागू करने की तैयारी कर रही हैं।

18. **चुने गये भारतीय विश्वविद्यालयों में फोर्ड प्रतिष्ठान—अनुदान के जरिए सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ :** यह कार्यक्रम 1959-60 मे फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से बनाया गया था और इसमे 1961-62 के दौरान प्रगति होती रही। इस योजना के अधीन जिन छः विश्वविद्यालयों को लाभ हो रहा है. वे सामान्य शिक्षा के अध्यापन के विषय मे सगोष्ठियों और वर्कशापो का आयोजन करते रहे। इनमे उन चोटि के प्राचार्यों और शिक्षा शास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होने उस विषय का विशेष अध्ययन किया है। इसके लिए 1961-62 के बजट में 79,000 रुपये रखे गए हैं।

19. **कोलम्बो आयोजना-आस्ट्रेलिया के सन्दर्भ ग्रन्थों का भारतीय विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों और संस्थाओ को उपहार :** आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने भारत स्थित दूतावास के जरिए 38 भारतीय विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों/सस्थाओं को आस्ट्रेलिया की सदर्भ पुस्तको का उपहार दिया है। चूंकि इन पुस्तकों की कीमत भारत सरकार के लेखे मे दिखाई जाएगी, अतएव उनकी कीमत का समंजन करने के लिए 1962-63 के बजट मे आवश्यक बजट व्यवस्था करने का विचार है।

20. **शिक्षा विनिमय कार्यक्रम की वित्तीय सहायता के लिए भारत अमरीकी करार :** भारत स्थित अमेरिकी शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जाने वाले कार्य-क्रम के अधीन 1961-62 मे निम्नलिखित विनिमय हुआ है :

भारत से अमेरिका जाने वाले व्यक्ति	165
अमेरिका से भारत आने वाले व्यक्ति	91

इस करार के अधीन भारत सरकार भारत मे स्थित अमेरिका शिक्षा प्रतिष्ठान को, उन करों और शुल्को की रकम वापस देती है जो प्रतिष्ठान अथवा उसके भारत स्थित अनुदान ग्राहियों द्वारा अदा किए जाते है, क्योकि उन्हे इस प्रकार के करों की अदायगी से छूट दी गई है।

21. **मानक शैक्षिक ग्रन्थों और संदर्भ पुस्तकों का कम कीमत पर पुनर्मुद्रण :—** इस प्रयोजना से दो मुख्य योजनाये चल रही है .—

(क) **अमेरिकी योजना**—आलोच्य वर्ष मे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया गया और मार्ग-दर्शन के लिए ऐसे व्यापक सिद्धान्त बना लिए गए है जिनके अधीन पी० एल० 480 की निधियो की सहायता से अमरीकी पाठ्यपुस्तकों के कम कीमतों वाले सस्करणो का प्रकाशन अमेरिकी दूतावास या इस कार्य के लिए दूतावास द्वारा नामजद प्रतिनिधि करेगा। प्रकाशन का कार्य शुरू हो गया है।

अब तक इस योजना के अधीन निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है :—

1. कालेज केमिस्ट्री ले० लीनस पौलिंग	मूल अमरीकी कीमत 6 75 डालर या 30 00 रु०, पुनर्प्रकाशित पुस्तक का मूल्य 12·00 रु०
2. स्टैटिस्टिकल मेथड्स एप्लाइड टु एक्सपेरिमेन्ट्स इन एग्रीकल्चर एण्ड बायोलौजी ले० जी० डब्ल्यू स्नेडिकोर	7 50 डालर या रु० 37·50 न० पै०, पुनर्प्रकाशित पुस्तक की कीमत 15 00 रु०
3. इण्टरनेशनल ला ले० चार्ल्स जी० फैनविक	मूल कीमत 6 00 डालर या रु० 28 50 न० पै०; पुनर्प्रकाशित पुस्तक की कीमत रु० 12·50 न० पै०
4. ए डिस्क्रिप्टिव पैट्रोग्राफी आफ इग्नियस राक्स, खड 1 ले० जान्सन	मूल अमरीकी कीमत 7 50 डालर या रु० 37·50 न० पै० ; पुन· प्रकाशित पुस्तक की कीमत रु० 10 00

इस योजना के अधीन प्रस्तावित नई पुस्तको का मूल्याकन करने के लिए मन्त्रालय ने विभिन्न विषयो के क्षेत्रो मे मूल्याकन करने वाले विशेषज्ञो की नामावली तैयार की है।

यह निश्चित करने के लिए कि ऐसी व्यवस्था से भारतीय लेखको और प्रकाशको को कोई कठिनाई या हानि न हो, पूरी योजना पर पुनर्विचार करना आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य के लिए एक भारती-अमरीकी मडल की स्थापना की गई है। इसमे 14 सदस्य है जिनमे 7 भारत सरकार के प्रतिनिधि और 7 अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि है। मंडल भारतीय लेखकों के हितो की रक्षा करने के उद्देश्य से योजना से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओ पर विचार करता है।

(ख) **ब्रिटेन की योजना** . ब्रिटेन की सरकार ने भी भारत मे उपयोग के लिए सन्दर्भ पुस्तको और मानक ग्रथों को कम कीमत पर प्रकाशित करने की योजना शुरू की है और इस सबध मे विश्वविद्यालयो की पाठ्य-पुस्तको को कुछ प्राथमिकता दी गई है। विज्ञान, इजीनियरी, प्रौद्योगिकी और दूसरे विषयो की लगभग 30 पुस्तकों का पहला सेट प्रकाशित हो चुका है। इन पुस्तको का मूल्य औसतन मूल कीमत का एक तिहाई है और कुछ पुस्तको का मूल्य इससे भी कम है। इन पुस्तको के बाद विश्वविद्यालय की पाठ्य-पुस्तको का दूसरा सेट प्रकाशित किया जाएगा। इन पुस्तको का चुनाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से किया गया है।

22. **भारतीय गेहूँ ऋण शिक्षा विनिमय कार्यक्रम** 1960-61 मे पाँचवे और

अन्तिम वर्ष की निधि का नियतन हो जाने पर भारतीय गेहूँ ऋण शिक्षा विनिमय कार्यक्रम सफलता-पूर्वक समाप्त होने की अवस्था पर पहुँच गया है । चूँकि 1960-61 का यह नियतन अन्तिम था, इसलिए गत वर्षों से चालू महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं को सफलता-पूर्वक पूरा करने के लिए इस धन का उपयोग किया गया । नई प्रायोजनाएँ प्रारंम्भ करने के लिए इस धन का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि संभव था कि आगे चलकर इन नई प्रायोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन न मिलता । पुस्तकें और उपकरण खरीदने के लिए 1960-61 और 1961-62 मे क्रमश: 175,000 डालर और 148,000 डालर बाँटे गए ।

कार्यक्रम का कर्मचारी विनिमय सम्बन्धी अंश आलोच्य वर्ष मे विशेष महत्वपूर्ण रहा । कई भारतीय वैज्ञानिकों और पुस्तकाध्यक्षो को अमेरिका भेजने का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त, इससे अध्यापन कार्य मे लगे हुए वैज्ञानिकों को एक दूसरे के देशो मे जाने का अवसर भी मिला ।

(उ) उच्च ग्राम शिक्षा

23. **ग्रामीण संस्थान** : दूसरी पचवर्षीय आयोजना मे शुरू किए गए ग्यारह ग्रामीण संस्थानो के अलावा दो और ग्रामीण संस्थान वर्धा और हनुमानमत्ती (मैसूर राज्य) खोले गए । चालू शिक्षा वर्ष से इनमे ग्राम सेवाओ मे डिप्लोमा पाठ्य-क्रम और कृषि विज्ञान के प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रम की शिक्षा आरम्भ हो गई है। श्री रामकृष्ण विद्यालय, कोयम्बटूर, मे डिप्लोमा के बाद का सहकारिता-पाठ्य-क्रम आरम्भ किया गया है ।

24. **अनुदान** : इस वर्ष ग्रामीण संस्थानो के लिए स्वीकृत कुल अनुदान की रकम 22,63,634 रु० थी । और वृत्तिकाओ के लिए स्वीकृत रकम 4 66,344 रु० थी ।

25. **शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण घटनाएं** : सन् 1961 में ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की दो बैठकें हुईं । पहली बैठक जनवरी 1961 मे उदयपुर मे हुई थी और दूसरी बैठक नवम्बर, 1961 में नई दिल्ली में । दूसरी बैठक में परिषद ने ग्रामीण संस्थानो की बहुत जरूरी समस्याओ, उनकी वित्तीय स्थिति, और शैक्षिक कार्यकलापो पर विचार किया ।

विचपुरी और अमरावती के ग्रामीण सस्थानों मे ग्रामीण संस्थानो के अध्यापकों के लिए मन्त्रालय ने नव प्रशिक्षण क्रमो का आयोजन किया । तकनीकी सहयोग मिशन कार्य-क्रम के अधीन सन् 1959 मे जो 20 अध्यापक अमेरिका भेजे गए , उनकी एक संगोष्ठी दिसम्बर, 1961 में उदयपुर में हुई । राजपुरा, सनोसरा और कोयम्बटूर में नवम्बर और दिसम्बर, 1961 तथा जनवरी, 1962 मे क्रमश: अर्थशास्त्र , कृषि और इंजिनीयरी के अध्ययन के सबन्ध मे तीन और सगोष्ठियाँ आयोजित की गईं ।

'युवक' पत्रिका के पूरक अंक के रूप मे नवम्बर, 1961 में "उच्च ग्रामीण शिक्षा" पर एक पत्रिका प्रकाशित की गई । इस पत्रिका को हर तीसरे महीने प्रकाशित करने का

विचार है ।

26. **सामान्य** : सन् 1961 के कार्यक्रम मे तकनीकी सहयोग मिशन इन ग्रामीण संस्थानों को 25,000 डालर का साज-सामान दे रहा है । यह साज-सामान इन सस्थानो मे पहुँचना शुरू हो गया है ।

गृह मन्त्रालय ने अपने अधीन पदों और सेवाओ के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ग्रामीण सेवा डिप्लोमा को बी० ए० डिग्री के बराबर मान लिया है। प्रायः सभी राज्य सरकारो ने भी इस डिप्लोमा को मान्यता दे दी है । अन्तर-विश्वविद्यालय मंडल और आगरा, अन्नमलाई, बड़ौदा, दिल्ली, गुजरात, यादवपुर, कर्नाटक, मद्रास, मराठवाड़ नागपुर, पटना, पजाब, राजस्थान, एस० एन० डी० टी० (बम्बई), एस० वी० विद्यापीठ और विश्वभारती विश्वविद्यालयों ने अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओ मे प्रवेश के लिए इस डिप्लोमा को मान्यता दे दी है ।

अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए, आँध्र प्रदेश, गुजरात, पजाब और पश्चिमी बगाल की सरकारो को छोडकर, बाकी सभी राज्य सरकारो ने सिविल और ग्राम इंजीनियरी के डिप्लोमा को मान्यता दे दी है । आँध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा की सरकारो ने सफाई प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रम को मान्यता दे दी है ।

(ऊ) सामान्य

27. **भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम** . भारतीय विश्वविद्यालयो के सघटन सबन्धी ढाँचे पर मोटे तौर पर विचार करने और विश्वविद्यालयो के बर्तमान कार्यो के अनुकूल एक आदर्श अधिनियम की रूप रेखा तैयार करने के लिए डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता मे सात सदस्यो की एक समिति बनाई गई है । इस सबन्ध मे जो प्रस्ताव दिए गए, उन पर एक दल ने विचार किया । इस दल मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालय के सचिव और दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे । आशा है निकट भविष्य में समिति एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश करेगी ।

28. **उप-कुलपतियों का सम्मेलन** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से अक्तूबर सन् 1961 मे नई दिल्ली मे समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने किया और सभापतित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने किया । सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्री, आयोजना आयोग के सदस्य (शिक्षा) ने भाषण दिए । प्रधान-मन्त्री ने भी उप-कुलपतियों के समक्ष भाषण दिया । सम्मेलन में विश्वविद्यालय शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया । सम्मेलन के निष्कर्षों और सिफारिशों को सभी विश्वविद्यालयों और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही के लिए

भेज दिया गया है।

29. **पश्चिमी बंगाल में विस्थापित छात्रों के लिए कालेज :** पुनर्वास मन्त्रालय को धीरे-धीरे समाप्त करने का भारत सरकार ने जो निश्चय किया था, उसके परिणाम स्वरूप पुनर्वास मन्त्रालय ने विस्थापित छात्रो के लिए पश्चिम बगाल में कायम किए गए कालेजो से संबन्धित काम शिक्षा मन्त्रालय को सौंप दिया है। पुनर्वास मन्त्रालय और पश्चिमी बगाल की सरकार के बीच परामर्श से जो व्यवस्था की गई थी, उसके अनुसार पुनर्वास मन्त्रालय ने 1956 से 1960 के दौरान 12 डिग्री कालेज खोलने की मजूरी दे दी थी। इन कालेजों की मंजूरी इसलिए दी गई थी, कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित छात्रो की शिक्षा संबन्धी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। वर्तमान कालेजों मे उनके लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं नही थी।

पुनर्वास मन्त्रालय ने इन कालेजो की इमारतों और साज-समान के खर्च के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार को सहायता-अनुदान मजूर किया है। कई कालेजो के लिए मन्त्रालय ने या तो जमीन खरीदने के लिए आवश्यक धन की स्वीकृति दी है, या केन्द्रीय सरकार की लागत से स्थापित की गई बस्तियो मे कालेजों के लिए जमीन दे दी गई है।

जहाँ तक आवर्ती खर्च का प्रश्न है, भारत सरकार कालेजों का घाटा (फीस और अन्य साधनो से प्राप्त रकम को निकाल कर) घटते हुए क्रम से पूरा करेगी, ताकि एक निश्चित अवधि के बाद केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाए। 1961-62 मे 3,63,000 रुपये के सहायता अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इस रकम की मजूरी दे दी गई।

30. **देशबन्धु कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली :** आलोच्य वर्ष में कालेज को 41,000 रु० का सहायता अनुदान मंजूर किया गया। इस कालेज को अनावर्ती अनुदान के रूप मे 3,000 रु० की और दूसरी रकम पुस्तको को खरीदने के लिए दी गई।

31. **भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालय मंडल :** भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालय मण्डल एक स्वैच्छिक संस्था है और इसका गठन विश्वविद्यालयों ने ही किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सदस्य विश्वविद्यालयो के बीच विचारो के आदान-प्रदान का एक अधिकृत माध्यम बन सके। इससे विश्वविद्यायलो के काम का समन्वय करने मे भी सुविधा होती है। मंडल को केन्द्रीय सरकार से 32,000 रुपयों का वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। आलोच्य वर्ष में वास्तव मे 25,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए गए हैं। नए विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या और इसके परिणामस्वरूप मंडल के बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए, तीसरी पंचवर्षीय आयोजना मे मंडल को 1,00,000 रु० का अतिरिक्त विकास अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है।

32. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तकों आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देना :** भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव विद्याओं की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढावा देने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है।

33. **पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमों और सायंकालीन कालेजों की योजना :** भारत सरकार ने सायंकालीन कालेजो और पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमो के द्वारा शिक्षा देने में विश्वविद्यालयों की सहायता देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय आयोजना मे एक योजना शामिल की है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की सिफारिश पर योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोजना के अध्यक्ष इस समिति के भी अध्यक्ष हैं। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रिपोर्ट के मिलने तक भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम मे संशोधन कर दिया है, जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय 1962 से पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम शुरू कर सके। इस उद्देश्य के लिए 1961-62 के पुनरीक्षित प्राक्कलनो मे 1,00,000 रु० की व्यवस्था भी की गई है। इसी उद्देश्य के लिए 1962-63 के बजट में 10 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

34. **वित्तीय व्यवस्थाए :** इस अध्याय मे जिन योजनाओ का विवेचन किया गया है, उनके लिए 1961-62 और 1962-63 मे निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्था की गई है :—

क्रम संख्या	योजना का नाम	1961-62 के लिए व्यवस्था	1962-63 का बजट प्राक्कलन
1	2	3	4
1.	जामिया मिलिया को अनुदान	5,80,000	5,90,000
2.	अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओ को सहायता	5,18,000	5,25,000
3. (i)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता अनुदान (आयोजनेत्तर)	2,85,00,000	2,88,00,000
(ii)	भारतीय विश्वविद्यालयों को विकास सम्बन्धी अनुदान का नियत और वितरण (आयोजनागत)	8,53,00,000	8,84,00,000
4.	गृह विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान सामग्री	1,50,000	—
	आनुषंगिक व्यय	40,000	—
	स्थानिक खर्च	21,700	400

1	2	3	4
5.	फोर्ड प्रतिष्ठान अनुदान के माध्यम से चुने हुए भारतीय विश्वविद्यालयो में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ	49,000	70,000
6.	कोलम्बो आयोजना—आस्ट्रेलिया की संदर्भ पुस्तको की भारतीय विश्व-विद्यालयों/पुस्तकालयो/सस्थाओ को भेट	—	66,700
7.	शिक्षा विनिमय कार्यक्रम मे वित्तीय सहायता के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच करार	5,C0,CC0	5,00,000
8.	शिक्षा सम्बन्धी मानक ग्रन्थो और संदर्भ पुस्तकों का कम कीमत पर पुनर्मुद्रण	—	1000
9.	ग्रामीण उच्च शिक्षा	36,70,500	42,39,000
10.	पश्चिमी बंगाल मे विस्थापित छात्रो के लिए कालेज	3,63,000	4,42,000
11.	देशबन्धु कालेज, कालकाजी	30,000	30,000
12.	भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालय मंडल	32,000	32,000
13.	पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम और साय-कालीन कालेज	95,000	10,00,000

चौथा अध्याय

हिन्दी और संस्कृत का विकास

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा को विकसित करना और समृद्ध बनाना भारत सरकार का कर्त्तव्य है। इस कार्य के लिए शिक्षा मंत्रालय में बहुत सी योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

अ—हिन्दी का प्रसार

2. **हिन्दी की उन्नति के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता :** हिन्दी के प्रसार कार्य में लगी हुई स्वैच्छिक संस्थाओं को शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुदान शिक्षा मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विशेष कार्यों और सामान्य कार्य, दोनों के लिए दिए जाते हैं। मंत्रालय ने ऐसे लेखकों को वित्तीय सहायता देने का भी निश्चय किया है, जिन्होंने हिन्दी के वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की समृद्धि के लिए उच्च-स्तरीय ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु जो उन्हें छपवाने में असमर्थ है। आलोच्य वर्ष में विभिन्न कामों के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को 2,91,949 रुपए की रकम अनुदान के रूप में दी गई। इन अनुदानों का ब्यौरा अनुबन्ध III में दिया गया है।

3. **अहिन्दी-भाषी राज्यों के हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति :** इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी-भाषी राज्यों में प्रत्येक हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कम से कम एक हिन्दी अध्यापक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और मद्रास राज्य-सरकारों के लिए 5,67,500 रुपए का कुल अनुदान मन्जूर किया गया।

4. **हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेज खोलना :** इस योजना का लक्ष्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेज खोलना है, जिससे उन क्षेत्रों में काफी संख्या में प्रशिक्षित और कुशल हिन्दी अध्यापक मिल सकें। इन कालेजों के प्रबन्ध आदि का पूरा खर्च भारत सरकार देती है। आलोच्य वर्ष में केरल और मैसूर में हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेज खोले जा चुके है। इन कालेजों में 200 अध्यापक प्रशिक्षण पा रहे हैं। इन दोनों कालेजों की स्थापना और परिचालन-खर्च के लिए क्रमशः 2,75,000 रुपये (केरल) और 84,370 रुपये (मैसूर) के अनुदान दिए गए। महा-

राष्ट्र राज्य मे चार और अल्पकालीन हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण-क्रम शुरू करके प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया गया ।

5. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा :** जनवरी, 1961 से केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण महाविद्यालय के पर्यवेक्षण और नियत्रण के लिए आगरा में एक स्वायत्त हिन्दी शिक्षण मडल की स्थापना की गई । इस महाविद्यालय में हिन्दी अध्यापकों को वैज्ञानिक रीति से अनुसधान करने, प्रशिक्षण देने और उच्च कोटि के हिन्दी साहित्य के अध्ययन और विभिन्न भारतीय भाषाओ के तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधाएँ दी जाती है। आलोच्य वर्ष मे मडल को 1,83,172 रुपये का अनुदान दिया गया ।

6. **स्कूल और कालेज पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें मुफ्त भेजना :** इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी-भाषी क्षेत्रो के स्कूलों और कालिजो के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती है । आलोच्य वर्ष मे चुनाव समिति द्वारा 28 पुस्तकें अहिन्दी-भाषी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो मे स्कूल पुस्तकालयो को देने के लिए चुनी गई । इन पुस्तको मे से प्रत्येक की 3,000 प्रतियाँ 1,53,000 रुपए की लागत से खरीदी जा चुकी है और 14 अहिन्दी-भाषी राज्यो/सघ-राज्य क्षेत्रो मे इनका वितरण भी किया जा चुका है ।

7. **प्रादेशिक कार्यालयो की स्थापना :** पूर्व और दक्षिण के अहिन्दी- भाषी क्षेत्रो मे हिन्दी के प्रसार और विकास कार्यों मे अधिक समन्वय लाने और उनकी देख-रेख करने के लिए कलकत्ता और मद्रास मे दो प्रादेशिक कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया है । ये कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रशासनिक नियत्रण मे रहेगे ।

8. **देश की विभिन्न हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता :** पन्द्रह संस्थाओ की हिन्दी परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जा चुकी है । इस सबध मे 22 अप्रैल, 1961 को एक प्रेस नोट जारी किया गया था ।

9. **'भाषा' का प्रकाशन :** 'भाषा' के पहले दो अक प्रकाशित किए जा चुके है । इस पत्रिका मे प्रशासन कार्य और उच्चतर स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप मे हिन्दी की समस्याओं का विवेचन किया जाता है । प्रथम अंक की 3,000 प्रतियों मे से 2,600 प्रतियाँ ग्राहको और विभिन्न सस्थाओं, विश्वविद्यालयो, साहित्यकारो, पुस्तकालयो आदि को भेजा जा चुकी हैं ।

10. **अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियाँ :** यह योजना दूसरी आयोजना से चल रही है । 1961-62 शैक्षिक वर्ष से इस योजना में कुछ संशोधन कर दिए गए हैं । इस समय इस योजना के अन्तर्गत 280 छात्र हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं ।

11. **हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों और कालिजों के छात्रों के वाद-विवाद दलों को एक दूसरे के यहां भेजने का कार्य-क्रम :** इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलो और कालिजों के छात्रो के वाद-विवाद दलो को प्रतिवर्ष हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के छात्रों मे और हिन्दी भाषी क्षेत्रो के वाद-विवाद दलो को अहिन्दी-भाषा क्षेत्रो मे भेजा जाता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मैसूर, असम और उडीसा के वाद-विवाद दल क्रमश: बिहार, राजस्थान और दिल्ली भेजे जाएँगे और पटना, मैसूर, गोहाटी और उत्कल विश्वविद्यालय अपने वाद-विवाद दलो को क्रमश मैसूर, बनारस, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों मे भेजेंगे।

12. **हिन्दी अध्यापको की सगोष्ठियां :** हिन्दी अध्यापकों की तीन संगोष्ठियाँ दिल्ली, त्रिपुरा और गोहाटी में क्रमश: सितम्बर, अक्तूबर और दिसम्बर, 1961 मे हुई। एक और संगोष्ठी कश्मीर मे मई, 1962 मे होने को है। इन सगोष्ठियों पर 14,200 रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है।

13. **स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओ के अखिल भारतीय संघ की स्थापना :** हिन्दी के प्रसार और विकास मे लगी हुई विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी सस्थाओ के कार्य मे समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मत्रालय का विचार है कि सस्थाओ को अपना एक अखिल भारतीय सघ बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस काम के लिए शुरू मे चार प्रादेशिक परिषदो की स्थापना की जा रही है। एक प्रेस-नोट मे इन परिषदो के सयोजको के नाम घोषित किए जा चुके हैं। सम्बन्धित संस्थाओं से अपनी प्रादेशिक परिषद का सदस्य बनने के लिए कहा जा चुका है।

14. **द्वि-भाषी प्राइमर और रीडर तैयार करना :** (हिन्दी-तामिल, हिन्दी-तेलुगू, हिन्दी-कन्नड़ औम हिन्दी-मलयालम) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास शिक्षा मन्त्रालय की ओर से निम्नलिखित द्विभाषी प्राइमर तैयार कर रही है :—

हिन्दी-तमिल
हिन्दी-कन्नड़
हिन्दी-मलयालम; और
हिन्दी-तेलुगू

सभा इन प्राइमरो को प्रकाशित करने और बेचने की भी व्यवस्था करेगी।

15 **विदेशियों के लिये प्राइमर तैयार करना :** विदेशियो की हिन्दी सीखने मे मदद करने के लिए प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार करने का काम के० एम० मुँशी हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा को सौंपा गया है।

आ—हिन्दी का विकास और समृद्धि :

आलोच्य वर्ष मे हिन्दी के विकास और समृद्धि के लिए निम्नलिखित योजनाओ

को कार्य रूप दिया गया या उन पर पुनर्विचार किया गया :

16. **उच्च कोटि की रचनाओं के अनुवाद की योजना :** हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं मे विश्वविद्यालय स्तर की उच्चकोटि की रचनाओ का अनुवाद कराने और मौलिक ग्रन्थ तैयार कराने की एक योजना भारत सरकार ने शुरू की है। यह काम विश्व-विद्यालयो और राज्य सरकारों की शिक्षा सस्थाओ, विभिन्न व्यक्तियों और स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओ की सहायता से किया जाएगा।

यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों से शुरू की गई है :—

(1) अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग आसानी से हो सके; (2) भारत-सरकार द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के प्रयोग मे बढावा मिल सके; और (3) विभिन्न भारतीय भाषाओ मे एक-सी और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के निर्माण को बढावा मिल सके। इस योजना मे मौलिक ग्रन्थ तैयार करना और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी विषयो की पुस्तकों का अनुवाद शामिल है। योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :—

(1) भारत सरकार प्रस्तावित पुस्तकों को तैयार करने और प्रकाशित करने का पूरा खर्च उठाएगी।

(2) इन पुस्तको की बिक्री से प्राप्त रकम संबधित एजेसी द्वारा इसी प्रकार की और पुस्तको की तैयारी और प्रकाशन पर खर्च की जाएगी।

(3) इन पुस्तको मे यथासभव शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, और

(4) मौलिक ग्रन्थ लिखने और प्रकाशित करने का काम भी इसी योजनाके अन्तर्गत किया जाएगा।

आरम्भ में इस योजना के अन्तर्गत 300 पुस्तके अनुवाद के लिए चुनी गई है। अनुवाद की जाने वाली पुस्तको की दूसरी सूची तैयार की जा रही है, जिसे स्थायी सलाहकार समिति मजूर करेगी। इस काम के लिए विभिन्न राज्यो मे समन्वय समितियों की स्थापना की जा चुकी है। तीसरी आयोजना मे इस योजना के लिए 25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

विज्ञान की लोकप्रिय पुस्तकों और अन्य साहित्य का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की एक और योजना भी शुरू की गई है। इस योजना को निजी प्रकाशको की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

17. **हिन्दी विश्वकोष :** सात लाख रुपए की अनुमानित लागत से दस भागो मे एक हिन्दी विश्वकोष तैयार करने का काम हिन्दी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, को 1956 में सौंपा गया था। इस काम के लिए सभा को इस वर्ष 1,40,000 रुपए दिए गए। इस विश्वकोश का दूसरा भाग पूरा होने को है।

18. **शब्दकोष :** हिन्दी शब्द-सागर का सशोधित सस्करण प्रकाशित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा के लिए एक लाख रुपए की मजूरी दी गई थी। उसकी शेष 10 हजार रुपए की रकम इस वर्ष सभा को दी गई। इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, को अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश के प्रकाशन के लिए मजूर किए गए अनुदान की पहली किस्त (32,800रु०) दी गई। यह शब्दकोश भारत सरकार की वित्तीय सहायता से सम्मेलन ने तैयार किया है।

19. **संस्कृत की पुस्तक "अष्टांगसंग्रह" का हिन्दी रूपान्तर :** सस्कृत की पुस्तक 'अष्टागसग्रह" के हिन्दी अनुवाद और प्रकाशन के लिए तीन हजार रुपए की रकम मंजूर की गई है। यह काम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री अत्रिदेव विद्यालकार कर रहे हैं। श्री अत्रिदेव को, 1,500 रुपए इस काम के लिए दिए जा चुके है।

20. **हिन्दी टाइप मशीन :** हिन्दी टाइप मशीन के कुंजी-पटल के बारे मे अन्तिम फैसला निर्माताओं की सलाह से किया जा चुका है।

21. **सहिता, नियमावली, नियम पुस्तकों और फार्मो का अनुवाद :** असाविधिक साहित्य, जैसे सहिताओं, नियम-पुस्तको, नियमावलियों और फार्मो का अनुवाद करना शिक्षा मत्रालय के कार्य क्षेत्र मे (तारीख 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 4 के अनुसार) आता है। इस बड़े काम को पूरा करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मे अनुवाद एकक की स्थापना की जा चुकी है।

1961-62 वर्ष के दौरान निदेशालय मे 356 नियम-पुस्तकें, संहिताएँ क्रियाविधि-नियमावलियाँ आदि अनुवाद के लिए प्राप्त हुई। इनमे 30,556 छपे पृष्ठ थे। इनके अतिरिक्त 3,773 फार्म भी प्राप्त हुए जिनकी पृष्ठ संख्या लगभग 10,000 थी। लगभग 150 नियम पुस्तको और 1,200 फार्मो का अनुवाद हो चुका है और 506 फार्मों का अनुवाद किया जा रहा है। लगभग 170 नियम पुस्तको और 1,800 फार्मों का अनुवाद अगले वर्ष प्रारम्भ किया जा सकेगा।

22. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण, पुनरीक्षण और समन्वय के लिए डा० दौलतसिह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई है। आयोग के अन्य सदस्य इस प्रकार है :—

(1) डा० बाबूराम सक्सेना

(2) श्री रमा प्रसन्न नायक
सयुक्त सचिव,
शिक्षा मंत्रनालय

(3) डा० निहाल करण सेठी,
सेवा-निवृत प्रिंसिपल,
आगरा कालिज, आगरा

अन्य सदस्यो की नियुक्ति जल्दी ही होने की संभावना है।

विधि, विज्ञान और तकनीकी विषयो को छोड कर अन्य विषयो की शब्दावली के लिए श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' की अध्यक्षता मे एक पुनरीक्षण और समन्वय समिति की स्थापना भी की गई है।

23. **प्राचीन और आधुनिक उत्कृष्ट हिन्दी-ग्रन्थों की शब्दानुक्रमणिकाएं तैयार करना :** यह योजना दूसरी आयोजना के समय से ही चल रही है। इस योजना को कार्य-रूप देने के लिए कुल व्यय भारत सरकार करेगी। इस योजना के अन्तर्गत आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, पटना, पंजाब और सागर विश्व-विद्यालयो को काम दिया गया था। दिल्ली और इलाहाबाद विश्व-विद्यालयो को दिया गया काम पूरा हो चुका है और उसे प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जा चुका है। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा किए गए काम का पुनरीक्षण किया जा रहा है। पटना और बनारस विश्वविद्यालयों ने अपने सशोधित प्राक्कलन भेजे है।

24. **प्रकाशन.** आलोच्य वर्ष मे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित अनतिम सूचियां प्रकाशित की :—

(1) उच्च लेखा विधि और लेखा परीक्षण
(2) भौतिकी III
(3) दर्शनशास्त्र
(4) गणित V
(5) कृषि IV
(6) कृषि V
(7) वनस्पति विज्ञान IV
(8) रक्षा X
(9) विद्युत इंजीनियरी
(10) इतिहास (सामान्य)
(11) रसायन V

निम्नलिखित अनन्तिम सूचियां प्रेस में छापने के लिए भेजी जा चुकी हैं :—

(1) भौतिकी IV
(2) रसायन VI
(3) परिवहन VI
(4) दर्शन शास्त्र II
(5) इतिहास (प्रागैतिहासिक)
(6) मौसम विज्ञान
(7) इजीनियरी III
(8) भौतिकी II
(9) आयुर्विज्ञान III
(10) सामान्य प्रशासन II
(11) यान्त्रिक इंजीनियरी
(12) भौतिकी V
(13) गणित VI

आलोच्य वर्ष मे पारिभाषिक शब्दो की निम्नलिखित अंतिम सूचियाँ प्रकाशित की गई :—

(1) सूचना और प्रसार
(2) वनस्पति विज्ञान II
(3) इजीनियरी I (पुनर्मुद्रण)
(4) आयुर्विज्ञान I
(5) शिक्षा (सामान्य)

निम्नलिखित अन्तिम सूचियाँ प्रेस मे छापने के लिए भेजी जा चुकी है :—

(1) राजनीति विज्ञान (नागरिक शास्त्र)
(2) सामान्य प्रशासन (पुनर्मुद्रण)
(3) कृषि I (पुनर्मुद्रण)
(4) वनस्पति विज्ञान I (पुनर्मुद्रण)
(5) रसायन विज्ञान I (पुनर्मुद्रण)
(6) भौतिकी I (पुनर्मुद्रण)
(7) गणित I (पुनर्मुद्रण)
(8) राजनय II

(9) राजनम III

(10) राजनय IV

25. 1960 के अन्त तक तैयार किए गए सभी अन्तिम पारिभाषिक शब्दो को "पारिभाषिक शब्द सग्रह" के रूप मे सकलित किया जा चुका है। पहला खड जिसमें 'ए' से 'के' तक के शब्द है, प्रकाशित हो चुका है और दूसरा खड शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।

26. **मानक ग्रन्थ तैयार करना** : अन्तिम शब्द सूचियो के आधार पर मानक ग्रन्थ तैयार करने की योजना के संबंध मे आरभिक कार्रवाई 1955 के आरंभ मे शुरू कर दी गई थी। भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र, सिविल इजीनियरी, आयुर्विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषि, प्राणि विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल और शिक्षा के मानक ग्रन्थ तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है।

रसायन विज्ञान की मानक पुस्तक, लेखक खुद प्रकाशित कर चुका है। गणित, शिक्षा, मनोविज्ञान, कृषि, प्राणि विज्ञान और प्राकृतिक भूगोल के ग्रन्थो की पाडुलिपिया प्राप्त हो चुकी हैं और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मे उनकी जाच की जा रही है। आशा है, चालू वर्ष के अन्त तक अधिकांश काम पूरा हो जाएगा।

27. **आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन की योजना** : यह योजना कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ, आगरा, को सौंपी गई है। इसके लिए 12,193 रुपए की पहली किस्त अदा की जा चुकी है। दूसरी किस्त काम पूरा होने पर अदा की जाएगी। आशा है, आगामी वित्त-वर्ष (1962-63) मे यह काम पूरा हो जाएगा।

28. **हिन्दीतर प्रादेशिक भाषाओं मे पाए जाने वाले विशिष्ट ध्वनि प्रतीकों का देवनागरी लिपि में समावेश करना** : शिक्षा मत्रालय ने अन्य भारतीय भाषाओ मे पाई जाने वाली ध्वनियो के लिए समुचित प्रतीक तैयार करने के लिए भाषा शास्त्रियो की एक समिति बनाई है।

उपर्युक्त सभी योजनाओं को 1962-63 वर्ष मे भी चालू रखने का विचार है।

(इ) सस्कृत का विकास

29. संस्कृत आयोग की सिफारिशो को ध्यान में रखते हुए सस्कृत की सर्वांगीण उन्नति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री एम०पतंजलि शास्त्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय संस्कृत मंडल की स्थापना की गई थी। यह मडल सस्कृत के प्रसार और विकास संबंधी विभिन्न पहलुओ पर सरकार को सलाह देता रहा। जिन योजनाओं और प्रायोजनाओं को शिक्षा मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है, आलोच्य वर्ष में

उनकी प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

30. **स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता** : इस योजना के अन्तर्गत 1961-62 के दौरान संस्कृत की उन्नति के लिए मंत्रालय ने 4,83,000 रुपए की रकम स्वैच्छिक संस्थाओ के लिए मंजूर की।

31. **गुरुकुलों को वित्तीय सहायता** : गुरुकुलो के विकास की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए नौ गुरुकुल चुने जा चुके है। 1961-62 के दौरान उनकी प्रगति के लिए 1,62,000 रुपए की रकम मजूर की गई।

32 **ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर सस्कृत शब्दकोश तैयार करना** पूना के दक्कन कालेज स्नातकोत्तर और अनुसधान सस्थान को ऐतिहासिक सिद्धान्तो के आधार पर एक सस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने के लिए 1958-59 से दस वर्ष तक 1 50 000 रुपए का वार्षिक अनुदान देने का निश्चय किया गया है। तदनुसार 1961-62 वर्ष मे सस्था को 1,50,000 रुपए की रकम दी गई।

33. **परम्परागत-सस्कृत पाठशालाओं से पढ़कर निकलने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां** : 1960-61 मे सौ रुपये प्रतिमास के हिसाब से दो वर्ष तक चालू रखने वाली जो सत्रह छात्र वृत्तियाँ दी गई थी, वे चालू वर्ष मे जारी रखी गई। 1961-62 वर्ष मे सत्रह नई छात्रवृत्तियाँ और दी गई।

34. **सस्कृत रीडर तैयार करना** सस्कृत साहित्य के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्रालय ने कक्षा 6,7 और 8 के लिए श्रेणी-बद्ध रीडरे तैयार करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार-योजना बनाई थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तके पुरस्कार के लिए चुनी गई :—

सस्कृत विहार . लेखक . प्रो० पी० एन० विरकर और श्री पी० एस० जोशी (पहली रीडर के लिए प्रथम पुरस्कार)

बोधनावली : लेखक : श्री के० एल० वी० शास्त्री (पहली रीडर के लिए द्वितीय पुरस्कार और दूसरी, तीसरी रीडर के लिए प्रथम पुरस्कार)।

संस्कृत स्वाध्याय . लेखक : श्री गजानन शास्त्री गैतोंदे (पहली रीडर के लिए तृतीय पुरस्कार और दूसरी, तीसरी रीडर के लिए द्वितीय पुरस्कार)

35. **सस्कृत ग्रन्थ खरीदना** : केन्द्रीय संस्कृत मडल की सिफारिश के अनुसार 23 संस्कृत ग्रन्थों की 50,200 प्रतियाँ स्वैच्छिक संस्कृत संगठनो/सस्थाओ और विश्वविद्यालयो को मुफ्त देने के लिए खरीदी गई। दुर्लभ सस्कृत ग्रन्थों को दुबारा छपवाने की योजना के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थ छापे जा रहे है। इनमे से एक अमूल्य संस्कृत शब्दकोष "शब्द कल्पद्रुम"

अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। और मंत्रालय ने इसकी 333 प्रतियाँ खरीदी है।

36. **केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ की स्थापना :** सस्कृत की उच्च शिक्षा देने, सस्कृत अध्ययन की विशिष्ट शाखाओ मे अनुसंधान करने और संस्कृत अध्यापको को प्रशिक्षण की सुविधाए देने के विचार से तिरुपति मे केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करने का निश्चय किया है। विद्यापीठ का प्रबन्ध केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ तिरुपति संस्था करेगी। इस सस्था का पजीकरण सस्था पजीकरण अधिनियम, 1860, के अन्तर्गत हो चुका है। विद्यापीठ की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही विद्यापीठ की स्थापना हो जाएगी।

37 **वित्तीय व्यवस्थाए :** इस अध्याय मे हिन्दी और सस्कृत के विकास की जिन योजनाओ की चर्चा की गई है, उनके लिए निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्था की गई है :—

क्रम संख्या	योजना का नाम	1961-62 के लिए व्यवस्था (रुपयों मे)	1962-63 के बजट मे व्यवस्था (रुपयो मे)
	हिन्दी का विकास		
1.	हिन्दी के प्रसार के लिए सस्थाओ और व्यक्तियो को अनुदान देना	5,00,000	5,00,000
2	अहिन्दी-भाषी राज्यो मे हिन्दी अध्यापको की नियुक्ति	6,00,000	9,00,000
3.	हिन्दी अध्यापको के लिए प्रशिक्षण कालेज खोलना	3,68,000	3,00,000
4	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा	1,74,000	2,20,000
5.	स्कूल और कालेजो के पुस्तकालयो को हिन्दी की पुस्तके मुफ्त देना	2,25,000	1,80,000
6.	प्रादेशिक कार्यालयो की स्थापना	—	37,000
7	पत्रिका-प्रकाशन	4,000	12,000
8.	अहिन्दी भाषी राज्यो के छात्रों को हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिया	आयोजनागत 32,000	1,60,000
		आयोजनेतर 3,10,000	4,90,00
9.	हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रो के स्कूलो और कालेजों के छात्रों के		

	वाद-विवाद दलों को एक दूसरे के यहा भेजने का कार्य क्रम	3,000	5,000
10.	हिन्दी अध्यापकों की सगोष्ठियाँ	30,000	40,000
11	द्विभाषी प्राइमर और रीडर तैयार करना	—	15,000
12	विदेशियो के लिए प्राइमर तैयार करना	—	15,000
13.	उच्चकोटि के ग्रन्थो का अनुवाद	1,25,000	1,00,000
14	हिन्दी विश्वकोश	1,00,000	1,50,000
15	शब्दकोश	—	40,000
16	सस्कृत ग्रन्थ अष्टाँगसग्रह का हिन्दी रूपान्तर	—	1,500
17.	हिन्दी को समृद्ध बनाना (वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना)	38,500	1,75,000
18	उत्कृष्ट हिन्दी ग्रन्थो (प्राचीन और आधुनिक) की शब्दानुक्रमणिकाएँ तैयार करना	7,000	10,000
19.	मानक ग्रन्थ तैयार करना	2,500	20,000
20.	आधुनिक भारतीय भाषाओ मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली के तुलनात्मक अध्ययन की योजना	—	12,500

संस्कृत का विकास

1.	स्वैच्छिक संस्कृत सस्थाओ को वित्तीय सहायता	6,00,000	6,00 000
2.	गुरुकुलो को वित्तीय सहायता		
3.	ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर सस्कृत शब्दकोश तैयार करना (आयोजनेतर)	1,50,000	1,50,000
4.	परम्परागत संस्कृत पाठशालाओ से पढ़कर निकलने वाले व्यक्तियो के लिए अनुसधान छात्रवृत्तिया	1,30,000	2,08,000
5	संस्कृत रीडर तैयार करना		
6.	सस्कृत पुस्तके खरीदना		
7.	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना	66,000	3,60,000

पांचवां अध्याय

छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी छात्रवृत्तियाँ देती है । इनको सात वर्गों मे बाँटा जा सकता है । पहले वर्ग की छात्रवृत्तियों का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशों में विद्याध्ययन के लिए सुविधायें देना है । दूसरे वर्ग की कुछ छात्रवृत्तियाँ विदेशी छात्रों को भारतवर्ष में विद्याध्ययन की सुविधा देने के लिए हैं और कुछ सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने के लिए है । तीसरे वर्ग में ऐसी छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं जो विदेशों के साथ किए गए उन द्विपक्षीय करारों के अनुसार दी जाती हैं जिनके अन्तर्गत एक ओर तो भारत के राष्ट्रिक अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं और दूसरी ओर विदेशों के छात्र अध्ययन के लिए भारत आते हैं चौथे वर्ग में भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रिको को भारत में अनुसधान अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां शामिल है । पाँचवें वर्ग में वे छात्रवृत्तियाँ आती हैं जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियो, अनुसूचित कबीलों और "अन्य पिछड़े वर्गों" के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाती हैं । छठे वर्ग में रिहायशी स्कूलों में अध्ययन के लिए और सातवें वर्ग मे राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की सहायता के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ आती हैं ।

I. भारतीयों को विदेशों में अयध्यन के लिए मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियाँ

इस वर्ग के आधीन मिलने वाली सुविधाओं को नीचे लिखी तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है : (क) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां, अधिवृत्तियां और यात्रा अनुदान, (ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ और इससे संवद्ध संगठनों द्वारा दी जाने वाली और बहुपक्षीय कार्यक्रमो जैसे राष्ट्र मंडल शिक्षा सहयोग योजना तथा तकनीकी सहयोग योजना (कोलम्बो आयोजना) के अधीन दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियां, और (ग) विदेशी सरकारों या संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियाँ ।

(क) भारत सरकार की योजनाएं

पहली श्रेणी की छात्रवृत्तियों में निम्नलिखित योजनाएं शामिल है :—

(1) **विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना** : इस योजना के अन्तर्गत अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूमानियन, स्वाहिली, इटालियन, जापानी, रूसी, तुर्की, फारसी, बर्मी, इंडोनेशियाई और पश्तो भाषाओं में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी

जाती हैं। अन्तिम तीन भाषाओं को 1961-62 से इस योजना में शामिल किया गया है। चालू वर्ष में 14 उम्मीदवार (ग्यारह 1959-60 के और तीन 1960-61 के) विदेशों में अध्ययन कर रहे थे और 1960-61 के 9 विद्यार्थी दाखिले / यात्रा की व्यवस्था होते ही चलें जायेगे। 1961-62 की 15 छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र मंगाए गए हैं और उनका चुनाव शीघ्र ही हो जाएगा।

(2) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए समुद्रपार छात्रवृत्तियाँ :** इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 12 छात्रवृत्तियां (हर वर्ग के लिए चार-चार दी जाती हैं यह निश्चय किया गया है कि 1959-60 की जो 12 छात्रवृत्तिया नही दी जा सकी हैं उनके बदले 10 अतिरिक्त छात्रवृत्तिया (दो प्रतिवर्ष) दी जाएगी, जो 1960-61 से शुरू होंगी। 1960-61 के लिए जो 14 उम्मीदवार चुने गए हैं, उनमे से 8, इस समय विदेशो मे अध्ययन कर रहे है। शेष उम्मीदवार दाखिले। यात्रा की व्यवस्था होते ही चले जाएंगे। 1961-62 की छात्रवृत्तियो के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। सात उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियाँ दी जा चुकी हैं और शेष सात उम्मीदवारों के मामलों पर विचार हो रहा है। उम्मीदवार 1962-63 में विदेश जाएंगे।

(3) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यात्रा अनुदान :** इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 12 विद्यार्थियों को (हर वर्ग के लिये चार-चार), जिन्हें योग्यता छात्रवृत्ति मिल चुकी हैं पर जिसमें यात्रा का खर्च शामिल नही है, यात्रा अनुदान दिया जाता है। 1961-62 में "अन्य पिछड़े वर्गों" के 4 विद्यार्थियों को ऐसे यात्रा अनुदान दिए गए है। "अन्य पिछड़े वर्गों" के दो विद्यार्थियों को वापसी यात्रा अनुदान भी दिग गए हैं।

(4) **संघीय क्षेत्रों की समुद्रपार छात्रवृत्तियाँ :** प्रतिवर्ष एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म या अधिवास के कारण किसी संघीय क्षेत्र का निवासी हो मानव विद्याओं के अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति दी जाती है। चालू वर्ष में, 1959-60 और 1960-61 के दो विद्यार्थी विदेश में अध्ययन कर रहे थे और 1961-62 की छात्रवृत्ति के सबन्ध में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के सहयोग से अन्तिम निर्णय किया जा रहा है।

(5) **अगाथा हैरिसन अधिवृत्ति :** यह अधिवृत्ति (जो स्वर्गीय कुमारी अगाथा हैरिसन की स्मृति में 1956-57 में शुरू की गई थी) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एन्थनी कालेज में एशिया की समस्याओं, विशेषतया भारत की समस्याओं के अध्ययन के लिए दी जाती है। यह अधिवृत्ति ५ वर्ष की अवधि के लिए है। इसके लिए चुना गया पहला छात्र अभी तक कालेज में काम कर रहा है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियां

इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

संयुक्त राष्ट्रसंघ और यूनेस्को के कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र संघ का समाज कल्याण छात्रवृत्ति और अधिवृत्ति कार्यक्रम : यह कार्यक्रम उपयुक्त योग्यता प्राप्त समाज-कल्याण कार्यकर्ताओं को विदेश में अध्ययन और प्रेक्षण द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण द्वारा वे अपने विशेष अध्ययन के विषय में अतिरिक्त ज्ञान और अनभव प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार को या नाम भेजने वाले अधिकारी को अन्तर्देशीय यात्रा का खर्च, पासपोर्ट वीसा और डाक्टरी परीक्षा की फीस का वास्तविक खर्च और हवाई जहाज द्वारा आने जाने के खर्च का 50 प्रतिशत खर्च देना पडता है। बाकी सारा खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। 1959 मे चुने गए व्यक्तियों मे से एक अधिछात्र इंग्लैंड चला गया है। 1960 के 5 उम्मीदवारों में से, जिनकी उम्मीदवारी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1961 के लिए स्थगित की गई थी, एक उम्मीदवार के अध्ययन कार्यक्रम की व्यवस्था हो चुकी है और वह 4 अप्रैल, 1962 को जनेवा में पहुँचने वाला है।

(2) **पाठ्य सामग्री के निर्माण के लिए यूनेस्को की अधिवृत्ति** (1962) **:** दो अधिवृत्तियों के लिए दो उम्मीदवारों के नाम यूनेस्को को भेजे गए है।

(3) **यूनेस्को-थाई सरकार अधिवृत्ति** (1962) : थाई सरकार कुछ देशों के राष्ट्रिकों को जिनमें भारत भी शामिल है, 6 अधिवृत्तियाँ देती है। इस के अन्तर्गत तीन उम्मीदवारों के नाम थाई सरकार के यूनेस्को सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग को भेज दिए गए हैं।

राष्ट्र मंडल शिक्षा सहयोग आयोजना

राष्ट्रमंडल शिक्षा सहयोग आयोजना के अन्तर्गत, मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष में निम्न-लिखित प्रस्तावो पर कार्रवाई की :—

(1) **अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति (बर्सरी)—ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव :** 1961-62 में जिन सात विद्यार्थियों को शिक्षा वृत्तियाँ (बर्सरियां) दी गई थी, उनमें से 6 इंगलेंड में पढ़ रहे है और एक की मृत्यु हो गई है। 1962-63 की शिक्षा-वृत्तियों के लिए ब्रिटिश सरकार को सात और उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं।

(2) **राष्ट्रमंडल के देशों को भारतीय अध्यापक भेजना :** मलाया और उत्तर रोडेशिया की सरकारों ने विभिन्न राष्ट्र मंडलीय देशों से अध्यापकों की सेवाएँ माँगी हैं। इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से विज्ञापित किया गया है। इस सम्बन्ध मे 500 उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं।

राष्ट्रमंडलीय अध्यापकों की सेवाओं के लिए मलाया सरकार की प्रार्थना के उत्तर में कुआलालम्पुर में 22 मुख्य पदों के लिए सात भारतीय अध्यापकों के नाम भेजे गए है।

(3) भारत में काम करने के लिए अध्यापक भेजना—ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव : राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और पब्लिक स्कूलों की समेकित आवश्यकताओं की सूचना ब्रिटिश सरकार को दे दी गई है।

(4) भारत में आयुर्विज्ञान-शिक्षा की सुविधाएं—नाईजीरिया सरकार की प्रार्थना : नाइजीरिया सरकार ने प्रार्थना की है कि यूनिवर्सिटी कालेज, इबादान, नाइजीरिया के आयुर्विज्ञान संकाय के दो सदस्यों को, भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करने की सुविधाएं दी जाएं। अध्ययन का कार्यक्रम कच्चे तौर पर तैयार कर लिया गया है और उसे नाइजीरियाई सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

(5) अध्ययन दौरे के लिए अधिवृत्ति—आस्ट्रेलिया की सरकार का प्रस्ताव : आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक भारतीय अध्यापक को अध्ययन-दौरे के लिए अधिवृत्ति देना स्वीकार किया है। यह अधिवृत्ति अध्ययन-दौरे के लिए और शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर आस्ट्रेलिया के शिक्षा शास्त्रियों के साथ चर्चाओं के लिए दी जाती है। इस सम्बन्ध में नामन-पत्र प्राप्त हो चुके है जो विचाराधीन हैं।

तकनीकी सहयोग योजना (कोलम्बो आयोजना)

कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत 1961-62 में भारतीय राष्ट्रिकों के लिए विदेशी सरकारों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) पत्र व्यवहार द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा-सुविधाओं के लिए आस्ट्रेलियाई सरकार का प्रस्ताव (1962-63) जन शिक्षा निदेशकों से नामन-पत्र प्राप्त हो चुके है और उनकी जांच की जा रही है।

(2) पुस्तकाध्यक्षता का प्रशिक्षण—कनाडा सरकार का दो छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव (1962-63) इन दो छात्रवृत्तियों के लिए दो उम्मीदवारों के नाम कनाडा सरकार को भेज दिए गये हैं।

(3) पुस्तकाध्यक्षता का प्रशिक्षण आस्ट्रेलियाई सरकार का दो छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव : प्रसताव विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कुछ ब्योरे आस्ट्रेलिया सरकार से मांगे गए हैं।

ग (I) विदेशी सरकारों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

1961-62 में निम्नलिखित विदेशी सरकारों ने भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां दीं :—

1. डेनमार्क : "फोक हाई स्कूल" आन्दोलन के अध्ययन के लिए चार छात्रवृत्तियाँ; चुने गए चारों उम्मीदवार डेनमार्क में अध्ययन कर रहे हैं।

2. फ्रांस : (1) फ्रांस में मानव विद्याओं के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाँच छात्रवृत्तियाँ; चुने गए तीन उम्मीदवार विदेश मे अध्ययन कर रहे हैं और शेष दो उम्मीदवारो को अभी जाना है ।
(2) शिक्षा आदि मे विशेष प्रशिक्षण के लिए 1962-63 की 10 छात्रवृत्तियो के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए है ।
(3) 1962-63 की दो छात्रवृत्तियों के लिए तरुण भारतीय रोमन कैथोलिक पादरियो से आवेदन-पत्र मंगाए गए है ।

3. सोवियत रूस : रूसी भाषा के अध्ययन के लिए भारतीय अध्यापको को दो छात्रवृत्तियाँ।

4. पश्चिमी जर्मनी : शारीरिक शिक्षा, जर्मन भाषा आदि के अध्ययन के लिए 10 छात्रवृत्तियाँ; इसके लिए उम्मीदवारों को चुन लिया गया है ।

5. पोलेंड : (1) मानव विद्याओ मे स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दो छात्रवृत्तियाँ । चुने गए उम्मीदवारो के नाम पोलैंड की सरकार को भेज दिए गए हैं ।
(2) 1962-63 में, आर्थिक आयोजन के अध्ययन के लिए 4 अधिवृत्तियाँ; चुने गए उम्मीदवारों के नाम पोलैंड सरकार को भेज दिए गये है ।

6. बेल्जियम : 1962-63 में अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति; आवेदन पत्र मंगाए गए हैं ।

7. हंगरी : 1962-63 में मानवविद्याओं के अध्ययन के लिए छः छात्रवृत्तियाँ; प्रस्ताव विचाराधीन है ।

8. नार्वे : नार्वे में अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति; प्रस्ताव विचाराधीन है ।

9. आस्ट्रिया : मानवविद्याओं में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दो छात्रवृत्तियाँ; चुनाव कर लिए गए हैं ।

ग (II) विदेशी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ

1961-62 में निम्नलिखित विदेशी संस्थाओं ने भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियाँ या अधिवृत्तियाँ दीं :

(1) **ब्रिटिश काउंसिल, लन्दन** 1962-63 में स्नातकोत्तर अध्ययन/अनुसंधान के लिए 10 छात्रवृत्तियाँ; 15 चुने गए उम्मीदवारों के नाम अन्तिम चुनाव के लिए ब्रिटिश काउंसिल लन्दन को भेज दिए गये हैं ।

(2) **वाकर्स ट्रेवलिंग एसोसियेशन, ब्रिटेन :** एक छात्रवृत्ति के लिए तीन चुने गए उम्मीदवारों के नाम स्वानसी विश्वविद्यालय को भेज दिए गए हैं।

(3) **इम्पीरियल रिलेशन्स ट्रस्ट (लन्दन विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट आफ एज्युकेशन लन्दन) :**

(अ) 1961-62 के दो अधिछात्र इंस्टीट्यूट में अध्ययन कर रहे है।

(आ) 1962-63 के लिए दो अधिवृत्तियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं।

(4) **दक्षिणपूर्व एशिया के लिए फिलिपाइन्स का छात्रवृत्ति-बोर्ड (फिलिपाइन्स विश्वविद्यालय) :** 1962-63 की छात्रवृतियो के लिए तीन चुने हुए उम्मीदवारो के नाम बोर्ड को भेजे गए है। किसी देश के लिए विशेष विनिधान नही है।

पीपुल्स फ्रैंडशिप (पैट्रिस लुमुम्बा) विश्वविद्यालय, सोवियत संघ : 1962-63 में मानवविद्याओ के अध्ययन के लिए पाँच छात्रवृत्तियाँ; उम्मीदवार अभी चुने जाने हैं।

इम्पीरियल रिलेशन्स ट्रस्ट अधिवृत्तियो को छोड कर, जिनका आधा खर्च भारत सरकार और आधा खर्च ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, शेष छात्रवृत्तियो पर जो भी खर्च होता है वह छात्रवृत्ति देने वाला पक्ष या उम्मीदवार या नाम भेजने वाला पक्ष उठाता है।

II विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में अध्ययन के लिए मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियाँ

इनको दो हिस्सों में बांटा गया है : (क) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ (ख) दूसरी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियाँ।

(क) विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ

इन में ये योजनाएं शामिल हैं :

(1) **सामान्य छात्रवृत्तियाँ योजना :** इस योजना के अधीन कुछ एशियाई, अफ्रीकी और बाहर के दूसरे देशों के छात्रो और उन देशो में भारत से आकर बसने वाले छात्रों को भारतवर्ष में अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 140 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। 1961-62 मे 123 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्तियाँ स्वीकार की थीं। सभी विद्यार्थी भारत में गये हैं और अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस समय कुल 484 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। 1962-63 के लिए आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके हैं और अभीतक 82 विद्यार्थी अन्तिम रूप से चुने जा चुके हैं। इस कार्य क्रम के पूरक के रूप में अफ्रीकी देशों के शैक्षिक विकास के लिए यूनेस्को के आपाती कार्यक्रम के अन्तर्गत, अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ देने का सुझाव भी रखा गया है।

(2) **राष्ट्रमन्डल शिक्षा सहयोग आयोजना :** 1961-62 में राष्ट्रमन्डल के दूसरे देशों के लिए प्रस्तावित कुल 100 छात्रवृत्तियों और अधिवृत्तियों में से केवल 22 का उपयोग

अभी तक किया गया है चुने गए सभी 22 विद्यार्थी यहां अध्ययन कर रहे हैं। 1962-63 की 50 छात्रवृत्तियों और अधिवृत्तियों के लिए 38 नामन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 31 उम्मीदवार चुने जा चुके हैं।

यह भी निश्चय किया गया है कि तीसरी आयोजना की अवधि में राष्ट्रमण्डल के दूसरे देशों के राष्ट्रिको को, भारत में अध्यापक-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 225 शिक्षा-वृत्तियाँ (बर्सरियाँ) दी जाएंगी। 1961-62 मे 50 और 1962-63 में 75 शिक्षावृत्तियों (बर्सरियो) के लिए आवेदन पत्र मगाए गये है।

(3) **फ्रेंच अधिवृत्ति योजना** : फ्राँसीसी राष्ट्रिकों को भारत में स्नातकोत्तर अनुसंधान के लिये अधिवृत्तियां दी जाती हैं। अधिछात्रों को फ्रेंच भाषा पढ़ानी पड़ती है और अपनी रूचि के किसी विषय मे अनुसंधान करना पड़ता है। खर्च को भारत सरकार और संबन्धित विश्वविद्यालय आधा आधा बाँट लेते है। 1959-61 की एक अधिछात्रा ने अपनी कार्य-अवधि पूरी कर लीहै और एक और अधिछात्र का अध्ययन अभी जारी है। एक अधिवृत्ति का उपयोग नही किया जा सका है। 1961-63 के लिए 3 अधिवृत्तियाँ देने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

(4) **भारत-जर्मनी औद्योगिक सहयोग योजना—जर्मन राष्ट्रिकों को अधिवृत्तियाँ** : जर्मनी की संघीय गणराज्य सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को जर्मन में स्नातकोत्तर अध्ययन प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के बदले सद्भावना के तौर पर जर्मन राष्ट्रिकों को भारत में अध्ययन के लिए अधिवृतियाँ दी जाती है। 1956-57 के अधिछात्रों में से चार अधिछात्र भारत में अपनी अवधि पूरी करके वापस चले गये हैं। 1961-62 से, हर दूसरे वर्ष में अधिवृत्तियो की संख्या 10 से बढ़ा कर 20 कर दी गई है। 1961-62 की अधिवृत्तियो के लिए वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने आवेदन-पत्र मंगाए है। अधिवृत्तियाँ देने से संबंधित कार्रवाई शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा, अपने-अपने विषय के अनुसार की जायेगी।

(3) **परस्पर छात्रवृति योजना** : 1958-59 के अध्येताओं में से 3 अध्येताओं का (इटली, यूगोस्लाविया और नार्वे से एक-एक) भारत में अध्ययन अभी तक जारी है। 1961-62 से हर दूसरे वर्ष में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा कर 30 कर दी गई है 1961-62 की छात्रवृत्तियों के लिए (आस्ट्रिया,नार्वे, स्पेन और स्वीडन केलिए एक एक; चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड, स्विटजर लैंड और यूगोस्लाविया के लिए दो-दो, इटली के लिए चार और पूर्व-जर्मनी और रूस के लिए पाँच-पाँच) आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे है और अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में ही उम्मीदवार चुन लिए जाएंगे।

(6) **भूटानी छात्रों को छात्रवृत्तियां** : इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 15 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं (10 स्कूलो में अध्ययन के लिए और 5 डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए), 1961-62 के सभी 15 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे है। इसके साथ-साथ पिछले वर्षों के

विद्यार्थियों में से 38 विद्यार्थियों का (33 स्कूलों में अध्ययन करने वाले और 5 डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों वाले) अध्ययन भी जारी हैं। 1962-63 की 15 छात्रवृत्तियों के लिए चालू वर्ष में आवेदन-पत्र मंगाए जाएंगे।

(7) **सिक्किमी छात्रों को छात्रवृत्तियां :** प्रतिवर्ष 18 छात्रवृत्तियाँ (10 स्कूलों में अध्ययन के लिए और 8 डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमो के लिए) दी जाती है। 1961-62 के लिए जिन 16 विद्यार्थियों ने (10 स्कूलो मे अध्ययन करने वाले और 6 डिग्री। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों वाले) छात्रवृत्तियाँ स्वीकार की हैं, वे भारत में अध्ययन कर रहे है। इसके साथ-साथ पिछले वर्षों के विद्यार्थियो में से 62 विद्यार्थियों का (39 स्कूलों मे अध्ययन करने वाले और 23 डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमो वाले) अध्ययन भी जारी है 1962-63 की छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र चालूवर्ष मे मंगाए जाएगे।

(8) **दक्षिण, दक्षिणपूर्व एशिया और दूसरे देशों (कोलम्बो आयोजना) के लिए छात्रवृत्तियाँ, अधिवृत्तियाँ :** 1961-62 में, शिक्षा मंत्रालय ने ग्यारह नेपाली और दो मलाया के छात्रों कोमानवविद्याओं के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ दी इनमे से 12 विद्यार्थी (10 नेपाली और 2 मलायी) भारत मे अध्ययन कर रहे है और एक विद्यार्थी अभी आया नहीं है। इसके साथ-साथ पिछले वर्षो मे लिए गए विद्यार्थियो मे से 20 विद्यार्थियो का अध्ययन भी चल रहा है। 16 विद्यार्थी अध्ययन समाप्त करके अपने देशों को लौट चुके है। नेपाल और फिलिपाइन्स की सरकारो ने प्रार्थना की है, कि भारत की शिक्षा-सस्थाओं मे उनके राष्ट्रिकों के प्रवेश के लिए 1962-63 में क्रमशः 32 और 2 जगहे आरक्षित रखी जायें। इस सबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

III द्विपक्षीय आधार पर अध्येताओं का विनिमय

साँस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की नीति का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने अध्येताओं के परस्पर विनिमय के लिए रूमानिया, संयुक्त अरब गणराज्य और सोवियत रूस के साथ द्विपक्षीय करार किए हैं। चैकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, पोलैंड, ग्रीस, युगोस्लाविया और श्री लंका के साथ भी ऐसे करार करने पर विचार हो रहा है। इस योजना के अतर्गत इस समय चालू कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया जाता है।

(अ) **भारत और रूमानिया के बीच अध्येताओं का विनिमय :** 1960-61 की दो छात्रवृत्तियो के लिये रूमानिया सरकार से नामन-पत्र प्राप्त नहीं हुए। इसके बदले रूमानिया सरकार की इच्छानुसार ये छात्रवृत्तियाँ, रूमानिया के उन दो छात्रो को दे दी गई, जो परस्पर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अध्ययन कर रहे थे।

1960-61 में जिन दो भारतीय अध्येताओं को रूमानिया की भाषा के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई थीं, वे रूमानिया में अध्ययन कर रहे हैं।

(आ) **भारत और रूस के बीच अध्येताओं का विनिमय :** यह कार्यक्रम 1961-62 मे शुरु किया गया था। इसके अन्तर्गत 14 रूसी राष्ट्रिक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और 10 भारतीय उम्मीदवारों के नाम छात्रवृत्तियों के लिए सोवियत सरकार को भेज दिये गए हैं।

(इ) **भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच अध्येताओं का विनिमय :** यह कार्यक्रम भी 1962 में शुरू किया गया था। वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय ने 10 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव संयुक्त अरब गणराज्य सरकार को भेज दिया है। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रिक जिन विषयों के लिए छात्रवृत्तियाँ माँगेगे उनके अनुसार वैज्ञानिक अनुसन्धान और साँस्कृतिक कार्य मन्त्रालय और शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृतियाँ देने के सम्बन्ध में कार्रवाई करेंगे।

एक छात्रवृत्ति के लिए चुने गए एक भारतीय उम्मीदवार का नाम संयुक्त अरब गणराज्य को भेज दिया गया है। शेष तीन छात्रवृतियो का उपयोग उन तीन भारतीय अध्येता ों की अध्ययन अवधि बढा कर किया गया है जो पहले से ही संयुक्त अरब गणराज्य में अध्ययन कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय विज्ञान विषयों पर छः छात्रवृत्तियाँ देने के समम्बन्ध मे कार्रवाई कर रहा है।

IV. भारत सरकार द्वारा भारत में ही अनुसन्धान और उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्तियाँ

ये छात्रवृत्तियाँ भारतीय राष्ट्रिकों के लिए हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ आती हैं :

(अ) **उत्तर-मैट्रिक योग्यता छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना के स्थान पर "राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना" के नाम से एक नई योजना बनाई गई है; पिछली योजना के अन्तर्गत 806 योग्यताओं का अध्ययन 1961-62 मे जारी रहा।

(आ) **उत्तर मैट्रिक के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :** इस वर्ष शुरु की गई सबसे महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय छात्रवृति योजना है। इस योजना के पीछे यह भावना निहित है कि एक समाजवादी समाज में कोई योग्य विद्यार्थी केवल गरीबी के करण उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। यद्यपि आर्थिक सीमाओं के कारण इस समय इस योजना का क्षेत्र छोटा है किन्तु आशा है कि आने वाले वर्षों में इसके क्षेत्र में धीरे-धीरे विस्तार होगा और इसका लाभ इस वर्ग में आने वाले सभी विद्यार्थियों को मिल सकेगा। इस समय इस योजना के अन्तर्गत मैट्रिक (या समकक्ष परीक्षा),इण्टरमीजिएट और डिग्री स्तर की परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर सर्वोच्च विद्यार्थियों को चुना जाता है

तीसरी योजना की अवधि में 12,000 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी (2400 प्रतिवर्ष-1800 स्कूल समावर्तन परीक्षाओं के परिणामों पर; 400 पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम इन्टरमीजियेट के परिणामों पर, और 200 प्रथम डिग्री परीक्षा के परिणामों पर) ये छात्रवृत्तियाँ आय परिक्षण के अधीन रहते हुए दी जाए गी जिसके अन्तर्गत जिन छात्रो के माता पिता । अभिभावको को वार्षिक आय 6,000 रुपये तक है । उन्हे पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी और जिन छात्रों के माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय 6000 रुपये से ऊपर किंतु 12000 रुपए से अधिक नही है, उन्हे आधी छात्रवृत्ति दी जाएगी 1961-62 की 2500 छात्रवृत्तियों में से 2119 छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवार चुने जा चुके हैं और वे अध्ययन कर रहे हैं । शेष 281 छात्रवृत्तियों के उम्मीदवार शीघ्र ही चुने जायेगे ।

(इ) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां : यह एक और योजना इस वर्ष शुरु की गई है ।इसका उद्देश्य उन अध्यापकों की हालत में सुधार करना है जिनका वर्तमान वेतन-मान उनके द्वारा समाज मे किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के अनुरूप नही है अभिप्राय यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के योग्य बच्चो को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए । तीसरी आयोजना की अवधि मे कुल 2500 छात्रवृत्तियाँ (500 प्रतिवर्ष) दी जाएँगी 1961-62 की 477 छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवार चुने जा चुके है शेष 23 छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव जम्मू और काश्मीर सरकार तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रो की सिफारिशों के मिलने के बाद किया जाएगा ।

(ई) मानव विद्याओं में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां : यह योजना 1961-62 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ले ली गई है । इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 80 छात्रवृत्तियाँ ऐसे विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातक या प्रवीण (आनर्स) डिग्री मिली हो । ये छात्रवृत्तियाँ दो साल की अवधि के लिए दी जाती है । 1960-61 के 70 अध्येता और 1961-62 के 80 अध्येता इस समय अध्ययन कर रहे है ।

(उ) विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां : यह योजना भी 1961-62 मे, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से ली गई है । यह 1960-61 में शुरू की गई थी और इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 150 छात्रवृत्तियाँ ऐसे विद्यार्थियों को दी जाती हैं, जिन्होने विज्ञान विषय में स्नातक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो । छात्रवृत्तियो की अवधि सामान्यत: एक वर्ष है और विद्यार्थी की प्रगति सन्तोषजनक रहने पर उसे एक और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इस समय इसके अन्तर्गत 1960-61 के 76 अध्येता और 1961-62 के 150 अध्येता अध्ययन कर रहे हैं ।

V. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिकके बाद के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ

इस योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तीनों वर्गों के विद्यार्थियों को भारत में मैट्रिक के

बाद के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था है। इसका प्रबन्ध राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के हाथों में है। केन्द्र द्वारा जो निधियाँ इन्हें सौंपी जाती हैं उसी मे से इसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। सन् 1961-62 से अनुसूचित कबीलों के विद्यार्थियों के लिये भी एक आय-परीक्षण (जैसा कि अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारो के लिए लागू है) की व्यवस्था की गई है। इसके पीछे यह भाव निहित है कि पिछड़ेपन के लिए जो आर्थिक कसौटी हैं उससे ये विद्यार्थी परिचित हो जाये। भविष्य मे ऐसी छात्रवृत्तियाँ देने मे इस प्रकार की आर्थिक कसौटी को ही आधार माना जाएगा।

VI. रिहायशी स्कूलों में छात्रवृत्तियां

रिहायशी स्कूलों में छात्रवृत्ति की योजना का उद्देश्य यह है कि पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर ऐसे विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो सके जो अन्यथा इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो। हर वर्ष 1,00,000 रुपये की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। 1961 में 63 अधिछात्रों ने नियत किये हुए स्कूलो में प्रवेश लिया। वर्ष 1961-62 के लिये 65 उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की घोषणा हाल ही मे की गई है। इस योजना के अन्तर्गत इस समय कुल 212 अधिछात्र अध्ययन कर रहे है। पब्लिक स्कूलों (जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य है) की वर्तमान सूची में कुछ अच्छे रिहायशी स्कूलो के नाम और जोड़ने का जो निर्णय किया गया था उसका अनुसरण करते हुए लघुसमित ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। अभी तक 12 स्कूल और चुन लिए गए हैं।

VII. राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा शिक्षा सम्बन्वि अन्य सुविधाएं

ये छात्रवृत्तियां 1959-60 में आरम्भ की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें नीचे लिखी रियायते दी जाती है :—

(क) मान्यता प्राप्त प्राथमिक, बुनियादी, मिडिल और हाई स्कूलों में प्रवेश के लिए, तथा पूरी फीस माफी व आधी माफी के मामलों पर विशेष रूप से विचार,

(ख) मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों से संलग्न छात्रावासों में नि शुल्क स्थान. और

(ग) प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को सीमित सख्या में वृत्तिकायें और पुस्तकों के लिए अनुदान। इस योजना का प्रबन्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के हाथों में है। इसके लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार कुल खर्च का आधा अनुदान के रूप में देती है, जब कि सघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में पूरा का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है।

III. आंशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना

जिन विद्यार्थियों का शिक्षा सम्बन्धी रिकार्ड अच्छा हो तथा जिन्होने किसी विदेशी

विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो या किसी विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था से छात्रवृत्तियाँ आदि प्राप्त कर लीं हों और फिर भी जिन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो उनके यात्रा-व्यय और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए ऋण दिए जाने की व्यवस्था इस योजना में की गई है। 1961-62 में छ: गैर-सरकारी छात्रों को 7,100 रु० की रकम ऋण के रूप में दी गई। इस योजना के अन्तर्गत जो कुल व्यवस्था है, उसमें से निर्दिष्ट रकम ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी में भारतीय मिशनों को सौंपी गई है ताकि कठिनाई के समय भारतीय छात्रों की वे मदद दे सकें। इन मिशनों द्वारा अब तक विद्यार्थियों को 3,500 रु० दिये गये हैं।

IX. दूसरा राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन

यह महत्वपूर्ण सम्मेलन नई दिल्ली में जनवरी 1962 में हुआ। इसमें मेजवान भारत सरकार थी। इस सम्मेलन में 13 राष्ट्रमंडलीय देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। इनमे से अधिकांश का नेतृत्व उनके शिक्षा मंत्रियों ने किया। भारत के शिक्षा मन्त्री इस सम्मेलन के सभापति चुने गए। सम्मेलन ने अपने 13 दिन के सत्र में राष्ट्र मण्डलीय वृत्तियों की आक्सफोर्ड आयोजना और अन्य सम्बन्धी मामलो पर पुनर्विचार किया और अध्यापको के प्रशिक्षण, अध्यापको की पूर्ति, छात्रवृतियों की प्रबन्ध व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक महत्व पूर्ण सिफारिशें कीं।

X. वित्तीय व्यवस्था : इस अध्याय में उल्लिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए की गई वित्तीय व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	छात्रवृत्ति-योजना	1961-62 के लिये व्यवस्था	1962-63 के बजट मे व्यवस्था
1	2	3	4
1.	विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना	1,40,000	2,32,700
2.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समुद्र पार छात्रवृत्तियां	2,00,000	2,00,000
3.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यात्रा अनुदान	.	
4.	संघ राज्य क्षेत्र समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना	26,900	27,200

5.	संयुक्त राष्ट्र संघ की समाज कल्याण छात्रवृत्ति और अधिवृत्ति योजना	26,000	42,500
6.	विदेशी सरकारों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियाँ(जिन छात्रवृत्तियों मे यात्रा खर्च की व्यवस्था नहीं हो उनके लिये इसके अन्तर्गत यात्रा खर्च की व्यवस्था है)	15,000	15,000
7.	सामान्य छात्रवृत्ति योजना	15,00,000	18,10,000
8.	राष्ट्र मंडल छात्रवृत्ति अधिवृत्ति योजना (आयोजित)	3,00,000	5,95,200
9.	फ्रेंच अधिवृत्ति योजना	10,000	10,000
10.	भारत जर्मनी औद्योगिक सहयोग योजना	15,000	45,000
11.	परस्पर छात्रवृत्ति योजना	26,000	38,000
12.	भूटानी और सिक्कमी छात्रो को छात्रवृत्तियां	3,57,000	4,10,000
13.	दक्षिण, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशो को छात्रवृत्तियाँ/अधिवृत्तियाँ (कोलम्बो आयोजना)	1,75,200 (यह रकम वित्त मन्त्रालय से ली गई थी।)	1,56,000
14	भारत और रूमानिया के बीच अध्येताओं के विनिमय का कार्यक्रम		-
	(क) रूमानियाँ के राष्ट्रिकों के लिये	7,000	7,500
	(ख) भारतीय राष्ट्रिकों के लिये	2,400	—
15.	भारत और सोवियत रूस के बीच अध्येताओं के विनिमय का कार्यक्रम	-	-

	(क) रूसी राष्ट्रिकों के लिये	10,500	47,250
	(ख) भारतीय राष्ट्रिको के लिए	1,500	14,800
16.	उत्तर-मैट्रिक योग्यता छात्रवृत्ति योजना	9,60,000	8,63,500
17.	*मानव विद्याओ में अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियाँ	10,52,000	—
18.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	15,000	15,000
19.	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो के अध्यापकों के बच्चों के लिये योग्यता छात्रवृत्तियाँ	—	5,23,000
20.	विज्ञान/मानव विद्याओं के लिये स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	—	4,98,000
21.	अनुसूचित जातियो, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों की भारत में मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियाँ	2,22,63,000	2,22,63,000
22.	रिहायशी स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियाँ	5,20,000	8,20,000
23.	राजनैतिक पीड़ितो के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ/दूसरी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें	3,00,000	10,00,000
24.	आँशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना	15,000	15,0000
25.	दूसरा राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन	2,00,000	—

*अक्तूबर 1961 में यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दी गई ।

इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्तियाँ देने के लिए 1,20,000 की व्यवस्था भी की गई । ये छात्रवृत्तियाँ इग्लैंड मे होने वाले प्रभारों के अंतर्गत हैं । 28 फरवरी 1962 तक 69,937 रुपयें की रकम खर्च की जा चुकी है । 1962-63 के लिये 80,000 रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

छठा अध्याय

शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और युवक कल्याण

शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक कल्याण सम्बन्धी शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं की प्रगति की सक्षिप्त समीक्षा अगले पैराग्राफों मे दी जा रही है ।

अ—शारीरिक शिक्षा

इस क्षेत्र की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अधीन चालू किए गए कार्यक्रम का समेकन और विस्तार करना है । इसीलिए पिछली आयोजना के अनेक कार्यक्रम इसमे चालू रखे गए है ।

1. **लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर** : इस कालेज की स्थापना ग्वालियर मे, 1957 मे एक ऐसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे की गई थी जो शारीरिक शिक्षा में तीन साल के डिग्री कोर्स के प्रशिक्षण की सुविधाए दे सके । प्रथम चार वर्षों मे इस कालेज से 40 स्नातक निकले है । इस कालेज मे प्रवेश चाहने वालो का उत्साह बढ़ रहा है और यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष तक यह कालेज 100 विद्यार्थियो को प्रवेश देने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा । 1961 मे इसमे 10 छात्राओ ने भी प्रवेश प्राप्त किया । यह भी विदित रहे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कालेज के स्नातको को अन्य प्राध्यापको के समान वेतन-मान दिया है जब ये स्नातक कालेजो / विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के निदेशक नियुक्त किए जाएंगे ।

कालेज इन सुविधाओं के विकास की व्यवस्था बड़ी तीव्र गति से कर रहा है और आशा है कि इसका भवन तथा प्रशासनिक खंड अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा ।

2. **राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन** : भारत सरकार ने 1960 मे इस राष्ट्रीय योजना को आरंभ किया था । इसका उद्देश्य लोगो में शारीरिक स्वस्थता के प्रति रुचि उत्पन्न करना और ऊंचे स्तर की शारीरिक कुशलता एव उपलब्धियो के प्रति उनमे उत्साह जागृत करना था ।

जुलाई, 1961 मे भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों एव अन्य लोगों के परामर्श से इस योजना को लागू करने के तरीकों में सशोधन किया गया । परीक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियो का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जिसमें कार्यकर्त्ता अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों और

उनके कार्य में एकरूपता हो—इस विचार से राज्य सरकारों ने भारत सरकार की खंड अनुदान सहायता से तीन दिनो के अनुस्थापन पाठ्यक्रमों का संगठन किया। चालू वर्ष के दौरान, उन एक या दो राज्यों को छोडकर जिनकी सूचना अभी आनी है, 1035 केन्द्रों मे ये परीक्षण किए गए; जिनमे 1, 50, 000 व्यक्तियो ने भाग लिया। पिछले आन्दोलनो की अपेक्षा यह पर्याप्त प्रगति की द्योतक थी। भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि नई दिल्ली मे वार्षिक प्रतियोगिता कर के इस विषय मे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाए। इस प्रतियोगिता मे प्रत्येक राज्य अपने तीन स्टार जीतने वाले सर्वोत्तम छ: विजेताओ को भाग लेने के लिए भेजे। 1961-62 की प्रतियोगिता अक्तूबर 1962 मे होगी।

3. **गैर-सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान:** इस योजना का उद्देश्य अनावर्ती अनुदान द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत बनाना है। यह अनुदान खेल के मैदानो को अच्छा बनाने के लिए, खेल-कूद सम्बन्धी उपकरण और पुस्तके खरीदने के लिए, व्यायाम-शालाओं का निर्माण करने के लिए, छात्रावासो और प्रशासनिक भवनों का निर्माण करने के लिए दिया जाएगा। धनराशि की अल्पता को ध्यान मे रखते हुए इस योजना के अधीन दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल गैर-सरकारी संस्थाओ तक सीमित रखी गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए व्यायाम-शाला के नमूने के नकशे के आधार पर उन नौ संस्थाओ से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव मागे गए है, जिनकी इस कार्य से सबधित प्रायोजनाए प्रादेशिक दौरा समितियों द्वारा अनुमोदित हो चुकी थी। आशा है कि आलोच्य वर्ष तथा अगले वर्ष मे योजना की निर्धारित धन राशि का उपयोग अधिकाश रूप से इस प्रकार के कामों मे किया जाएगा।

4. **शारीरिक शिक्षा (इसमें योग भी शामिल है) की विशेष शाखाओं में अनुसंधान को प्रोत्साहन :** इस योजना के अन्तर्गत दो उपयोजनाए है। पहली उपयोजना मे 200 रु० प्रति मास की चार छात्रवृत्तियाँ हैं जो प्रति वर्ष चुने हुए कुछ देशीय शारीरिक क्रिया कलापों मे विशेषज्ञता प्राप्त करने और अनुसंधान करने के लिए दी जाती है। प्रत्येक छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष है। इस वर्ष ये छात्रवृत्तियां योग, कुश्ती, कबड्डी और लोक नृत्यो के लिए दी गई थी। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने इस योजना की प्रगति पर विचार किया है और इस बात की सिफारिश की है कि छात्रवृत्तियां केवल अनुसंधान के लिए सीमित रखी जाएं और वे मुख्य रूप से शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों के लिए हों। इसलिए इस सिफारिश के अनुसार 1962-63 में इस योजना के स्वरूप में संशोधन करने का विचार है। दूसरी उपयोजना योग में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और जनसाधारण में यौगिक क्रियाओं और आसनों को लोक प्रिय बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की है। इस योजना के अधीन कैवल्यधाम श्रीमन्

माधव योग मन्दिर समिति, लोनावला, और विश्वायतन योग आश्रम (दिल्ली और कटरा वैष्णव देवी शाखाओं) को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जारी रखी गई है।

भारत सरकार ने आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है जिसको यौगिक क्रियाओं के चिकित्सा सम्बन्धी महत्व का मूल्यांकन करने और योग सम्बन्धी संस्थाओं के वैज्ञानिक विकास के उपाय बताने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है। स्वास्थ्य मन्त्रालय के निकट सहयोग से, अब इस समिति की सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है।

5. **स्वास्थ्य शिक्षा:** स्वास्थ्य शिक्षा और पोषाहार समिति की पाठ्यक्रम-उपसमिति ने 11-14 और 14-17 आयु-वर्गों के लिए पाठ्यक्रम का मसौदा अभी तैयार किया है। इस पर राज्य सरकारों की टीका-टिप्पणियाँ भी प्राप्त हो चुकी है। अब दिल्ली के कुछ चुने हुए स्कूलों मे इसका प्रयोग किया जाएगा।

6. **शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केन्द्रीय सलाहकार मंडल:** सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करके शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल का पुनर्निर्माण पहले से अधिक व्यापक आधार पर किया गया है। इस पुनर्निर्मित मंडल की पहली बैठक दिसम्बर, 1961 में हुई थी। मंडल ने अनेक उपसमितियाँ बनाई हैं जो स्कूल की पाठ्यचर्या मे शारीरिक शिक्षा का स्थान, इस क्षेत्र के प्रशिक्षण कालेजो के कार्य की उन्नति के उपाय, अनुसंधान कार्य का संगठन, उपयुक्त प्रकाशनों को प्रोत्साहन और कुछ चुनी हुई संस्थाओं मे मनोरंजन विभागो का संगठन, आदि महत्त्वपूर्ण विषयो की विस्तृत जाच करेगी।

आ—खेल-कूद

1. **राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान :** राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान ने मार्च, 1961 में अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस संस्थान का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा नामित एक स्वायत्त शासी मण्डल करता है।

यह संस्थान मोतीबाग, पटियाला, में स्थित है। इसमें लगभग 327 एकड़ जमीन है, जो भारत सरकार ने पंजाब सरकार से प्राप्त की थी।

[illegible]

भारतीय शिक्षक हैं। इसका पहला तदर्थ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 1961 में पूर्ण हुआ, जिसमें इस व्यवसाय के 132 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अप्रैल, 1962 मे पूर्ण होने वाले दूसरे तदर्थ पाठ्य-क्रम में 146 प्रशिक्षणार्थी हैं। सम्बंधित खेल कूद के व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त खेल-कूद शिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्त, शिक्षण

का मनोविज्ञान, स्वास्थ्य और सफाई, शरीर विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, भौतिक चिकित्सा और प्राथमिक सहायता आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

1 अक्तूबर, 1961 से राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना को राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान मे विलीन कर दिया गया है। इस योजना मे काम करने वाले सभी पूर्णकालिक शिक्षकों को और उन अशकालिक शिक्षकों को जो तदर्थ पाठ्यक्रम को सफलता-पूर्वक समाप्त कर के पूर्णकालिक शिक्षक बनना चाहते थे, इस सस्थान मे रख लिया गया है।

इस राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान की स्थापना और राष्ट्रीय खेल कूद शिक्षण योजना का सगठन करके देश के खेलकूद के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए पहला महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

2. **राष्ट्रीय खेलकूद सघों, संस्थाओं को सहायता :** राष्ट्रीय खेलकूद संघ देश में खेलकूद को उन्नत कर रहे है। ये स्वैच्छिक और स्वायत्त सस्थाएँ है। अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने प्रत्येक खेल के लिए ऐसी एक सस्था को मान्यता दे रखी है। परिषद् के परामर्श से इन सस्थाओं को (क) राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता की व्यवस्था करने के लिए, (ख) खेल-कूद प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए, (ग) भारतीय टीमो को अन्तर्राष्ट्रीय खेलो मे भाग लेने के लिए भेजने और विदेशी टीमों एव खिलाड़ियो को भारत मे बुलाने के लिए. (घ) वैतनिक सहायक सचिवों को रखने और अन्य व्यवस्था संबधी खर्चो के लिए और (ङ) खेल कूद का सामान खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. **स्टेडियम निर्माण :** अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् की सलाह से अब राज्य सरकारो और राष्ट्रीय खेलकूद सस्थाओ को अनुदान दिए जा रहे है, जिनसे ऐसे उपयोगी स्टेडियम बनाए जाएँ जिन पर 1,00,000 रु० से अधिक खर्च न हो। इस राशि मे जमीन का मूल्य शामिल नही है। प्रत्येक स्टेडियम के लिए केन्द्र से मिलने वाली सहायता 25,000 रु० तक सीमित है। अभिप्राय यह है कि इस काम के लिए जितनी धन राशि उपलब्ध है उससे अधिक से अधिक स्टेडियम बना लिए जाएँ।

4. **क्रीड़ा-ग्राम की स्थापना :** दिल्ली में राजघाट के पास एक क्रीडा-ग्राम स्थापित करने की योजना है। आशा है कि 1962-63 में यह योजना अन्तिम रूप धारण कर लेगी। अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने इस प्रायोजना के विवरण तैयार करने के लिए एक समिति बना दी है।

5. **अखिल भारतीय खेलकूद सभा :** अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद के परामर्श से इस मंत्रालय ने मार्च. 1962 में अखिल भारतीय खेलकूद सभा का आयोजन किया। इस सभा मे अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के और राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के शासी मंडल के

सदस्यों ने, राष्ट्रीय खेलकूद संघो और राज्य खेलकूद परिषदो के अध्यक्षों और सचिवों ने, तथा विख्यात खेलकूद विषयक लेखको और प्रसिद्ध खिलाडियो ने भाग लिया। इस सभा मे देश की खेलकूद सम्बन्धी व्यवस्था के विभिन्न प्रश्नो पर विचार किया गया। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् जब इस सभा की रिपोर्ट की जाच कर लेगी तो भारत सरकार द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

6. **वर्ष के चुनिंदा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार:** अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सलाह से भारत सरकार ने इस योजना का अनुमोदन किया है कि प्रत्येक प्रमुख खेल मे वर्ष के चुनिंदा खिलाडियो को "अर्जुन पुरस्कार" नामक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। "1961 के खिलाड़ी" क्रम से विभिन्न खेलों के चुनिदा खिलाडियों को राष्ट्रपति भवन मे आयोजित कार्यक्रम मे उपराष्ट्रपति ने 20 अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए।

इ—श्रम और समाज सेवा योजना

यह योजना पहली दो आयोजनाओं मे चल रही थी और अब तीसरी आयोजना में भी चालू रखी गई है। योजना दो भागो मे है — (क) श्रम और समाज सेवा शिविर और (ख) परिसर कार्य प्रायोजनाएँ।

(क) श्रम और समाज सेवा शिविर : इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों तथा अन्य युवको मे शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना और उन्हे ग्रामीण जीवन के निकट सम्पर्क मे लाने और ग्रामोत्थान कार्य मे श्रमदान के लिए अवसर प्रदान करना है। शिविरों मे भाग लेने वाले व्यक्ति अधिकतर स्कूलो और कालेजो के विद्यार्थी होते हैं और इन शिविरो की अवधि 10 से 30 दिन तक की होती है। शिविर मे भाग लेने वाले व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह प्रतिदिन 4 घटे श्रमदान करे। शिविर मे भाग लेने वाले लडके प्रायः इस प्रकार के काम करते है—जैसे, सडके बनाना, गन्दा पानी जज्ब करने के लिए गढे खोदना, नहरे, जलाशय, नालियाँ और गाँव के कुए खोदना, बाँध बनाना, गाँव की गलियो को चौड़ा करना, वन लगाना, भूमि संधारण करना और गाँव तथा स्कूल के खेल के मैदानो का निर्माण और सुधार आदि करना। शिविर मे भाग लेने वाली लड़कियाँ इस प्रकार के काम करती है, जैसे—गाँव की वातावरण सम्बन्धी सेवाएं जैसे व्यक्तिगत सफाई गाँव की सफाई, रोगी की गृह-परिचर्या, बच्चो की देख-भाल, रोगी की देख-भाल और कपड़े सीना-पिरोना आदि। इस योजना को विश्वविद्याल्य, राज्य सरकारें, राष्ट्रीय कैडिट कोर निदेशालय और भारत सेवक समाज, भारत स्काउट्स और गाईडस् और वाई एम० सी० ए० जैसी अखिल भारतीय स्तर की स्वैच्छिक संस्थाए चला रही है। विभिन्न विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के नामो की एक सूची बनाली गई है जो विभिन्न सगठनो द्वारा आयोजित शिविरो का निरीक्षण करेंगे।

1961-62 के लिए 14 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। अप्रैल, से 31 मार्च 1962 के दौरान श्रमिक और समाज सेवा शिविर लगाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को 13, 82, 694, 70 रु० का अनुदान मंजूर किया गया। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम सं० संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	शिविरों की संख्या
1. राज्य सरकारें	23,869.62	9
2. राष्ट्रीय कैडिट कोर निदेशालय	5,32,000.00	35
3. विश्व विद्यालय	11,667.33	5
4. भारत सेवक समाज	8,03,409.75	1200 (लगभग)
5. भारत स्काउट्स और गाईड्स	1,902.00	1
6. वाई० एम० सी० ए०	9,846.00	4
कुल जोड़—	13,82,694.70	1,254 (लगभग)

(ख) **परिसर कार्य प्रायोजनाएँ**—इस योजना का उद्देश्य अत्यन्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना है। जैसे—मनोरंजन के लिए हाल-जो सभा-भवन के रूप में भी काम आ सकें, तैरने के जलाशय, व्यायामशालाएं, खुली रंगशालाएं, मंडप, क्रीड़ास्थल और सिंडर ट्रेक के चारों ओर दर्शकों के लिए छोटे स्टेडियम। इस उद्देश्य के लिए अनुदान देने की शर्तों में से एक यह है कि अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारी और विद्यार्थी भी प्रायोजना में कुशल अकुशल श्रम प्रदान करें। स्वैच्छिक श्रम के खर्च के अतिरिक्त बाकी वास्तविक खर्च का कम से कम 25 प्रतिशत या अधिक संस्थाओं को देना होगा। निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार ये अनुदान तीन या चार किस्तों में दिए जाऐंगे।

1961-62 के लिए 20 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1962 के दौरान 234 प्रायोजनाओं के लिए 19.49 लाख रु० की मंजूरी दी गई है।

ई—युवक कल्याण

युवक कल्याण कार्यक्रम के अधीन लागू की जानेवाली योजनाओं का विवरण इस प्रकार हैं।

1. **विद्यार्थियों के लिए भ्रमण-कार्यक्रम** इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियो को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है जिनसे वे ऐसे स्थानों का शैक्षिक भ्रमण कर सके जो ऐतिहासिक महत्त्व के है या जो प्राकृतिक सौदर्य, सास्कृतिक महत्त्व वास्तुकलात्मक भव्यता आदि की दृष्टि से दर्शनीय है एव, ऐसे स्थानो को भी देख सके जहाँ महान् राष्ट्रीय प्रायोजनाओ पर काम हो रहा है । इस वर्ष मे ये सुविधाएं केवल सघराज्य क्षेत्र में पढने वाले विद्यार्थियो तक ही सीमित रही हैं । यह मत्रालय इस प्रकार के भ्रमणो के लिए रेल के और या बस के तीसरे दर्जे का पूरा किराया देता है ।

मार्च 1962 तक 35 सस्थाओ को 66, 305 रु० के अनुदान दिए गए । इससे एक हजार सताईस विद्यार्थी और 87 अध्यापक लाभान्वित हुए ।

2. **युवक होस्टल:** इस योजना का उद्देश्य नवयुवकों को सस्ते निवास की सुविधा देकर पद-यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना है । युवक होस्टल के निर्माण पर प्रति होस्टल अधिक से अधिक 40,000 रु० तक होने वाला पूरा खर्च यह मत्रालय देता है ।

मार्च 1962 तक अपने-अपने राज्य मे एक युवक होस्टल बनाने के लिए पश्चिमा बगाल, उड़ीसा और आध्रप्रदेश की सरकारों को 80, 000 रु० का अनुदान दिया गया । इसके अलावा 15,000 रु० का अनुदान भारत की युवक होस्टल सभा को दिया गया है, जिससे कि वह चालू वर्ष में अपने प्रशासनिक व्यय का 50%पूरा कर सके ।

3. **युवक समारोह** . इस योजना का उद्देश्य विभिन्न सास्कृतिक एव कलात्मक क्षेत्रों मे युवको की अव्यक्त एव अर्धव्यक्त प्रतिभा को प्रकाश मे लाना है । इन समारोहो से एक और अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न होता है—वह यह कि देश के विभिन्न प्रदेशों के युवक एक मुक्त एव मैत्रीपूर्ण स्पर्धा के वातावरण मे इकट्ठे होते है और एक दूसरे से अपने विचारो का आदान प्रदान करते है । इससे भावनात्मक एकता स्थापित करने मे सहायता मिलती है ।

इस समारोह श्रृंखला मे एक वर्ष के बाद 1961 मे 25 अक्तूबर से 31 तक इस मत्रालय ने सातवाँ अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह किया जिस मे 36 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया । इस समारोह का कार्य एवं रूप पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृत था । कलात्मक कार्यक्रमों के स्थान पर इसमें वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसे बौद्धिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था । समारोह की प्रात: काल की बैठकों मे पूर्णतया इसी प्रकार के बौद्धिक कार्यक्रम हुए, जिनमें भाग लेने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को विशेष रूप से चुने हुए लोग भेजने के लिए कहा गया था । शिविर का संगठन करने में इस बात का विशेष प्रयत्न किया गया कि देश के विभिन्न प्रदेशो से आने वाले छात्र एक दूसरे से मिलजुल सके और अपना

सम्पन्न सांस्कृतिक परम्पराओं के गौरव को समझ सकें। इसमें भाग लेने वालों की संख्या 796 थी और इस पर लगभग 1, 80, 000 रु० का खर्च हुआ।

इस मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह मे भाग लेने वाले छात्रों का चुनाव करने के लिए विश्वविद्यालयो से कहा गया था कि वे अन्तर-कालेज युवक समारोहों की व्यवस्था करे। इनके अनुमत्य कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रु० प्रति समारोह थी।

4. **युवक कल्याण मण्डल और समितियां :** इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी विशिष्ट व्यवस्था स्थापित करना है जिससे कि विद्यार्थियो के लिए युवक कल्याण कार्यक्रम चलते रहे। अब तक पंजाब, जादवपुर, पटना, वल्लभभाई, भागलपुर, केरल, उसमानिया, आगरा, अन्नामलाई, राजस्थान और गुजरात विश्वविद्यालयों ने ऐसे मंडल कायम किए है। यह मंत्रालय इन मंडलो के प्रशासनिक व्यय का 50 प्रतिशत देता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रु० प्रति मंडल है।

5. **युवक नेतृत्व और नाट्य-प्रशिक्षण शिविर :** इस योजना का उद्देश्य कालेजो के प्राध्यापकों को युवक नेतृत्व और नाटक प्रस्तुत करने की तकनीको के सम्बन्ध में अल्पकालीन प्रशिक्षण देना है। इस वर्ष हाल ही मे इस प्रकार का एक शिविर पीरमादा, केरल राज्य में लगाया गया है।

उ—स्काऊट और गाईड सेवाएं

देश में स्काऊटों और गाईडो की सेवाओ को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने "भारत स्काऊट्स एण्ड गाईड्स" नामक स्वैच्छिक सस्था को सरकारी मान्यता प्रदान कर दी है। प्रशिक्षण शिविर लगाने, राष्ट्रीय जम्बूरियों का आयोजन करने, शिविर उपकरण खरीदने और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि मे भाग लेने के लिए भारतीय स्काऊटो और गाईडों को भेजने के लिए इस संस्था को आर्थिक सहायता दा जाती है।

ऊ—राष्ट्रीय अनुशासन योजना

इस योजना का उद्देश्य शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों द्वारा बच्चों में देश-प्रेम की भावना उत्पन्न करके उन्हे अच्छे नागरिक बनाने की प्रेरणा देना है और उनमें आत्म विश्वास और सहिष्णुता जगाकर उन्हे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य बनाना है।

यह योजना इस समय जम्मू और काश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल

प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मैसूर, अंडमान और निकोबार द्वीप राज्यो / सघ राज्य क्षेत्रो मे चल रही है। इसके अन्तर्गत आनेवाली सस्थाओ की सख्या 2,100 है और इस मे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो की संख्या 12,00 000 है।

1961-62 मे इस योजना पर 46,06,000 रु० खर्च किए गए है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षणार्थी-शिक्षको को समान और व्यवस्थित प्रशिक्षण देने की दृष्टि से अक्तूबर 1960 से सारिसका पैलेस, अलवर मे एक केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान स्थापित किया गया है। इसमें रा० अ० यो० के शिक्षकों को छः महीने का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष लगभग 1,200 शिक्षक इस प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकले है।

ए—बालभवन तथा राष्ट्रीय बाल संग्रहालय

दिल्ली के बच्चो की मनोरजन और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने प्रायोगिक प्रायोजना के रूप मे एक बाल भवन और एक राष्ट्रीय बाल सग्रहालय स्थापित किए है। बाल भवन अपने स्थायी स्थान कोटला रोड पर चल रहा है। यहाँ लगभग 380-400 बच्चे प्रतिदिन आते है। ये बच्चे, नृत्य,नाटक, सगीत, चित्रकला, मिट्टी के खिलौने बनाना आदि विभिन्न कार्यक्रमो मे भाग लेते है। बच्चो की रेल तो बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुई है। खुली रगशाला शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाली है और तैरने के लिए जलाशय बनाने का काम शुरू कर लिया गया है।

राष्ट्रीय बाल सग्रहालय बालभवन का अनुपूरक है। बालभवन से सलग्न संग्रहालय का भवन बनाने के सशोधित नक्शो पर विचार किया जा रहा है। इस वर्ष पोलैंड के दूतावास ने सग्रहालय को कुछ तामीरी सामान और फर्नीचर भेट किया है। यह सामान भारतीय उद्योग मेले मे पोलैंड के मंडप मे लगा हुआ था। हाल ही में जब श्रीमती केनेडी दिल्ली में आई थी, तो उन्होने भारत के बच्चों को न्यूयार्क के "बाल कार्निवाल" का परिचय कराया था, जिसे न्यूयार्क का आधुनिक कला संग्रहालय चला रहा है। राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ने इस कार्निवाल का आयोजक बनना स्वीकार कर लिया है। यह कार्निवाल पहले दिल्ली में लगाया जाएगा और फिर 1962-63 मे देश के प्रमुख नगरों में ले जाया जाएगा।

ऐ—वित्तीय व्यवस्थाएँ

इस अध्याय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, युवक-कल्याण आदि की जिन योजनाओं की चर्चा की गई है उनके लिए की गई वित्तीय व्यवस्था का ब्योरा इस प्रकार है:—

योजना	वित्त-व्यवस्था 1961—62	बजट में वित्त-व्यवस्था 1962—63
1	2	3
क) शारीरिक शिक्षा		
1. शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय कालेज	19,00,000	14,00,000
2. राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन	1,00,000	2,00,000
3. शरीरिक प्रशिक्षण सस्थाओ को मजबूत बनाना	1,50,000	6,00,000
4. शारीरिक शिक्षा के अनुसंधान को प्रोत्साहन } 5. योग उन्नति के उपाय }	1,65,000	} 3,75,000
6. शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ	15,000	}
7. शरीरिक शिक्षा और मनोरजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल तथा अन्य समितियो के दैनिक और यात्रा भत्ते आदि	10,000	10.000
(ख) खेल-कूद		
8. राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान	12,00,000	20,00,000
9. राष्ट्रीय खेलकूद प्रशिक्षण योजना	5,00,000	5,00,000
10. राष्ट्रीय खेलकूद संघ को अनुदान	4,00,000	6,50,000
11. स्टैडियम निर्माण	4,00,000	1,50,000
12. अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की बैठकों के लिए दैनिक और यात्रा भत्ते आदि और विविध	30,000	30,000
13. क्रीड़ा-ग्राम का निर्माण	—	2,00,000

(ग) श्रम और समाज-सेवा शिविर तथा परिसर कार्य प्रायोजना

14. श्रम और समाज सेवा शिविर	14,00,000	12,00,000
15. परिसर-कार्य-प्रायोजनाएँ	20,00,000	25,00,000
(घ) युवक कल्याण कार्यक्रम		
16. विद्यार्थी-भ्रमरा	50,000	2,32,000
17. युवक होस्टल	1,20,000	2,63,000
18. युवक समारोह	2,30,000	2,15,000
19. युवक कल्याण मंडल और समितियाँ शिविर	40,000	27,000
(ङ) स्काउट और गाइड सेवाएँ	3,75,000	4,75,000
(च) राष्ट्रीय अनुशासन योजना	39,26,000	57,60,000
(छ) बाल भवन	5,50,000	5,10,000
(ज) राष्ट्रीय बाल संग्रहालय	3,00,000	5,00,000

सातवां अध्याय

समाज-शिक्षा

समाज शिक्षा का उद्देश्य वयस्कों को ऐसी शिक्षा देना है कि वे अपना जीवन अच्छा बना सके। साधनों के सीमित होने के कारण इस वर्ष यह आवश्यक हो गया था कि समाज शिक्षा के कार्यक्रमों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयो तक ही सीमित रखा जाए:—

(क) उद्योग कर्मचारियो को शिक्षित करने की प्रायोगिक प्रायोजनाओं पर काम करना ;

(ख) कार्यकर्त्ताओ को पुस्तकालय सेवा का प्रशिक्षण देना ,

(ग) दिल्ली में पुस्तकालय सेवा का प्रायोगिक प्रायोजना के रूप में विकास करना;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियो के साथ सहयोग करना ;

(ङ) स्वेच्छा से काम करने वाले संगठनों और संस्थाओं को सहायता देना ;

(च) नव-साक्षरो और नये पाठको के लिए साहित्य रचना आदि कुछ अनुषंगी सेवाओं को सहायता देना।

2. इस वर्ष इस क्षेत्र मे जो कार्य हुए है उनके महत्वपूर्ण ब्यौरे आगे लिये जा रहे हैं।

3. **कार्यकर्त्ता संस्थान, इन्दौर** : केन्द्रीय प्रायोगिक प्रायोजना के रूप मे नवम्बर, 1960 मे इन्दौर में कार्यकर्त्ता संस्थान की स्थापना की गई। अपने प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस सस्थान ने इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम किए जो नीचे दिए जा रहे है :—

(क) काम करने वाले लोगो के मन मे ज्ञान अर्जित करने की इच्छा जाग्रत करना;

(ख) उनमे सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना ;

(ग) उनकी रुचियो का सीमा विस्तार करने के लिए और सामान्य शिक्षा के लिए सुविधाएं जुटाना ;

(घ) स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना।

4. यह वर्ष इस संस्थान का पहला वर्ष है फिर भी इसमें बहुत से कार्यक्रम किए गये। इस संस्थान ने काम करने वाले लोगों को संगीत, ड्राइंग, हिन्दी और अंग्रेजी सीखने की सुविधाएं दीं। काम करने वाली स्त्रियों के लिए भी इसने हस्त कला और साक्षरता

कक्षाएँ लगाई। कवि गोष्ठियाँ, विविध मनोरजन, विचार गोष्ठियाँ, वाक् प्रतियोगताएँ आदि सास्कृतिक कार्यक्रमो की भी व्यवस्था की। औद्योगिक कर्मचारियों की मुख्य बस्तियो में रामायण की शिक्षा पर आधारित साप्ताहिक वर्ग-चर्चाएं भी नियमित रूप से की गई। घरों को अच्छी तरह से कैसे साफ रखा जाय, इस विषय पर कुछ भाषण दिए गए और उसके बाद "साफ घरों" की तीन प्रतियोगताएँ की गई, जिन में 52 परिवारों ने भाग लिया जिनके 312 सदस्य थे। सस्थान ने एक खासा अच्छा पुस्तकालय भी बना लिया है। इस वर्ष पुस्तकालय के सदस्यों की सख्या 49 से बढकर लगभग 450 तक पहुंची और पुस्तकों का दैनिक लेन-देन भी 111 से बढकर 739 तक पहुच गया।

5. **पुस्तकालय-विज्ञान-सस्थान--दिल्ली :** यह सस्था मार्च, 1569 मे आरम्भ की गई थी। इस वर्ष इस मे तीसरा एक-वर्षीय डिप्लोमा-पाठ्य क्रम और पुस्तकालय विज्ञान का मास्टर डिग्री कोर्स चलाया गया। लगभग 50 विद्यार्थी डिप्लोमा-पाठ्यक्रम के लिए और 9 विद्यार्थी मास्टर डिग्री कोर्स के लिए दाखिल किए गए। यूनेस्को द्वारा भेजे गए चार ईराकी पुस्तकाध्यक्षो के लिए छह महीने के एक विशेष "उच्च पुस्तकाध्यक्ष-पाठ्यक्रम" की व्यवस्था की गई।

6. **दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी :** यह पुस्तकालय मूल रूप मे शिक्षा मत्रालय ने 1951 मे यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया था। इसका उद्देश्य धर्म, जाति और सम्प्रदाय की भावनाओं से निरपेक्ष रह कर सभी नागरिको को निःशुल्क सार्वजनिक-पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करना और विशेष रूप से नव-साक्षरो और बच्चो की आवश्यकताओं को पूरा करना था। यह लाइब्रेरी अब भी एक केन्द्रीय प्रायोजना के रूप में चल रही है। इस पुस्तकालय की सदस्य सख्या 1,000 से बढ़कर 46,000 हो गई है और पुस्तकों की संख्या 15,000 से बढ़कर 1,58,000 हो गई है। इसकी 60 प्रतिशत पुस्तकें हिन्दी मे है। इस वर्ष पुस्तको के दैनिक निर्गम की औसत संख्या लगभग 5,000 रही है। इसमे मुख्य पुस्तकालय और नगर एव ग्रामीण क्षेत्रों के 20 जमा केन्द्रों और 38 सेवा केन्द्रों से निर्गत पुस्तके भी शामिल हैं। इन केन्द्रों में पुस्तके पहुंचाने की व्यवस्था दो पुस्तकालय वाहनों से की जाती है। इस पुस्तकालय का संदर्भ अनुभाग बहुत ही लोकप्रिय रहा है। पुस्तकालय के बाल विभाग और समाज शिक्षा विभाग ने इस वर्ष वर्ग चर्चाएँ, फिल्म प्रदर्शन और संगीत समारोह जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1962-63 में इस पुस्तकालय में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल-प्रणाली विभाग खोलने का विचार है। पुस्तकालय की यह भी आयोजना है कि नगर के एक अस्पताल में अन्तरंग रोगियों के लिए पुस्तकालय की एक शाखा खोली जाए। दो चलते-फिरते पुस्तकालय और बढ़ाने का भी विचार है।

7. **आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का मसौदा :** पुस्तकालय सलाहकार समिति की

सिफारिश थी कि राज्य सरकारें सार्वजनिक पुस्तकालयों के स्थापन, अनुरक्षण और विकास के लिए विधि का निर्माण करे। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के शिक्षा-सचिव डा० डी० एम० सेन की अध्यक्षता में एक समिति कायम की जिसका काम आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत करना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अब उसकी जांच हो रही है।

8. **मैसूर-राज्य विद्यापीठ कार्यक्रम :** अमेरिका के 'फोर्ड फाउंडेशन' के सहयोग से शिक्षा मत्रालय ने राज्य में एक और विद्यापीठ स्थापित करने के लिए मैसूर राज्य वयस्क शिक्षा परिषद् को सहायता प्रदान की। इस प्रकार वहां कुल 5 विद्यापीठ हो जाएगे। ये विद्यापीठ मुख्य रूप से ग्रामीण युवकों को गाव के कामो मे नेतृत्व करने का प्रशिक्षण देते हैं। 1962-63 मे तीन और विद्यापीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मैसूर राज्य वयस्क शिक्षा परिषद् को दे दी गई है। इससे विद्यापीठों की कुल संख्या आठ हो जाएगी।

9. **समाज शिक्षा और पुस्तकालयों के क्षेत्र में स्वेच्छा से काम करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता :** आलोच्य वर्ष में स्वेच्छा से काम करने वाली ऐसी 14 सस्थाओ और संगठनो को समाज शिक्षा एवं पुस्तकालयों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए 1.56 लाख रु० की सहायता दी गई।

10. **समाज शिक्षा के लिए साहित्य :** इस मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के पाठको, विशेष रूप से नव-साक्षरो, के लिए उपयोगी साहित्य सृजन को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए जो कदम उठाये हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :—

(क) **नव-साक्षरों के लिए लिखी जाने वाली पुस्तकों के लिए पुरस्कार-प्रतियोगिता** . इस वर्ष आठवी प्रतियोगिता मे विभिन्न भारतीय भाषाओ की 323 पुस्तके प्राप्त हुई। इनमे से छत्तीस पुस्तको को 500 रु० प्रति पुस्तक के हिसाब से पुरस्कार मिला। इन छत्तीस पुरस्कृत पुस्तकों मे से 5 पुस्तकों को 500 रु० प्रति पुस्तक के हिसाब से अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में उन 5 सर्वोत्तम पुस्तकों पर 500 रु० प्रति पुस्तक के हिसाब से अतिरिक्त पुरस्कार दिया गया जो 1960-61 मे हुई सातवी प्रतियोगिता की 40 पुरस्कृत पुस्तकों मे से चुनी गई थी। पाँचवी और छटी प्रतियोगिता मे पुरस्कृत 22 पुस्तकों मे प्रत्येक की 1500 प्रतियाँ खरीदी गई और उन्हें सामुदायिक विकास-खण्डों, समाज शिक्षा केन्द्रो और स्कूलों में मुफ्त बाँटा गया। आलोच्य वर्ष में इस बात के लिए भी कदम उठाए गए है कि सातवीं प्रतियोगिता में जिन पुस्तकों को अतिरिक्त पुरस्कार मिले हैं, उनके अनुवाद

विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में शीघ्रातिशीघ्र करा दिए जाएं। इस वर्ष 40 से अधिक अनुवाद प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) नये पाठकों के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्रतियोगिता : आलोच्य वर्ष मे भारतीय लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता उन लेखकों मे थी जिन्होंने नये पाठकों के लिए हिन्दी, उर्दू, बगाली और तमिल में सर्वोत्तम पुस्तके लिखी और जो जनवरी, 1959 और दिसम्बर 1960 के बीच प्रकाशित हो चुकी थी। इस प्रतियोगिता के लिए 17 पुस्तके प्राप्त हुई जिन मे 7 को चार-चार सौ रुपये का पुरस्कार मिला। इनमे चार हिन्दी की और तीन तमिल की पुस्तकें थी। पहली प्रतियोगिता मे जिन छः पुस्तको को पुरस्कृत किया गया था, उनमे से तीन की पन्द्रह-पन्द्रह सौ प्रतियां शिक्षा-मन्त्रालय ने खरीदी और उन्हे सामुदायिक विकास खंडो, समाज-शिक्षा केन्द्रो और स्कूलों के पुस्तकालयों आदि मे मुफ्त बटवाया। प्रथम प्रतियोगिता की शेष तीन पुरस्कृत पुस्तको की प्रतियाँ 1962—63 में खरीदी जाएगी।

(ग) नवीन पुस्तकों का सीधा प्रकाशन .—

हिन्दी विश्व-भारती—आलोच्य वर्ष मे हिन्दी विश्वभारती का सातवाँ और आठवाँ खंड प्रकाशित किया गया। अन्तिम दो खडो की अगले वर्ष तक प्रकाशित हो जाने की संभावना है।

भारतीय जनता के इतिहास की रूप रेखा :- यह पुस्तक विशेष रूप से नव-साक्षर पाठकों के लिए है और इसकी छपाई का काम लगभग समाप्त होने वाला है। 1962-63 के आरम्भ मे इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा।

11. **राष्ट्रीय पुस्तक न्यास** राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में हुई थी। आलोच्य वर्ष में इसने अग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओ मे 20 पुस्तके निकाली है जिससे इसकी अब तक प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 52 हो गई है। 34 पुस्तके तैयार हो रही है, लगभग 50 पाण्डुलिपियों की छपाई के लिए प्रेसों की व्यवस्था हो रही है और 187 पाण्डुलिपियों का अनुवाद हो रहा है।

12. **वितीय व्यवस्थाएं** . इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाओ के लिए 1961-62 और

आठवां अध्याय

विकलाँगों का शिक्षण, कल्याण और पुनर्वास

यद्यपि कोई विश्वसनीय आकडे उपलब्ध नही है पर ऐसा अनुमान है कि भारत मे अधो की सख्या 20 लाख के लगभग है । इसी प्रकार बहरो की सख्या कोई 7-8 लाख है । विकलांगो और रुद्धमनोविकास व्यक्तियों की सख्या का कोई अनुमान उपलब्ध नही है ।

2. 1961-62 मे शिक्षा मत्रालय ने विकलागो के शिक्षण, कल्याण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के अपने प्रयत्न जारी रखे । वर्तमान योजनाओ का पुनर्मूल्याकन करने और तृतीय पचवर्षीय आयोजना मे अपनाई जाने वाली नीतियो का नवीयन करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए ।

अ—अधे

3. इस समय देश मे अधो के लिए लगभग 100 स्कूल तथा अन्य सस्थाए है । इनमे से अधिकांश को सरकार से कुछ सहायता लेकर स्वैच्छिक सस्थाए चलाती है । अधिकेतर संस्थाओ में प्रारभिक शिक्षा के साथ-साथ कपडा बुनने, कुर्सिया बुनने, मोमबत्ती बनाने, खिलौने बनाने आदि दस्तकारियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है । अधों के लगभग हर एक स्कूल मे संगीत सिखाया जाता है ।

4. **अन्धों का राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून** : देहरादून मे अधो के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना अन्धों की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण के क्षेत्र मे भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख प्रायोजनाओं में से एक है । इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य अन्धो के लिए एक समन्वित सेवा की व्यवस्था करना है, जिसमे बच्चो की शिक्षा से लेकर वयस्क अन्धो का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है । इसके साथ ही अन्धो के लिए ब्रेल साहित्य और उपकरण तैयार करना भी उसके अन्तर्गत है । इस केन्द्र मे कई संस्थाएं है, जिनमें से एक इस वर्ष मे स्थापित की गई और शेष का विकास किया गया तथा उनकी सख्या बढाई गई ।

5. **वयस्क अन्धों का प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून** : देहरादून मे पहली जनवरी, 1950 को अन्धो के लिए स्थापित की जाने वाली यह पहली संस्था थी । आलोच्य वर्ष में इस केन्द्र में प्रवेश संबंधी नियमों को उदार किया गया । इसके लिए प्रवेश की अधिकतम आयु 30 से बढाकर 40 वर्ष तक कर दी गई और अंधे भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को और राज्य सरकारों तथा अंधों के लिए अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं द्वारा नामित उम्मीदवारों को अग्रता दी गई ।

अंधे भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु की अवधि 50 वर्ष तक बढ़ाकर और भी छूट दी गई। क्योंकि कुटीर उद्योग सीखे हुए अंधे व्यक्तियों को अपनी रोटी कमाने के लिए अच्छा काम मिलना कठिन हो रहा था, इसलिए इस वर्ष में सरल इंजीनियरी के कामों पर धीरे-धीरे बल दिया जाना शुरू किया गया और साइकिल-मरम्मत और पुर्जे जोड़कर साईकिल बनाने जैसे नए काम शुरू करवाए गए। अन्धी स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान और गुड़िया बनाने और अंधे पुरुषों के लिए नारियल की जटा से चटाई बनाने के विषय आरंभ करके प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्षेत्र भी विस्तृत किया गया। विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण की अवधि एक समान 2 वर्षों की थी। व्यवसाय-विशेष की आवश्यकता को ध्यान मे रख कर उस अवधि मे तर्कसंगत आधार पर घटा-बढ़ी की गई और 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गईं। छात्रावास मे स्थानो की संख्या पुरुष विभाग मे 150 और स्त्री-विभाग में 35 बनी रही। आलोच्य वर्ष में इस केन्द्र से 69 अन्धे पुरुष और 4 अन्धी स्त्रियां उत्तीर्ण हुईं। इस केन्द्र मे सरल इंजीनियरी का पूरा विभाग स्थापित करने के बारे मे सरकार को सलाह देने के लिए, 1962 के मध्य से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ की सेवाओं के उपलब्ध होने की संभावना है।

6. **साश्रम कारखाना, देहरादून** : 9 अंधे श्रमिकों को इस कारखाने में रोजगार दिया गया, 4 को बुनाई का और 5 को कुर्सी-बुनने का काम दिया गया। मजदूरी के अलावा इन श्रमिकों के लिए मुफ्त फर्नीचर के साथ मकान, एक रसोइये और मुफ्त डाक्टरी सहायता की व्यवस्था की गई।

7. **केन्द्रीय ब्रेल प्रेस, देहरादून** : इस वर्ष में विभिन्न भारतीय भाषाओं में और अन्धों के विभिन्न आयुसमूहों के लिए उपयुक्त ब्रेल में 32 नई पुस्तकें प्रकाशित की गईं, जब कि 1957 से लेकर अब तक 70 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। इस प्रेस की क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयोजनाएँ अभी कार्यान्वित की जा रही है। अतिरिक्त मशीनें, साज-सामान और ब्रेल कागज की व्यवस्था के लिए यूनिसेफ से (UNICEF) करार हुआ है। आयात किए गए कागज पर प्रेस अधिक निर्भर न रहे, इस उद्देश्य से देसी कागज को काम मे लाने के संबंध मे प्रयोग किए गए। 'त्रैमासिक' आलोक जैसे कुछ विशेष प्रकार के प्रकाशनों के लिए, देसी कागज पहली बार काम मे लाया गया।

8. **ब्रेल उपकरण बनाने के लिए कारखाना** : अन्धों की शिक्षा और कल्याण के लिए जरूरी ब्रेल स्लेटें, गणित फ्रेमें, शतरंज, आदि जैसे बुनियादी उपकरण बनाने और उन्हे उपदानप्राप्त मूल्य पर देने का काम कारखाना करता रहा। पिछले वर्ष के अन्तिम भाग में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने प्रेस के विस्तार और सुधार के लिए जो सुझाव दिए थे, उन पर विचार किया गया और आलोच्य वर्ष मे उनको कार्यान्वित करने के लिए आयोजनाएँ तैयार की गईं। इन आयोजनाओं को ध्यान मे रखते हुए, इस कारखाने के लिए

जरूरी मशीनें और साज-सामान देने के लिए यूनिकेफ से करार हुआ है। इनके प्राप्त हो जाने पर, यह आशा है कि अगले वर्ष में उत्पादन दुगना हो जाएगा।

9. **अन्धे बच्चों के लिए आदर्श स्कूल:** क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार, आलोच्य वर्ष में छठी कक्षा और शुरू की गई और बच्चो की सख्या 34 से बढ कर 50 हो गई। सातवी कक्षा और शुरू करने और अगले सत्र से सख्या बढाकर 70 के लगभग करने की आयोजनाओ को अतिम रूप दिया जा रहा है।

10. **राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय :** अभी तक देश में ब्रेल की पुस्तके देनेवाला कोई पुस्तकालय नही है। आलोच्य वर्ष मे राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना से यह कमी कुछ हद तक दूर हो गयी है। केन्द्रीय ब्रेल प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से और पिछले कुछ वर्षों मे वयस्क अंधो के प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सगृहीत बहुमूल्य पुस्तक-संग्रह से, जिसमें पुस्तके मुख्य रूप मे अग्रेजी मे है, इस पुस्तकालय का बीजारोपण किया गया है। आलोच्य वर्ष में अतिरिक्त ब्रेल पुस्तके काफी संख्या मे लदन के राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय ने प्रदान की। इसको और अधिक समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे है। यह पुस्तकालय देश भर के अन्धे पाठको को ब्रेल पुस्तके मुफ्त मे देगा। ब्रेल पुस्तको पर कोई डाक खर्च नही लगता इसलिए अन्धे पाठक को किसी प्रकार का खर्च नही करना होगा। देश भर की माँग को एक ही पुस्तकालय पूरा नही कर सकेगा, इसलिए सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि सभी राज्यो के केन्द्रीय पुस्तकालयो मे ब्रेल विभाग की स्थापना की जाए। कुछ राज्य सरकारो ने इस सुझाव को कार्यान्वित भी कर डाला है।

11. **वयस्क अंध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून की बानुबाई बैरामजी कांगा प्रशिक्षणार्थी कल्याण-निधि :** बम्बई की स्वर्गीय श्रीमती बानुबाई बैरामजी कांगा की वसीयत से प्राप्त हुई 50,000 रुपयो की रकम से आलोच्य वर्ष मे एक प्रशिक्षणार्थी-कल्याण-निधि सन् 1890 के पूर्त धर्मादा अधिनियम के अधीन बनाई गई है। ऐसा विचार है कि उसके ब्याज को वयस्क अंध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून, के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों के कल्याण और पुनर्वास पर खर्च किया जाए।

आ—बहरे

12. आजकल देश मे बहरों के लिए लगभग 53 स्कूल हैं। इनमे से अधिकतर स्कूल सरकारी सहायता लेकर कुछ स्वैच्छिक सस्थाएँ चलाती है। बहरों के अधिकांश स्कूल सिलाई, बुनाई, बढईगीरी, लुहारगीरी, छपाई, जिल्दबंदी और इसी प्रकार के दूसरे कामों का प्रारंभिक शिक्षण और प्रशिक्षण देते है।

13. **बहरो के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण :** आलोच्य वर्ष में बहरों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 3 और प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए, जिससे अब इस प्रकार के 5 केन्द्र

हो गए हैं। इन पाँचों ही प्रशिक्षण संस्थाओं में एक समान स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाई गई है, जो पाठ्यविवरण के सुधार, प्रशिक्षणार्थियों के चयन के ढंग, अध्यापन के स्तर, आदि प्रश्नों पर विचार करेगी।

14. अखिल भारतीय बधिर संघ ने बहरों के लिए शिक्षा मंत्रालय की सहायता से दिल्ली में फोटोग्राफी स्कूल स्थापित किया है। यह अपने प्रकार की देश में पहली ही संस्था है।

15. **वयस्क बहरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र**. वयस्क बहरों के लिए हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आयोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह अपने प्रकार की देश में पहली ही संस्था होगी। उसके सम्बन्ध में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार से बातचीत हो चुकी है। यह आशा की जाती है कि यह केन्द्र अगला वर्ष शुरू होते ही कार्य आरम्भ कर देगा।

16. **श्रवण साधनों का निर्माण** . राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा तैयार किए गए नमूनों के आधार पर एक गैर सरकारी संस्था ने व्यक्तिगत और सामूहिक श्रवण साधनों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। बंगलोर के भारत इलेक्ट्रोनिक कारखाने ने भी इसी प्रकार के साधनों को बनाने का काम शुरू किया है।

इ—विकलांग और रुद्ध मनोविकास व्यक्ति

17. इस समय विकलांगों के लिए लगभग 24 विशेष संस्थाएँ हैं और रुद्ध मनोविकास बच्चों के लिए लगभग 10 स्कूल हैं। लगभग ये सभी संस्थाएँ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। आलोच्य वर्ष में वित्तीय सहायता के द्वारा इनमें से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के काम को सुदृढ बनाने और सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए।

18. **विकलांग व्यक्तियों के लिए यात्रा-रियायत** . पहली बार रेलवे बोर्ड ने विकलांग व्यक्तियों को यात्रा-रियायतें प्रदान की, यद्यपि ये कुछ ही मात्रा में थी। जिन लोगों के पैर बेकार है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते समय अपने अनुरक्षक सहित एक टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं।

19. **रुद्ध-मनोविकास बच्चों की शिक्षा :** रुद्ध-मनोविकास बच्चों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी वर्तमान सुविधाओं की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने और वर्तमान सेवाओं के विकास तथा नई सेवाओं की स्थापना के उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा दी गई अंतरिम सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, यह निश्चय किया गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वाभाविक मानसिक पिछडेपन का अनुमान लगाने के लिए दिल्ली और बंबई के लड़कों और लड़कियों के कुछ चुने हुए स्कूलों का सर्वेक्षण किया जाए।

ई—सामान्य

20. **छात्रवृत्तियाँ :** दूसरी आयोजना की अवधि के 5 वर्षों में कुल 659 छात्रवृत्तियाँ दी गई थी। 1961-62 मे 339 और छात्रवृत्तियाँ दी गई जिनको पानेवालों मे 87 अंधे, 83 बहरे और 169 विकलाग छात्र थे। देश भर में विकलाग छात्रो मे सबसे अच्छे छात्रो को इन छात्रवृत्तियो के लाभ पहुँचाने की दृष्टि से आवेदन पत्र मगवाने और आरभिक सवीक्षा करने की कार्यविधि में सुधार किए गए। पहली बार आवेदन पत्र राज्य सरकारो द्वारा मँगवाए गए, इन राज्य सरकारो ने उनकी आरभिक संवीक्षा की और शिक्षा मंत्रालय के पास चुनी हुई नामावली भेजी। शारीरिक दृष्टि से हीनागों के लिए जो छात्रवृत्तियाँ 1961-62 में दी गईं उन पर 3.85 लाख रुपए खर्च हुए, जब कि 1960-61 मे 1.86 लाख रुपए खर्च हुए थे।

21. **विश्वविद्यालय की परीक्षा देने वाले हीनांग छात्रों को रियायतें :** शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने सभी विश्वविद्यालयों से यह सिफारिश की है कि उपयुक्त हीनाग व्यक्तियो को ऐसी परीक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थियो के रूप मे बैठने की इजाजत दी जानी चाहिए जिनमें प्रायोगिक कार्य की आवश्यकता न होती हो। उसने यह भी सिफारिश की है कि जो अंधे या विकलाग छात्र लिख नही सकते हो, उन्हें सक्षम लेखक देने या अपने उत्तरों को टाइप करने की इजाजत देने जैसी सुविधाएँ दी जानी चाहिएँ।

22. **शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति :** आलोच्य वर्ष में शारीरिक दृष्टि से हीनाग व्यक्तियों के सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयत्न किए गए। गृह मंत्रालय की ओर से सभी नियोजन विभागों को ये अनुदेश दिए जा चुके हैं कि शारीरिक दृष्टि से हीनाग व्यक्तियों के मामलों पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष में, गृह मत्रालय की ओर से इस प्रकार के अनुदेश जारी किए गए कि शारीरिक दृष्टि से हीनाग व्यक्तियो के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा मंडल जिन शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों को स्वस्थ प्रमाणित कर दे उनकी फिर से डाक्टरी परीक्षा नियोजन विभागों की ओर से नहीं करवाई जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय की ओर से रेलवे के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जो हीनाग व्यक्ति भेजे जाते हैं, उनको रेल सेवा आयोग के सामने उपस्थित हुए बिना सीधे ही भर्ती कर लिया जाए। गृह मंत्रालय ने ये अनुदेश भी जारी किए हैं कि टाइप जानने की अनिवार्य आवश्यकता को शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों के लिए हटाया जा सकता है।

23. **स्वैच्छिक संगठनों की सहायता :** हीनांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों

को सहायता देने से संबंधित नियमावली को आलोच्य वर्ष में पर्याप्त उदार बनाया गया। सहायता का प्रतिशत 60 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया। भवन-निर्माण संबंधी अनुदान की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई। और जिस अवधि के लिए आवर्ती सहायता मिल सकती है वह अवधि उपयुक्त मामलों मे 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की कर दी गई। अखिल भारतीय या प्रादेशिक महत्त्व की उपयुक्त संस्थाओं को उदारतापूर्वक सहायता देने की नीति को आलोच्य वर्ष में जारी रखा गया और ऐसी 22 संस्थाओं को 3.18 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई।

24. **हीनांग व्यक्तियों के स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतनों में सुधार :** हीनांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंड़ल ने यह सिफारिश की कि हीनांग व्यक्तियों के स्कूलों के अध्यापको के वेतन के मान नार्मल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के मान के समान ही होने चाहिए और इसके अलावा उनको 5 अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ और एक विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह सिफारिश सभी राज्य सरकारो के पास भेजी गई हैं और कुछ राज्य सरकारों ने आलोच्य वर्ष में इसको कार्यान्वित करना आरभ भी कर दिया है।

25. **शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय :** मद्रास स्थित वयस्क अन्धों के प्रशिक्षण केन्द्र का रोजगार कार्यालय 1954 से मद्रास सरकार को दे दिया गया है और पहली अप्रैल, 1962 से इसने सर्वांगपूर्ण विशेष रोजगार कार्यालय के रूप में काम करना आरंभ कर दिया है। और यह शारीरिक दृष्टि से तीनों प्रकार के हीनांग व्यक्तियो की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस कार्यालय ने आलोच्य वर्ष मे 10 अंधे व्यक्तियों को काम मे लगाया, और इस तरह से इस संस्था के आरम्भ से लेकर अब तक यह कुल संख्या 147 हो गई है। बम्बई के विशेष रोजगार कार्यालय ने 60 शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों को काम पर लगाया और इस तरह से इसके आरम्भ अर्थात् मार्च, 1959 से लेकर अब तक की कुल संख्या 187 हो गई है दिल्ली के विशेष रोजगार कार्यालय ने आलोच्य वर्ष में काम करना आरम्भ किया और इसने 55 हीनांग व्यक्तियों को काम पर लगाया 1962-63 में ऐसे और 3 या 4 विशेष कार्यालय आरंभ करने की आयोजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

26. **शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण और रोजगार के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी ·** शिक्षा मंत्रालय ने बंगलोर में 16 से 22 दिसम्बर

1961 तक शारीरिक दृष्टि से हीनाग व्यक्तियों के प्रशिक्षण और रोजगार के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसका उद्देश्य यह था कि तीसरी पचवर्षीय आयोजना मे शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और उन्हे काम पर लगानेके लिए उपयुक्त कार्यक्रम सुझाया जाए। इस विचार गोष्ठी में 89 प्रतिनिधियो और 9 प्रेक्षकों ने भाग लिया जिनमे केन्द्रीय और राज्य सरकारों, कार्यनियोजकों के सगठनों और मजदूर सघो के प्रतिनिधि तथा इस क्षेत्र मे ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी विशेषज्ञ शामिल थे इस विचार गोष्ठी से हीनाग व्यक्तियो के हित के क्षेत्र मे काम करने वाले देश भर के कार्यकर्त्ताओ, प्रशासको और उनके साथ-साथ उनके कार्य नियोजको को एक साथ मिलने और अपने अनुभवों तथा विचारों का आदान-प्रदान करने तथा उन्हे एकत्र करने का अवसर मिला।

27. **शारीरिक दृष्टि से हीनांग व्यक्तियों की उपयोगिता और उनकी स्वतत्रता के सबंधमे प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी :** शारीरिक दृष्टि से हीनाग व्यक्तियों की उपयोगिता और उनकी स्वतत्रता विषय को लेकर शिक्षा मत्रालय ने 16 दिसम्बर, से 21 दिसम्बर, 1961 तक बंगलौर मे प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि लगभग एक सौ शारीरिक दृष्टि से हीनाग व्यक्तियो ने लोगो के सामने इस बात का प्रदर्शन किया कि वे किस प्रकार से विभिन्न प्रकार उपयोगी और रचनात्मक कार्यकलापो का संपादन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

28. **वित्तीय व्यवस्थाए :** निम्नलिखित सारणी मे इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाओ के लिए 1961-62 और 1962-63 में की गई वित्तीय व्यवस्था का विवरण दिया गया है .

क्रम संख्या	संस्था योजना का नाम,	1960-61 मे की गई व्यवस्था	1962-63 मे की गई बजट-व्यवस्था
		रु०	रु०
(1)	वयस्क अन्धो का प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून	3,13,100	2,85,900
(2)	अन्धों के लिए साश्रय कारखाना, देहरादून	52,900	54,200
(3)	केन्द्रीय ब्रेल प्रेस, देहरादून	1,26,550	1,66,600
(4)	ब्रेल उपकरण बनाने का कारखाना, देहरादून	20,000	21,000
(5)	अन्धे बच्चों के लिए आदर्श स्कूल, देहरादून	98,200	1,22,800
(6)	प्रौढ बहरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना	—	1,00,000

(7) अंधों के लिए छात्रवृत्तियाँ	1,54,000	2,62,000
(8) बहरों के लिए छात्रवृत्तियाँ	91,000	1,38,000
(9) विकलागो के लिए छात्रवृत्तियाँ	1,35,000	2,09,000
(10) हीनांगों का सर्वेक्षण	—	30,000
(11) हीनागों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	4,05,000	5,00,000
(12) हीनागों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना	18,000	71,000
(13) अंधों के लिए अध्यापको का प्रशिक्षण	—	31,000
(14) राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय	15,000	25,000
(15) हीनागों की शिक्षा और समाज-कल्याण संबंधी समितियों की बैठकें	53,000	12,000

नवां अध्याय

यूनेस्को के साथ सहयोग करने तथा भारत में यूनेस्को के कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

यूनेस्को का सदस्य होने के नाते भारत सरकार इस संगठन के कार्यकलापो में सहयोग देती है और शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज-विज्ञान, सस्कृति और सामूहिक संचार के क्षेत्रों मे राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक कार्यकलापो को आरंभ करने और उनका विकास करने के लिए उससे भारत को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। भारत मे सभी यूनेस्को कार्यक्रमों के लिए शिक्षा मंत्रालय समन्वय करने वाले अभिकरण के रूप मे काम करता है और यह ऐसे कार्यकलाप भी करता है जो इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं।

1. **यूनेस्को को अंशदान :** दो वर्षों की अवधि (1961-62) के लिए यूनेस्को के नियमित बजट में भारत का निवल अशदान 33,58,029 रुपए निर्धारित किया गया था। सामान्य रूप से यह अंशदान विदेशी मुद्रा में दिया जाता है पर विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 27,42,315 रुपए की रकम को भारतीय मुद्रा में लेने के लिए यूनेस्को सहमत हो गया।

यूनेस्को के महा सम्मेलन ने अपने ग्यारहवें अधिवेशन मे यूनेस्को के अफ्रीका को वित्तीय सहायता देने के आपातिक कार्यक्रम में अशदान देने की अपील की। यह कार्यक्रम तीन वर्ष (1961-63) के लिए था। भारत सरकार ने इस संबध मे 10 लाख रुपए की रकम देने का निश्चय किया है, जो तीन वर्ष की अवधि में दी जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार ने अफ्रीका विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भारत मे प्रशिक्षण के लिए पाच अधिवृत्तियाँ देने का भी निश्चय किया है।

2. **यूनेस्को से सहायता :** संयुक्त राष्ट्र विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के लिए यूनेस्को ने दो वर्ष की अवधि (1961-62) के लिए 75,60,952 रुपए (15,87,800 डालर) की रकम तकनीकी सहायता के रूप मे मजूर की। इस सहायता (जो विशेषज्ञो को सेवाओ, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अधिवृत्तियो और साज-सामान के सामान्य रूप मे होती है) का उपयोग विभिन्न संस्थाओं की अनुमोदित प्रायोजनाओं के लिए किया जा रहा है। इन संस्थाओं मे भारतीय प्रौद्योगिकी सस्था,

बंबई, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसधान संस्था, जोधपुर और चुने हुए विश्वविद्यालय औ अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

अपने नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत, यूनेस्को भारत को दो वष की अवधि (1961-62) के लिये 1,61,905 रुपए (34,000 डालर) की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इस सहायता में यूनेस्को को सहयोग देने वाले भारतीय राष्ट्रीय आयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दी जाने वाली शिक्षा के विशेषज्ञ की सेवाएँ, वैज्ञानिक सग्रहालयों के लिए विशेषज्ञ की सेवाए और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद् के लिए साज-सामान, एशियाई नाट्य सस्थान के लिए विकास के लिए और राष्ट्रीय संग्रहालय मे पश्चिमी कला वीथी की स्थापना के लिए सहायता शामिल है।

यूनेस्को के कार्यक्रमों में भारत का सहयोग. शिक्षा के क्षेत्र मे, भारत सरकार एशिया मे प्राथमिक शिक्षा के प्रादेशिक कार्यक्क को बढावा देने के लिए एशिया मे शिक्षाआयोजकों, प्रशासको और पर्यवेक्षको के प्रशिक्षण के लिए प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई है। एशिया मे शिक्षा आयोजना संबंधी प्रादेशिक परिसवाद (सिम्पोजियम) के लिए भी भारत सरकार ने आवश्यक व्यवस्था की। इस परिसवाद का आयोजन यूनेस्को ने नई दिल्ली में 21 जनवरी से 23 फरवरी, 1962 तक किया था। इस केन्द्र को यूनेस्को से पर्याप्त सहायता मिलती है।

प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में, यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में भाग ले रही है। यूनेस्को ने इस अभियान के संबंध मे भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए सात अधिवृत्तियाँ दी है और हिन्द महासागर जीव-ज्ञानीय केन्द्र, कोचीन, और भौतिक समुद्र विज्ञान केन्द्र, वाल्टेयर के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी दी है। येनेस्को के शुष्क प्रदेश, आर्द्र शुष्क दटिबंध और दूसरे प्राकृतिक विज्ञानो के कार्यक्रमो मे भी भारत सरकार भाग ले रही है। नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के दक्षिण एशिया विज्ञान सहयोग कार्यालय द्वारा आयोजित प्रादेशिक सगोष्ठियो, परिसवादों और प्रशिक्षणक्रमो मे भाग लेने का अवसर देने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को यूनेस्को ने बहुत सी अधिवृत्तियाँ प्रदान की हैं।

सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र मे भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ दक्षिण एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास के अनुसंधान केन्द्र को दिसम्बर 1964 को समाप्त होने वाली चार वर्ष की अवधि तक जारी रखने के लिए यूनेस्को के साथ किये गए करार का नवीयन किया। इस केन्द्र को चलाने के लिए प्रति वर्ष यूनेस्को 4,33,333 रुपए (91,000 डालर) की रकम देना है। और भारत सरकार 1,66,670 रुपए (35,000डालर) की रकम देती है। इस केन्द्र की कुछ चालू प्रायोजनाएं, जिनसे भारत को विशेष दिलचस्पी है, भारत के विभिन्न भागो मे लघु उद्योगों के विकास के अध्ययन के सम्बन्ध में है।

सांस्कृतिक कार्यकलापों के क्षेत्र में, यूनेस्को ने साहित्य अकादमी को टैगोर शताब्दी समारोहों के सबध मे नवम्बर, 1961 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक सेमिनार का आयोजन करने के लिए 42,857 रुपए (9,000 डालर) की सहायता दी। दक्षिण एशिया मे पठन सामग्री आयोजना के कार्यक्रम के अश के रूप मे यूनेस्को ने विविध कार्यकलापो के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी, जिनमें ये कार्यकलाप शामिल थे: (1) नए पाठकों के लिए विभिन्न भाषाओ मे लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तको के लेखकों को पुरस्कार; (2) पुस्तक विक्रेताओ के लिए प्रशिक्षणक्रमो का आयोजन; (3) उपयुक्त पठन सामग्री का प्रकाशन, और (4) पुस्तको से सम्बन्धित व्यावसायिक सस्थाओ के विकास के षबंध मे और पुस्तक निर्माण से सम्बद्धविभिन्न व्यक्तियो और सस्थाओं मे परस्पर सहयोग की आवश्यकता के सम्बन्ध मे, कोलबो में नवम्बर-दिसम्बर, 1961 मे यूनेस्को द्वारा आयोजित सेमिनार मे भाग लेने के लिए भारतीय कर्मचारियों के लिए चार अधिवृत्तियाँ दूसरे देशो मे पठन सामग्री की तैयारी और प्रकाशन के विविध पहलुओ का अध्ययन करने के लिए यूनेस्को ने भारतीयो को दो प्रशिक्षण अधिवृत्तियाँ भी प्रदान की है।

सामूहिकसचार—के क्षेत्र मे, यूनेस्को ने राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्थान को दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशो के कर्मचारियों को कम कीमत के दृश्य साधनो के निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिए दिसम्बर 1961 से जनवरी 1962 तक नई दिल्ली मे प्रादेशिक सेमिनार का आयोजन करने के लिए 23,810 रुपये (5,000 डालर) की रकम दी। शिक्षा मत्रालय ने यूनेस्को कूपन योजना को सूचना के निर्बाध प्रसार को बढावा देने के लिए बराबर चालू रखा और 1961-62 में 2 82,522 रुपये के कूपन बेचे।

4. **यूनेस्को सचिवालय के पदों पर भारतीय राष्ट्रिकों की नियुक्ति:** यूनेस्को के महा सम्मेलन के ग्यारहवे अधिवेशन में अनुमोदित भौगोलिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार यूनेस्को सचिवालय के कम से कम सात और अधिक से अधिक बारह पदो पर भारत का अधिकार है। 1 फरवरी, 1962 की स्थिति के अनुसार यूनेस्को सचिवालय मे नौ भारतीय राष्ट्रिक विभिन्न पदो पर काम कर रहे थे और इस प्रकार भारत का प्रतिनिधित्व ठीक ही समझा गया।

II यूनेस्को के साथ सहयोग करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आयोग की गतिविधियां

5. यूनेस्को के साथ सहयोग करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आयोग को तीन काम सौंपे गए हैं—भारत के लोगों में यूनेस्को के उद्देश्यो की जानकारी को बढ़ावा देना, यूनेस्को और शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की प्रगति के लिए काम करने वाली संस्थाओं के बीच संपर्क के माध्यम के रूप मे काम करना, और सरकार को यूनेस्को से संबधित मामलों के बारे में सलाह देना।

6. **भारतीय राष्ट्रीय आयोग का पुनर्गठन:** आयोग का संविधान 1961 मे संशोधित किया गया ताकि वह अधिक प्रभावी और उसका आधार अधिक व्यापक हो सके। नए

संविधान के अन्तर्गत, यूनेस्को के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र—शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधियां तथा मानव विद्याएं और सामूहिक सचार— के अनुसार इस आयोग मे पांच उप-आयोग होगें। हर एक उप-आयोग में सरकारी प्रतिनिधि और संबद्ध क्षेत्र में काम करने वाले महत्वपूर्ण गैर-सरकारी व्यक्ति होगे और इस तरह से उप-आयोग विशेषज्ञ दल के रूप मे काम करेगा।

शिक्षा मन्त्री इस आयोग के अध्यक्ष होगे। शिक्षा मंत्रालय पहले की तरह आयोग के सचिवालय और बजट की व्यवस्था करेगा। आगामी वर्ष मे इन दोनों को अधिकसुदृढ करने का विचार है।

नए संविधान में विभिन्न क्षेत्रों मे यूनेस्को द्वारा किए जाने वाले कार्य को आगे बढाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को और अधिक प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है।

7. **आयोग के कार्यकलाप :** यूनेस्को के उद्देश्यो और लक्ष्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए आयोग ने यूनेस्को के प्रकाशनों का देश भर मे वितरण करने की व्यवस्था के लिए कदम उठाए हैं। ये प्रकाशन हमें निःशुल्क दिये जाते हैं और इनमें **यूनेस्को क्रानिकल** भी शामिल है। आयोग ने यूनेस्को के कार्यों में रुचि लेने वाली संस्थाओ मे ऐसे अन्य प्रकाशनो का प्रचार भी किया जो मुफ्त नही मिलते। उसने ऐसे प्रकाशनों की समीक्षा प्रकाशित कराने की भी व्यवस्था की।

8. आयोग ने यूनेस्को के ऐसे चुने हुए प्रकाशनों को जो हमारे शैक्षणिक विकास की दृष्ठि से महत्वपूर्ण है अथवा जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में यूनेस्को के कार्य को लोकप्रिय बनाना है, भारतीय भाषाओं में अनुवाद करा कर प्रकाशित कराने का कार्यक्रम तैयार किया है। 1961-62 मे **एनफ गुडफूड**, का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया गया और कई प्रकाशनों का अनुवाद/प्रकाशन कार्य चल रहा है। अब तक अनुवादों के प्रकाशन का कार्य व्यापारिक फर्मों के सुपुर्द किया जाता था पर अब ऐसा विचार है कि चुनी हुई पुस्तकों को सीधे प्रकाशित किया जाए। '**यूनेस्को सोर्स बुक आफ साईन्स टीचिंग**' पुस्तक के हिन्दी संस्करण से इस कार्य का आरम्भ किया जा रहा है और यह पुस्तक सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

9. पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यो के पारस्परिक बोध के संबंध में विशद प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। विशद प्रायोजना के संबंध में दो वर्ष की अवधि (1961-62) के लिए यूनेस्को द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को देश में लगभग 250 प्राधिकारियो के पास भेजा गया है, जिनमें राज्य सरकारें, विश्वविधालय, अनुसंधान संस्थाएं तथा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संगठन शामिल हैं। इस कार्य से संबंधित लम्बी अवधि की राष्ट्रीय आयोजना के लिए उनसे

सुझाव माँगे गए हैं और उनसे यह भी पूछा गया है कि वे निश्चित रूप से क्या-क्या कार्य करेंगें ।

10. इस क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि नई दिल्ली में **एसोसिएटेड् इन्स्टीट्यूशन फार द स्टडी एंड प्रेजेन्टशेन आफ साउथ एशियन कल्चर्स** नाम से एक संस्था बनाई गई है। यह संस्था विस्तृत प्रादेशिक संदर्भ में सभ्यता के अध्ययन के लिए यूनेस्को द्वारा प्रेरित अनुसंधान संस्थाओ की अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला की एक कड़ी है। आयोग ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली को सम्बद्ध संस्था के रूप मे काम करने के लिए चुना है और यूनेस्को ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। इस केन्द्र ने सम्बद्ध संस्था के काम की आयोजना तैयार करने के लिए और उसको पूरा करने के काम की देख-रेख करने के लिए एक अनुसधान परिषद बनाई है।

11. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र ने आयोग के अनुरोध पर यूनेस्को की सहायता से दिसम्बर 1960 मे छः चुने हुए विश्वविद्यालय केन्द्रो मे पौर्वात्य एवं पाश्चात्य सप्ताह का सफल आयोजन किया। इन समारोहों के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में भारत के साथ-साथ एक चुने हुए देश के जीवन और संस्कृति को प्रस्तुत किया गया था।

12. कलकत्ता के रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान ने यूनेस्को और आयोग के सहयोग से नवम्बर, 1961 मे **आधुनिक जीवन की बुनियादी समस्याओं के प्रति पूर्व और पश्चिम की जनता की** प्रतिक्रिया विषय पर एक पूर्व-पश्चिम सांस्कृतिक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन की कार्यवाही में पूर्वी और पश्चिमी देशों के प्रसिद्ध विद्वानो और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के विषय में आशा की जाती है कि इससे पूर्व और पश्चिम की विशद प्रायोजना के उद्देश्यों को पूरा करने मे सहायता मिलेगी।

13. आयोग ने वृदावन के पौर्वात्य दर्शन संस्थान (इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलासफी) को जीवन के **पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक मूल्य** विषय पर एक संगोष्ठी का जनवरी 1960 में आयोजन करने मे सहायता दी।

14. स्कूल क्षेत्र में विशद प्रायोजना को **शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग के लिए यूनेस्को की सहयोजित** विद्यालय **प्रायोजनाओं** के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत में इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी आयोग पर है, अतएव वह भाग लेने वाली संस्थाओं में कार्यकलापों को आगे बढ़ाने में निरन्तर लगा रहा। आयोग प्रायोजनाओं के लिए वाछित सामान प्राप्त करने और अन्य देशों के सहयोजित स्कूलों के साथ पत्र-व्यवहार और सामान के विनिमय मे भाग लेने वाली संस्थाओं की सहायता करता रहा। 1961-62 के लिए यूनेस्को के कार्यक्रम के अधीन आयोग ने दूसरे देशों मे सहयोजित

विद्यालय प्रायोजनाओं के कार्य का अध्ययन करने और वहा के लोगों के जीवन और संस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए विदेशों की यात्रा हेतु भाग लेने वाली संस्थाओं के दो अध्यापको के लिए अधिवृत्तिया भी प्राप्त की ।

15. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के अग के रूप में सयुक्त राष्ट्र सघ तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों की जानकारी को प्रोत्साहन देने के हेतु आयोग ने जन शिक्षा निदेशको से अनुरोध किया कि वे स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के लेखकों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करें कि जहाँ कहीं भी उचित हो वहा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के प्रयोजनों एव सिद्धान्तो, संरचना तथा इनकी गतिविधियों का विवरण पुस्तको मे दिया जाए ।

16. आयोग ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलकर दोनों देशों के स्कूलो में निर्धारित इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के विनिमय और समीक्षा के लिए एक एक प्रायोजना तैयार की । प्रायोजना का काम संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है और ओयग एक या दो और देशों के साथ मिलकर इसी प्रकार की प्रायोजनाएं तैयार करने का विचार कर रहा है ।

17. यूनेस्को की सहायता से आयोग ने दूसरे देशों के स्कूल के बच्चो के लिए भारत के जावन और संस्कृति के सम्बंध में श्रव्य- दृश्य सामग्री का अध्यन संग्रह (किट) तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है । आशा की जाती है कि यह संग्रह भारत के स्कूलो में शिक्षण के लिए भी उपयोगी होगा ।

18. पूर्व- पश्चिम विशद प्रायोजना के अधीन राष्ट्रीय संग्रहालय मे पश्चिमी कला-वीथी बनाई जा रही है । सहभागिता-कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता के अतिरिक्त इस वीथी की स्थापना के संबंध में राष्ट्रीय संग्रहालय के एक अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए यूनेस्को ने एक अधिवृत्ति भी दी है ।

19. प्रतिनिधि रचनाओं के यूनेस्को संग्रह (भारतीय पुस्तक माला) के अन्तर्गत 1961 में सिक्खों के धर्म-ग्रन्थों तथा कंबन विरचित रामायण के अयोध्या कांड को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया । यह प्रायोजना एक संयुक्त निधि से चलाई जाती है जिसमें आयोग और यूनेस्को अंशदान करते हैं ।

20. नई दिल्ली में एक युवक सूचना एवं (प्रलेखीय) उपस्थानख केन्द्र खोलने के लिए स्वेच्छिक कार्य शिविरों की प्रशिक्षण विधि संबंधी भारतीय संगठन समिति को वित्तीय सहायता देने के लिए यूनेस्को सहमत हो गया है । आयोग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत इस प्रायोजना का काम आगे बढ़ रहा है ।

21. **अन्य राष्ट्रीय आयोगो के साथ संबंध.** अन्य राष्ट्रीय आयोगो के साथ इस आयोग के संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। इस संबंध मे भारतीय लेखा चित्रों की प्रदर्शनी का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है जिसका आयोजन पोलैंड मे यूनेस्को के पोलिश राष्ट्रीय आयोग ने किया था। इस प्रदर्शनी के लिए लेखा चित्रों का सग्रह ललित कला अकादमी ने किया था। यह प्रदर्शनी बहुत सफल रही और अब पोलैंड के महत्वपूर्ण नगरो मे यह घुमाई जा रही है। पोलिश लेखा-चित्रो के इसी प्रकार के सग्रह के बदले मे पोलिश राष्ट्रीय आयोग को स्थायी रूप से भारतीय लेखा चित्र सग्रह देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

22. **1962-63 के लिए आयोजना**—ऊपर के पैराग्राफो मे जिन-जिन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है उनमे से अधिकांश कार्यक्रम भविष्य मे चालू रहेंगे और 1962-63 मे उनका और विकास किया जाएगा।

———

दसवाँ अध्याय

अन्य शैक्षिक कार्यकलाप

शिक्षा मत्रालय द्वारा संचालित कुछ अन्य कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

1. भारत मे आने वाले तथा भारत से बाहर जाने वाले शिक्षा संबधी शिष्टमडल :

शिक्षा मत्रालय भारत और विश्व के अन्य देशो मे परस्पर शिक्षा संबधी जानकारी, साहित्य और शिष्टमडलो के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है ।

सितम्बर-अक्तूबर, 1961 मे भारत के शिक्षा विशेषज्ञों का एक त्रिसदस्यीय शिष्टमडल रूस की स्कूल-व्यवस्था के अध्ययन के लिए रूस गया और वहाँ तीन सप्ताह तक रहा। शिक्षा मत्रालय के सयुक्त शिक्षा सलाहकार ने इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और पंजाब तथा मद्रास के शिक्षा निदेशक इसमें शामिल थे।

अक्तूबर-नवम्बर, 1961 के दौरान में नैपाल की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों और छात्रों का एक 15 सदस्यों का शिष्टमंडल भारत आया। इसने शिक्षा संस्थाओं और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का भ्रमण किया। भारतीय शिक्षा और संस्कृति विषयक पुस्तकों का एक सेट भी इसके सदस्यों को भेंट किया गया। सिक्किम से भी छात्रों और अध्यापकों का एक शिष्टमंडल फरवरी 1962 मे भारत आया।

2. **अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :** अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारो की योजना 1958-59 मे प्रारम्भ की गई थी। एस योजना का उद्देश्य अध्यापको की प्रतिष्ठा बढाना और प्राथमिक तथा माध्ममिक विद्यालयो के उन विशिष्ट अध्यापकों को सार्वजनिक रूप से सम्मान प्रदान करना है जिन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन में समाज की सराहनीय सेवा की है। यह योजना तीसरी पंचवर्षीय आयोजना मे भी जारी रखी जायेगी। 1961-62 मे चौरासी पुरस्कार बाटे गये; जिनमे से 44 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को और 41 माध्यमिक विद्यालयो के अध्यापकों को दिये गये। ये पुरस्कार इस मत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 31 अक्तूबर 1961 को आयोजित किए गए एक विशेष समारोह में उप-राष्ट्रीपति ने सारे भारत से चुन कर आये हुए अध्यापकों को प्रदान किए थे।

3. **विश्व-शिक्षक संघ का सम्मेलन :** मंत्रालय ने विश्व शिक्षक संघ को दिल्ली में अपना अधिवेशन करने में सहायता पहुचाई। यह सम्मेलन जुलाई / अगस्त 1961 मे हुआ और इसमे विभिन्न देशों के 70 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

4. **भावनात्मक एकता समिति :** इस बात पर विचार करनेके लिए कि देश में सिर उठाने वाली विखंडनकारी प्रवृत्तियों का प्रतीकार किस प्रकार किया जाये, शिक्षा मंत्रालय ने मई 1961 में डा० संपूर्णानन्द की अध्यक्षता मे एक समिति स्थापित की। इस समिति को इस बात की जाच करने का काम सौपा गया कि राष्ट्रीय जीवन मे भावनात्मक एकता बढ़ाने के लिए शिक्षा क्या योग दे सकती है और इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यक्रम क्या होना चाहिए। इस समिति के सदस्य ये है। श्रीमती इन्दिरा गान्धी, प्रोफेसर टी० एम० ऐडवानी, प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी श्री एम० हेनरी सैमुअल, प्रोफेसर एम० एन० श्री श्रीनिवास, भाई जोधसिंह, श्री इ० इ०टी० बारो, श्री अशोक मेहता, श्री ए०ए०ए० फैजी, श्री के कुरुविला जैकोब और डा० एस० एस० हैकरवाल। समिति के विचारणीय विषय ये हैं:—

(1) राष्ट्रीय जीवन मे भावनात्मक एकता की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और पुष्ट करने में शिक्षा कहां तक योग दे सकती है—इस बात का अध्ययन करना और (2) इस प्रकार के अध्ययन को दृष्टि में रखते हुए भावनात्मक एकता की प्रक्रियाओं को पुष्ट करने के लिए सामान्य रूप से सभी युवकों और विशेषरूप से स्कूलों और कालेजों के छात्रों के लिए रचनात्मक शैक्षिक कार्यक्रम के बारे मे सलाह देना।

इस समिति ने नवम्बर, 1961 में मंत्रालय को प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है और अब उसकी जाच की जा रही है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

तिब्बती बच्चों की शिक्षा : तिब्बती शरणार्थियों के आने के साथ ही उनकी शिक्षा की समस्या की ओर सरकार का ध्यान गया। विस्थापित तिब्बती लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक स्वायत संस्था स्थापित की गई है और उसकी रजिस्ट्री संस्था-रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत करा दी गई है। शिक्षा मंत्री इस सस्था के अध्यक्ष हैं और परम पावन दलाईलामा के और विदेश, वित्त और शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसके सदस्य है।

1961 के दौरान में शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग में रिहायशी स्कूल स्थापित किए गये हैं प्रत्येक स्कूल के लिए एक-एक स्थानीय कार्यकारिणी समिति बना दी गई है जिसमें स्कूल का तिब्बती प्रिंसिपल, जिले का डिप्टी-कमिश्नर, केन्द्रीय समिति द्वारा नामित दो व्यक्ति और परम पावन दलाईलामा का एक प्रतिनिधि शामिल है।

6. **गान्धी- दर्शन का प्रसार** : छात्रों को गान्धी जी के जीवन और विचारधारा का यथोचित परिचय और ज्ञान कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत एक योजना चालू की थी। यह निर्णय किया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में भी इसे जारी रखा जाए।

चालू वर्ष मे कुमारी मनुबेन गाधी ने स्कूलो मे अपना व्याख्यान दौरा जारी रखा और देश की कुछ उच्च शिक्षा सस्थाओ को गाधी साहित्य के चुने हुए ग्रथो के सेट भेट दिए गये। तीसरी पचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रम के अनुसार कुमारी मनुबेन गान्धी के व्याख्यान दौरे राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो के उन चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों मे होते रहेगे जहा वे अभी तक नही पहुंच पाई है; शिक्षा सस्थाओं को गाधी साहित्य दिया जायेगा, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों मे गान्धी जी के जीवन और विचारधारा पर विशिष्ट व्यक्तियो के भाषण कराये जायेंगे और देश मे जो गैर-सरकारी सस्थाये गाधी जी की शिक्षाओ और आदर्शों के प्रचार में रुचि रखती है उनसे सहयोग किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत बनारस मे गान्धी अध्ययन सस्थान स्थापित करने में सहायता देने का भी विचार है।

7. **राज्यों में पारस्परिक सद्भावना का विकास** : यह योजना 1959-60 में प्रारम्भ की गई थी और इसका लक्ष्य है छात्रों मे देश की भावनात्मक और सास्कृतिक एकता के प्रति अधिकाधिक रुचि उत्पन्न करना। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना मे भी यह जारी रहेगी। सम्पूर्णानन्द समिति की पूरी रिपोर्ट में जो सिफारिशें आएंगी उनके आधार पर ही वह कार्यक्रम बनाया जायेगा जो कि वास्तव में कार्यान्वित करना है।

8. **पब्लिक स्कूलों में राष्ट्रीय सैन्य छात्र-दल (एन०सी०सी० यूनिट) का विस्तार** · राज्यो के स्कूलो मे राष्ट्रीय सैन्य छात्रदल (एन० सी० सी० यूनिट) का प्रबन्ध करने मे जो खर्च होता है उसे सबधित राज्य सरकार और रक्षा मन्त्रालय मिलकर उठाते हैं। पब्लिक स्कूलो मे राज्य सरकारो के हिस्से का खर्च भारत सरकार उठाती है। यह विचार है कि तीसरी पचवर्षीय आयोजना के दौरान में यह योजना कुछ रिहायशी स्कूलों में भी लागू कर दी जाए। ये स्कूल वे होगे जो कि शिक्षा मन्त्रालय द्वारा योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत चुने गये हैं और जिन स्कूलों को दूसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चो को शिक्षा सहायता देने की योजना के अन्तर्गत चुना जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और 1962-63 मे यह कार्यान्वित होनी प्रारम्भ हो जाएगी।

9. **अनुमोदित अनुसन्धान प्रायोजनाओं के लिए सहायता-अनुदान**: माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना 1953-54 में प्रारम्भ

की गयी थी और वह दूसरी पचवर्षीय आयोजना के दौरान जारी रखी गई। इस योजना का उद्देश्य देश की शिक्षा सस्थाओ मे अनुसन्धान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना है। इस योजना के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण सस्थाओं, विश्वविद्यालयो तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओ के शिक्षा विभागो को उन शिक्षा समस्याओ पर अनुसधान करने के लिए शत प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है जिनका चुनाव उनके द्वारा किया जाता है और जो मत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। अब इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है और इसमे पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र मे अनुसधान भी शामिल कर लिया गया है।

इस समय तक विभिन्न सस्थाओ की 53 अनुसधान प्रायोजनाए मजूर की जा चुकी हैं। इनमे 40 प्रायोजनाए पूरी हो चुकी है। 17 प्रायोजनाओ की रिपोर्ट छप चुकी है। पाच की छप रही है, चार नामजूर कर दी गई है और दस प्रायोजनाओ की रिपोर्टे सम्पादित की जा रही है। पाच आयोजनाओ की प्रगति सतोष जनक नही थी अत: वे बन्द कर दी गई है और आठ प्रायोजनाए जारी है। इन 53 प्रायोजनाओ के अतिरिक्त 32 प्रायोजनाए विचाराधीन है।

अब पहली दिसम्बर 1961 से यह योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् को सौप दी गई है और अब यही सस्था उसे कार्यान्वित करेगी।

10. **ऋण**.--प्रशिक्षण सस्थाओ के छात्रावासो और माध्यमिक विद्यालयो के निर्माण के लिए ऋण देने की जो योजना दूसरी पचवर्षीय आयोजना मे केन्द्रीय क्षेत्र मे शामिल की गई थी उसे अब तीसरी पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र मे स्थानान्तरित कर दिया गया है फिर भी पिछले वचनो को पूरा करने के लिए कुछ बजट-व्यवस्था की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार सबद्ध कालेजो क छात्रावासो के निर्माण के लिए राज्यो को ऋण देने की एक योजना तीसरी पचवर्षीय आयोजना मे शामिल कर ली गई है और इसके लिए कुल 40 लाख रुपये का विनिधान किया गया है। इस योजना पर जो खर्च होगा वह तीसरी आयोजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आयोजना विनिधान के खाते मे नामे डाला जाएगा। आन्ध्रप्रदेश, मद्रास और मैसूर की राज्य सरकारो को ऋण देने के लिए 3,50,000 रुपये की रकम मन्जूर की गई। 5,000 रुपये की अन्तिम किस्त सीधे देवसमाज कन्या कालेज, अम्बाला सिटी को भेज दी गई है।

बडे नगरों मे कालेजों के छात्रो के लिए छात्रावास बनाने के लिए स्वैछिक सगठनो को ऋण देने की एक योजना तीसरी पचवर्षीय अयोजना मे शामिल कर ली गई है। और इसके लिए 8,00,000 रुपये की रकम का विनिधान किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा

सलाहकार मन्डल की सिफारिश के अनुसार शिक्षा मन्त्रालयने इन संस्थाओं को छात्रावास बनाने के लिए ऋण देने के स्थान पर **अनुदान** देना स्वीकार कर लिया है। इस योजना के अन्तर्गत उन स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओ को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो कि बिना लाभ के आधार पर छात्रावास चलाने को तैयार हों। पुरुषो के छात्रावासों के लिए केन्द्रीय सरकार कुल अनुमानित व्यय का अधिक से अधिक 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप मे देगी और महिलाओं के छात्रावासों के लिए अधिक से अधिक 75 प्रतिशत। यह अनुदान की राशि किसी सस्था को अधिकतम 1,00,000 रुपये तक ही दी जाएगी। शेष खर्च राज्य सरकार उठाएगी और/या सम्बन्धित सस्था स्वय उठायेगी। इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये छात्रावास बिना किसी धर्म, वर्ण, जाति, जन्मस्थान या भाषा के भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों के प्रवेश के लिए खुले होंगे। इस प्रकार के छात्रावास मे सबन्धित विश्वविद्यालय या नगर के कालेजो मे पढ़ने वाले एक से अधिक राज्यों के छात्र प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इन योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं।

11. **सूचना देने का कार्य:** भारत सरकार की एक मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा सबधी विचार और जानकारी देने के लिए सूचनालय के रूप मे काम करना है। यह जिम्मेदारी आशिक रूप मे निम्नलिखित कार्यों द्वारा पूरी की जाती हैं.

(i) सलाहकार मंडल या परिषदे बनाना और उनका सचालन करना ;

(ii) विभिन्न विषयो पर सेमिनार और कार्य-गोष्ठिया आदि करना, और

(iii) अपने उपयुक्त प्रसंग में अलग से निर्दिष्ट की गई तदर्थ समितियो, अध्ययनदलो या आयोगों की नियुक्ति करना। इनके अतिरिक्त इस मत्रालय मे सूचना, सांख्यिकी तथा प्रकाशन के तीन अनुभाग है, जिनका मुख्य काम भारत सरकार की सूचनालय के रूप मे जिम्मेदारी निभाना है।

(क) सूचना अनुभाग: आलोच्य वर्ष मे इस अनुभाग ने लगभग 9,000 पूछताछो का उत्तर दिया। ये पूछताछ जनता, छात्रो, अध्यापकों, अभिभावकों, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी सरकारों द्वारा भारत और भारत से बाहर उपलब्ध शिक्षा से सबधित विभिन्न पक्षों के विषय मे की गई थी। इस अनुभाग के पुस्तकालय में लगभग 1500 व्यक्ति भारत और विदेशों में शिक्षा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए। भारत और भारत के बाहर उपलब्ध शिक्षा के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित सुविधाओ के बारे मे सामग्री संकलित की गई और वह साइक्लोस्टाइल करके भारत में छात्रो के सभी सलाहकार ब्यूरो/समितियों को भेजी गई। इन ब्यूरो/समितियो को विदेशो से प्राप्त हुए प्रकाशनो की प्रतियाँ

भी भेजी गईं। आलोच्य वर्ष में तीस शैक्षिक विषयों पर सूचनाएं संग्रहीत और संकलित/संशोधित की गई।

विभिन्न देशों में उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को अद्यावधिक बनाने के लिए सम्बन्धित राज्यों के भारत स्थित दूतावासों से लगभग 100 विवरणिकाएं और अन्य सम्बन्धित प्रकाशन प्राप्त किए गए। ये दूतावास इस बात के लिए भी राजी हो गये हैं कि इस मन्त्रालय का नाम भविष्य मे प्रकाशित होने वाली इस प्रकार की विवरणिकाओं की मुफ्त प्रेषण सूची मे शामिल कर लिया जाए।

(ख) सांख्यिकी अनुभाग : सांख्यिकी अनुभाग के मुख्य काम शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करके उनकी छानबीन और विवेचना करना और उनसे परिणाम निकालना, सांख्यिकीय प्रकाशन निकालना, शिक्षा सम्बन्धी सांख्यिकीय सूचनाओं को प्रसारित करना और ऐसे सभी कार्य करना है जो कि शिक्षा सम्बन्धी सूचना-सामग्री को सुधारनेके लिए आवश्यक हैं।

(i) आंकड़े संग्रह करना : इस वर्ष में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से 1958-59 और 1959-60 के आंकड़ों का संग्रह करने का काम पूरा कर लिया गया है और 1960-61 का काम प्रारम्भ कर लिया गया है। 1958-59 के आंकड़ों की असंगतियाँ दूर कर दी गई हैं और 1959-60 के आंकड़ों की असंगतियों की छानबीन की जा रही है।

(ii) प्रकाशन : आलोच्य वर्ष में नीचे लिखे प्रकाशन प्रकाशित किये गए —

1. राज्यों में शिक्षा, 1957-58
2. भारत मे शिक्षा, 1956-57-खण्ड I
3. भारत मे शिक्षा, 1956-57-खण्ड II
4. भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं की निर्देशिका, 1961
5. भारतीय विश्वविद्यालयों मे शिक्षा, 1957-58

(iii) आंकड़ों सम्बन्धी पूछताछ

आलोच्य वर्ष में 105 प्रमुख पूछताछों के उत्तर दिये गये। पूछताछों का क्षेत्र विस्तार तो हो ही रहा है साथ ही साथ वे अधिक ब्योरेवार भी होती जा रही हैं।

(iv) शैक्षिक सांख्यिकी में नौकरी के दौरान में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम -

आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाने और उनको ठीक समय पर उपलब्ध कराने

के प्रयोजन से यह अनुभाग कर्मचारियों के लाभ के लिए उनके नौकरी मे रहते हुए छोटे प्रशिक्षण-क्रमों के आयोजन मे राज्यो तथा विश्वविद्यालयो की सहायता करता रहा है। शिक्षा मन्त्रालय एक ऐसी योजना भी चलाता है जिसके अधीन विश्वविद्यलयो को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों मे प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियो के सफर और दैनिक भत्तो इत्यादि पर लगने वाले कुल खर्च के 50 प्रतिशत के हिसाब से यह सहायता दी जाती है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत सागर, कलकत्ता, गुजरात, राची, विक्रम और बिहार विश्वविद्यालयो द्वारा इन पाठ्यक्रमो का आयोजन किया गया। इनके अतिरिक्त आन्ध्र, मद्रास, पजाब और बनारस विश्वविद्यालयों मे अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) **प्रकाशन अनुभाग** : यह अनुभाग मन्त्रालय की मुख्य प्रकाशन सस्था है यद्यपि कुछ प्रकाशन दूसरे एकको मे भी निकाले जाते है।

(i) **पत्रिकाए** : शिक्षा मन्त्रालय चार त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है :

(1) एजूकेशन क्वार्टरली (प्रकाशन का चौदहवा वर्ष) (2) सेकण्डरी एजूकेशन (प्रकाशन का छठा वर्ष) (3) यूथ (प्रकाशन का पांचवा वर्ष) और (4) इण्डियन जरनल आफ एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रिसर्च (प्रकाशन का दूसरा वर्ष)

(ii) **अन्य प्रकाशन** : आलोच्य वर्ष में शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए कुल प्रकाशनो की सूची परिशिष्ट IV मे दी जा रही है।

12. **आयोजना समन्वय एकक** . मन्त्रालय का आयोजना समन्वय एकक दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय आयोजनाओ के अन्तर्गत आनेवाली राज्यो और केन्द्र की शिक्षा विकास की योजनाओ से सम्बन्धित कार्यो का समन्वय करता रहा। राज्यो और सघ राज्य क्षत्रो से आये हुए 1962-63 वर्ष के कार्यक्रम के प्रस्तावों पर शिक्षा कार्यकारी दल की बैठकों मे विचार विमर्श किया गया। 1961-62 के कार्यक्रमो मे केन्द्रीय सहायता के रूप मे राज्यो को लगभग 17.63 करोड़ रुपये के अनुदान दिए गए।

राज्यों के शिक्षा सचिवो और जन शिक्षा निर्देशकों का एक सम्मेलन I5 और '6 जून 1961 को हुआ और उसमे इस बात पर विचार किया गया कि तीसरी पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमो को यथोचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं। अब इस सम्मेलन की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है।

13. **विदेशो में नौकरी के लिए अध्यापको की भरती** : आलोच्य वर्ष मे भारतीय अध्यापकों की सेवाओं के लिए कई देशो से प्रार्थनाए आई। इन देशों मे अफगानिस्तान,

रूस, यूगाडा, सूडान, नाइजीरिया, ब्रिटिश गिआना, लीबिया, ईराक, सयुक्त अरब गणराज्य और जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य शामिल है ।

अफगानिस्तान, लीबिया, संयुक्त अरब गणराज्य, रूस और नाइजीरिया के लिए अध्यापकों का चुनाव किया जा चुका है ।

14. **केन्द्रीय सचिवालय थागार :** केन्द्रीय सचिवालय ग्रथागार का प्रशासनिक नियन्त्रण शिक्षा मन्त्रालय करता है । ग्रथागार मे पाच अनुभाग है . (1) मुख्य पुस्तकालय, (2) शिक्षा पुस्तकालय, (3) भारतीय भाषा पुस्तकालय, (4) पत्रिका-अनुभाग और (5) सरकारी प्रकाशन अनुभाग ।

इस साल कितना व्यय किया गया है, इसका कुछ अनुमान नीचे दिये गये आकड़ों से किया जा सकता है ।

इस वर्ष में प्राप्त पुस्तके—8000 से ऊपर
प्रलेख जिनमे पुस्तिकाए शामिल है—15000 से ऊपर पत्र-पत्रिकाए —900 से ऊपर
संदर्भ के प्रश्न 20,000
उधार दी गई पुस्तके : 2, 80,000 (इसमे ग्रंथागार के विभिन्न अनुभाग मे पढे जाने वाले प्रकाशनो के ऑकड़ें शामिल नही है)

ग्रन्थ सूची शिक्षा तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित विविध प्रकरणों पर लगभग 50 ग्रन्थ सूचिया संकलित की गई ।

भारत सरकार के कार्यालयो और कर्मचारियो को संदर्भ और पुस्तके उधार देने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय ग्रथागार द्वारा कई उपयोगी प्रकाशन निकाले गए । इनमे (क) नई आई पुस्तकों की मासिक सूची; (ख) नये आए प्रलेखों की मासिक सूची; (ग) सामयिक पुस्तकालय साहित्य (करेंट लाइब्रेरी लिट्रेचर) (मासिक) जिसमे "पुस्तकालय विज्ञान" और उसी तरह के अन्यमासिक पत्रो के चुने हुए लेख रहते है, (घ) सामुयिक प्रशासन साहित्य (करेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिट्रेचर) (द्वैमासिक) जिसमे लोक प्रशासन और तत्सम्बन्धी पत्रिकाओं से चुने हुए लेख दिए जाते हैं; (ङ) सामयिक शिक्षा साहित्य (करेंट एजूकेशन लिटरेचर, पाक्षिक) इस प्रकाशन मे शिक्षा सम्बन्धी साप्ताहिक पत्रो और भारतीय समाचार पत्रो से चुने हुए लेखों का साराश उद्धृत किया जाता है ,

(च) शिक्षा अनुक्रमणिका (एजुकेशनडेइंक्स, मासिक) जिसमें भारत में प्रकाशित होने वाली शैक्षिक पत्रिकाओं के लेख रहते हैं, (छ)विदेश मे शिक्षा (एजूकेशन एब्राड-द्वैमासिक) जिसमें लगभग 70 विदेशी पत्र पत्रिकाओं से चुने हुए लेखो के सारांश दिए जाते हैं; (ज) भारतीय शिक्षा सार (इडियन एजूकेशन एब्स्ट्रक्ट्स-त्रैमासिक) जिसमे भारतीय शैक्षिक पत्र-पत्रिकाओ से चुने हुए लेखों के सारांश रहते हैं। इन प्रकाशनो ने ग्रथागार की उपयोगिता बढ़ाने तथा बदले मे 295 भारतीय तथा विदेशी शिक्षा सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाए प्राप्त करने में सहायता दी है और इसके फलस्वरूप रुपये तथा विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। 1962-63 के लिए ग्रंथागार ने निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं·

(1) विद्यमान पत्र-पत्रिकाओं की सूची तैयार करना और इसे प्रकाशित करना,

(2) भारतीय भाषाओं मे प्रकाशित होने वाली शिक्षा सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं में छपनेवाले शैक्षिक लेखों की सूची प्रकाशित करना;

(3) एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करना जिसमें लोक प्रशासन सम्बन्धी लेखों का साराश दिया जाया करेगा।

15. **भारत से बाहर के छात्रावासों संस्थाओं और सगठनों को अनुदान** : भारत सरकार 1947 से ही गिल्फोर्ड स्ट्रीट इडियन स्टूडेंट्स होस्टल, लन्दन को चला रही है। छात्रावास के भवन को मरम्मत के खर्च के अलावा इस पर प्रति वर्ष 1665 पौंड खर्च हो रहा था। 1959-60 मे यह खर्च कम होकर 1,344 पौंड वार्षिक रह गया है। इसके लिए भारतीय हाई कमीशन के 1961-62 के बजट मे 1425 पौंड की व्यवस्था की गई है और इतनी ही रकम की सिफारिश 1962-63 वर्ष के लिए भी की गई है।

1960-61 के बजट मे ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, लंदन (प्राच्य एवं अफ्रीकी अध्ययन-विद्यालय, लंदन) को अनुदान देने के लिए 750 पौड की व्यवस्था है। लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के 1962-63 के बजट में भी इस प्रयोजन के लिए इतनी ही रकम की व्यवस्था की गई है। यह एक अतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है और इसमें अनुसंधान की विशेष सुविधाएं हैं।

सीलोन एस्टेट वर्कर्स एजूकेशन ट्रस्ट (लंकासंपदा श्रमिक शिक्षा न्यास) को अनुदान देने के लिए 1961-62 के बजट मे 7,500 रु० की व्यवस्थाकी गई है। 1962-63 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 7,500 रु० की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। यह न्यास 1947 में लंका स्थित भारतीय प्रतिनिधि द्वारा स्थापित किया गया था - यह न्यास लंका में बसने वाले भारतीयों के बच्चों को शिक्षा-सुविधाएं प्रदान करता है।

नेपाल की शिक्षा सस्थाओ को 18,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था 1962-63 मे भी जारी रहेगी।

रायल एशियाटिक सोसाइटी, लदन को अनुदान देने के लिए 1961-62 के बजट मे 225पौड की व्यवस्था है। इतनी ही रकम का प्रस्ताव 1962-63 के बजट मे किया गया है।

वाई०एम०सी ए०इडियन स्टूडेट्स यूनियन एड होस्टल, लन्दन को 1961-62 मे 250 पौड का अनुदान मजूर किया गया था इतनी रकम की व्यवस्था 1962-63 के बजट मे की गई है

ब्रिटेन मे भारतीय छात्र सगठन को 1961-62 में 150 पोड का अनुदान दिया गया। इतनी ही रकम की व्यवस्था 1962-63 के लिए भी की जा रही है।

16. **नैतिक और धार्मिक शिक्षा** : नैतिक और धार्मिक शिक्षा सबधी श्रीप्रकाश समिति की सिफारिशे मंत्रालय ने 1960 मे स्वीकार कर ली थी और उनको कार्यान्वित करने का कार्य हाथ मे ले लिया था। आलोच्य वर्ष मे नीचे लिखा कार्य किया गया है

(i) श्रीप्रकाश समिति की रिपोर्ट का साराश तैयार किया गया है और इसे देश के सभी माध्यमिक विद्यालयो मे भेजा जाएगा।

(ii) प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों के विभिन्न स्तरों के लिए नैतिक शिक्षा के पाठ्य विवरण का मसौदा तैयार किया गया है,

(iii) लेखकों और प्रकाशको से बहुत सी पुस्तकें प्राप्त हुई है। उनकी जाच की जा चुकी है . फिलहाल कुछ पुस्तके चुन ली गई है और शीघ्र ही उनकी जांच श्रीप्रकाश समिति द्वारा की जाएगी;

(iv) माध्यमिक विद्यालयो के अध्यापको के उपयोग के लिए नैतिक शिक्षा की एक पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

17. **केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियो की बदली हो सकती है, उनके बच्चों को शिक्षा सहायता देने की योजना** : दूसरे वेतन आयोग ने और बातो के साथ-साथ ये सिफारिशे भी की थी:—

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो तथा देश के अन्य ऐसे लोगो के हित के लिए जिन्हे अपने निवास स्थान बदलते रहने पड़ते है, ऐसे स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहन

दिया जाना चाहिए जिनमे पाठ्यविवरण और शिक्षा का माध्यम समान हो तथा फीस भी अधिक न हो, और

(ii) क्रमबद्ध रियायती दरो पर भोजन आवास की व्यवस्था करने वाले छात्रावास स्थापित करने की जो योजना रेलवे द्वारा चलाई जा रही है उसमे विस्तार करके अन्य ऐसे कर्मचारियों को भी शामिल कर लेना चाहिए जो 300 रु० प्रति मास से अधिक वेतन नही पाते है ।

ऊपर की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत देश भर के कुछ ऐसे खास-खास स्थानो के थोडे से स्कूलो को वित्तीय सहायता दी जा सकेगी जहा पर्याप्त सख्या मे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते है। यह भी प्रस्ताव है कि देश के विभिन्न भागों के कुछ ऐसे थोड़े से स्कूलो मे आवास-व्यवस्था की जाए जहा ऐसे सरकारी कर्मचारियो के बच्चो को रियायती दर पर भोजन और निवास की सुविधा मिल सके जिनका वेतन सशोधित वेतन-क्रम के अनुसार एक विहित रकम से अधिक नही होता। जहा आवश्यक होगा नये स्कूल स्थापित करके ये सुविधाए दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत जो स्कूल चुने जायेगे उनमे ऐसे अनुभाग रखे जायेंगे जो कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से सबद्ध होगे और छात्रो को एक सामान्य परीक्षा के लिए तैयार करेगे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अन्य चल जनसख्या की आवश्यकताए पूरी होने के बाद जो इन अनुभागो मे स्थान बचेगे, उनका लाभ अन्य सभी लोग भी उठा सकेगे।

इस योजना के ब्योरों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकारो से परामर्श किया जा रहा है।

18. **वित्त व्यवस्था**:- इस अध्याय मे वर्णित योजनाओ के लिए नीचे लिखी वित्त व्यवस्थाए की गई है .

क्रम सख्या	योजना	बजट व्यवस्था	
		1961-62	1962-63
		रुपये	रुपये
1.	भारत मे आने वाले तथा भारत से बाहर जाने वाले शिक्षा संबंधी शिष्टमडल	95,000	80,000
2.	अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	60,000	73,000

3. तिब्बती बच्चों की शिक्षा	6,73,200	12 99,000
4. गान्धी-दर्शन का प्रसार	1,00,000	1,60,000
5. राज्यों मे पारस्परिक सद्भावना का विकास	51,000	1,00,000
6. रिहायशी और पब्लिक स्कूलो मे एन० सी०सी० यूनिटो का विस्तार	—	1,90,000
7. संबद्ध कालेजो के छात्रावास बनाने के लिए राज्य सरकारो को ऋरण	8,00,000	8,00,000
8. बड़े नगरो मे छात्रावास बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनो को सहायता	—	2,00,000
9. नैतिक और धार्मिक शिक्षा	—	25,000

ग्यारहवां अध्याय

संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा

संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी दायित्व सीधे भारत सरकार पर है। इस समय देश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमन और निकोबर द्वीपसमूह, लक्कादीव तथा दमण, दीव और गोवा ये सात संघ राज्य क्षेत्र है। इन सातो मे विचाराधीन वर्ष मे हुई शैक्षिक प्रगति के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियां नीचे दी जा रही हैं।

I. दिल्ली

दिल्ली में उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था और देख-रेख दो भिन्न अभिकरणों के हाथ में हैं। ये हैं:—दिल्ली प्रशासन और स्थानीय निकाय (नगर निगम, और नई दिल्ली म्युनिसपिल कमेटी) प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायो का मुख्य दायित्व है और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था अधिकांशत: दिल्ली प्रशासन करता है। दिल्ली प्रशासन स्कूलों में शिक्षा का ठीक स्तर बनाये रखने के लिए भी जिम्मेदार है और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी देता है।

दिल्ली के सर्वतोमुखी शैक्षिक विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1,143 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा के ऊपर 473.46 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है जिसमें आयोजना की योजनाओं के अन्तर्गत 114 लाख की जो व्यवस्था की गई है वह भी शामिल है। स्थानीय निकायों (दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली म्युनिसपिल कमेटी) द्वारा आलोच्य वर्ष में 285 लाख रुपये का खर्च किए जाने का अनुमान है। इस मे 40 लाख रुपये का वह सहायता अनुदान भी शामिल है जो उन्हें दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुआ है।

दिल्ली क्षेत्र में शैक्षिक विकास की योजनाओं के लिए 1962-63 के लिए 260.93 लाख रुपये का अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। सामान्य खर्चों के लिए दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत 360 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। स्थानीय निकाय 320 लाख रुपये की राशि खर्च करेंगे।

1960-61 के अन्त में, 265 उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे जिनमें 160 सरकारी,

95 प्राइवेट और 10 स्थानीय निकायों के थे। इसी अवधि मे 205 मिडिल स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल थे जिनमें 49 प्राइवेट और 156 स्थानीय निकायों के अधीन थे। 1960-61 के अन्त में 744 प्राइमरी और जूनयिर बेसिक स्कूल थे जिनमे से 54 प्राइवेट और 690 स्थानीय निकायों के अधिन थे। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विचाराधीन वर्ष मे दिल्ली प्रशासन ने कुल मिलाकर 22 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले (जिनमें 11 लड़कों के लिए थे और शेष 11 लड़कियों के लिए)। इनमे से 5 देहाती क्षेत्रों मे थे। इन नये विद्यालयों में 8000 बच्चों को शिक्षा की सुविधायें मिलत है। इसके अलावा वर्तमान राजकीय और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में 180 अतिरिक्त कक्षा-वर्ग (सेक्शन खोल दिए गए जिनसे माध्यमिक स्तर के नये 7000 लडके-लडकियो को शिक्षा की सुविधाये प्राप्त हो सकी। गत दो वर्षो में खुले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी दसवी और ग्यारहवी कक्षाये खोली गई।

आरम्भिक स्तर पर, स्थानीय निकायों ने भी शिक्षा की सुविधायें बढ़ाई और 103 प्राथमिक/जुनियर बेसिक स्कूल खोले। इससे प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं में 50% वृद्धि हुई। वर्तमान प्राइमरी स्कूलों मे भी लगभग 500 नये कक्षा वर्ग बढ़ा दिए गए। एक भर्ती आन्दोलन सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम के प्राइमरी जूनियर बेसिक और मिडिल सीनियर बेसिक स्कूलों के बच्चों की संख्या मे कुल मिला कर 47,000 की बृद्धि हुई। नगर निगम ने 38 जूनियर बेसिक स्कूलों का स्तर ऊंचा किया। नई दिल्ली म्युनिसपिल कमेटी ने 5 और नये प्राइमरी स्कूल खोल कर स्कूलों की कुल संख्या 55 कर दी है ओर 6 से 11 वर्ष तक की आयु के 1500 बच्चो की शिक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर दी ।

1962-63 में नगर निगम 70 नये प्राइमरी जूनियर बेसिक स्कूल खोलने, वर्तमान स्कूलों में 500 कक्षा वर्ग बढाने, 25 जूनियर बेसिक स्कूलों का स्तर ऊंचा करने और 4 नये मिडिल स्कूल खोलने जा रहा है। इसी वर्ष के अन्दर दिल्ली प्रशासन की 15 नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने, दरियागज स्थित अध्यापक प्रशिक्षणशाला का विस्तार करने और वर्तमान स्कूलो मे 200 कक्षा-वर्ग बढ़ाने की योजना है। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन का कार्य 3 राजकीय विद्यालयो मे पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है और 1962-63 के अन्दर दो और राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलो मे मार्गदर्शन की सेवाये देने का प्रस्ताव है।

जनसंख्या की उत्तरोत्तर और शीघ्र वृद्धि के कारण और वर्तमान स्कूलों पर निरंतर बोझ पडने से बहुत से स्कूलों को तम्बूओं में चलाना पड़ा। तम्बुओं की जगह स्कूलों को इमारतों में शीघ्र ही ले जाने के लिए हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। इमारतें बनवाने के लिए लिए 431 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। शिक्षा के दूसरे पहलुओं जैसे प्रौढ़ शिक्षा स्कूल पुस्तकालयों में सुधार, अध्यापक कल्याण, कर्मचारी-आवास, परीक्षा पद्वति में सुधार,

खेल के मैदान और होस्टल व बसों की सुविधाएँ, खेलकूद, व्यायाम की व्यवस्था और योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृति और शिष्यवृतियों की सुविधा आदि की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

II. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का दायित्व क्षेत्रीय परिषद् पर है। प्रशासन का सबंध केवल कालेज स्तर की शिक्षा, गैर सरकारी तौर पर चलने वाले स्कूलों को मान्यता और सहायता देने अध्यापको के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, छात्रवृतियां बाटने, शिक्षा, एन० सी०सी० और ए०सी०सी० के विकास की आयजनाओं बनाने से ही है।

इस क्षेत्र के शैक्षिक विका सकेलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल 202.77लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत प्रशासन और क्षेत्रीय परिषद् द्वारा चलाई गई शैक्षिक विकास योजनाओं के लिए 48.78 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी वर्ष प्रशासन के अन्तर्गत सामान्य-शैक्षिक व्यय के लिए 22.68 लाख रुपयें की व्यवस्था की गई है और क्षेत्रीय परिषद् का सानान्य शैक्षिक खर्चा चलाने के लिए 114.38 लाख रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव है। और अगले साल में **प्रशासन और क्षेत्रीय परिषद्** की विकास **योजनाओं** के लिए क्रमश: 17.42 लाख और 32.88 रुपये लाख का विचार है। प्रशासन के तत्वावधीन में साधारण खचे के लिए 19,48,600 देने रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय प्रशासन के अधीन शिक्षा: अलोच्य वर्ष में डिग्री कालेजों में (जिसमें एक सहायता प्राप्त कालेज भी शामिल है) तीन साल का डिग्री-पाठ्य-क्रम चा नू कर दिया गया है और 1962 के शैक्षिक -सत्र से पांचों राजकीय कालिजों मे बी०एस०सी कक्षायें शुरू कर दी गई है। कालिजो मे विद्यार्थियो की संख्या 873 से बढकर 950 हो गई है। माध्यमिक विध्यालयों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रशासन ने बेसिक प्रशिक्षण कालिज में चालू शिक्षा-सत्र 60 की जगह 100 अध्यापको को भर्ती करना शुरू कर दिया है।

शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों के लिए सेमिनार और पुनश्चर्या पाठ्यचर्या का आयोजन किया गया।

गैर सरकारी तौर पर चलने वाली शिक्षा संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के नियम उदार कर दिये गए हैं और सहायता की मात्रा बढ़ाकर घाटे का 95 प्रतिशत तक कर दी गई है।

इस क्षेत्र मे बेसिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, आलोच्य वर्ष मे एक सलाहकार समिति के रूप मे बेसिक शिक्षा बोर्ड का सगठन किया गया।

निम्नलिखित कामों की ओर विशेष ध्यान दिया गया :

परीक्षा-पद्धति में सुधार, विस्तार सेवाओं, ए० सी० सी० और एन० सी० सी० कार्यक्रमों समाजिक शिक्षा पुस्तकालयो का बिकास, श्रव्य-दृश्य शिक्षा, सस्कृत पाठशालाओं का विकास अध्यापिकाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यबस्था बच्चो और अध्यापकों के लिए साहित्य निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों मे खेल के मैदानों का प्रबन्ध तथा खेलकूदों की लोकप्रिय बनाने का यत्न। क्रीड़ा संघो और युवक-छात्रावासों के निर्माण के लिए भी सहायता अनुदान दिए गए।

प्रशासन ने 1962-63 के अन्तर्गत निम्नलिखित नई योजनाये आरम्भ करने का विचार किया है। वर्तमान कालेजों मे से किसी एक में संस्कृत और हिंदी में स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) कक्षाये आरम्भ करना, माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान के अध्यापको को प्रशिक्षण की सुविधाये देना, कला-विद्यालय (आर्टस-स्कूल) खोलना और एन० सी० सी० (लड़के-लड़कियो) व ए० सी० सी० के अतिरिक्त जूनियर डिवीजन दस्तो की व्यवस्था करना।

क्षेत्रीय परिषद् के अधीन शिक्षा: हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद ने 250 जूनियर बेसिकस्कूल खोले, 4 प्राइमरी स्कूल चालू किए और 13 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्तर तक और 6 मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बढा दिया। उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल मे परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान विद्यालयों में विज्ञान के साज समाज और पुस्तकालयों के लिए पुस्तके देने के लिए भी कदम उठाये गए और क्षेत्र के बालिका विद्यालयो में विज्ञान की पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई।

अध्यापकों के लिए पुनः प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया और 38 अध्यापक शिक्षा के लिए बाहर भेजे गए।

पर्यवेक्षण और देख रेख का काम अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या और दर्जे बढ़ाये गए।

उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के विद्यार्थियों के लिए 72 अतिरिक्त योग्यता छात्रवृत्तियाँ दी गई।

अध्यापिकों के लिए हास्टल भवन, और आवास गृह बनवाये जा रहे है छटी से ग्याहरवी कक्षा तक की लड़कियों को 100 उपस्थिति-छात्रवृत्रियाँ दी जाएँगी।

1962-63 मे क्षेत्रीय परिषद् 200 से अधिक जूनियर बेसिक और प्राइमरी स्कूल **खोलने का तथा अनेक प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को क्रमशः मिडिल और उच्चतर माध्य-**

मिक स्तर तक उठाने का विचार कर रही है। तीन उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक ढाँचे पर बदल दिया जायेगा।

परिषद् की एक योजना यह भी है कि पहली कक्षा से लेकर 11 वीं कक्षा तक के योग्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें मुफ्त मे दी जाये और यह योजना अगले साल कार्यान्वित करने का परिषद का विचार है ।

III मणिपुर

यहाँ भी हिमाचल प्रदेश का भौतिक शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी का विभाजन प्रशासन और क्षेत्रीय परिषद् के बीच किया गया है।

तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे शिक्षा के क्षेत्र मे विकास योजनाओं के हेतु इस क्षेत्र मे 111,33 लाख रुपये नियत किये गये है। विकास योजनाओ के लिए आलोच्य वर्ष मे प्रशासन और क्षेत्रीय परिषद् के लिए क्रमश: 5,47,000 रु० और 20,49,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन के अधीन शिक्षा पर साधारण खर्च का अनुमान लगभग 14,06 000 रुपये किया गया है और क्षेत्रीय परिषद् का साधारण शिक्षा खर्च अनुमानत. 66,93,500 रुपये होगा। क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय परिषद् की आयोजना-गत योजनाओं के लिए अगले साल मे 5,88 000 (प्रशासन) और 24,74,000 रु० (क्षेत्रीय परिषद्) की व्यवस्था कर दी गई है। अगले साल प्रशासन के अधीन शिक्षा पर साधारण-खर्च अनुमानतः 20,22 लाख रुपये और क्षेत्रीय परिषद् के अधीन 71.42 लाख रुपये होगा ।

क्षेत्रीय प्रशासन के अधीन शिक्षा :—आलोच्य वर्ष की अवधि मे प्रशासन ने डी० एम० कालिज, इम्फाल में विश्वविद्यालय पूर्व (प्रियुनीवर्सिटी) कक्षाये आरम्भ कर दी हैं। जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 546 है। शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और मानव-विज्ञान मे आनर्स कक्षाये खोल दी गई है। डा० एम० कालिज के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को डाक्टरी सुविधाये देने के लिए एक डिस्पेसरी खोल दी गई है।

प्राईवेट कालेजो को 10,000 तक अनुदान दिये गए है। सितम्बर, 1961 में अध्यापकों के लिए एक सीनियर बेसिक ट्रेनिंग कालिज खोल दिया गया। उच्चतर माध्य-मिक विद्यालयो के लिए योग्य अध्यापक तैयार करने के विचार से 14 ग्रेजुगट अध्यापक पोस्ट-ग्रेजुएट(स्नातकोत्तर) अध्ययन के लिग भेजे गए और 30 ग्रेजुएट अध्यपक डी० एम० कालिज इम्फाल मे बी० टी० पाठ्यक्रम के लिए भर्ती किए गए। लगभग 320 प्राइमरी अध्यापक जिनमें 30 महिला-अध्यापक भी है, बेसिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए।

प्रशासन ने जिन अन्य विकास योजनाओं को चलाया उनके अन्तर्गत जिला पुस्तकालय व बालको के पुस्तकालय और संग्रहालय के विकास नव शिक्षितो के लिए साहित्य की तैयारी, मणिपुरी भाषा में पाठ्य पुस्तको की तैयारी, दृश्य-श्रव्य शिक्षा हिन्दी और सस्कृत का

विकास, शारीरिक-शिक्षा युवक कल्याण कार्यक्रम और एन० सी० सी० यूनिट आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त इतिहास और हिन्दी के अध्यापकों के लिए सेमिनार भी आयोजित किये गए।

क्षेत्रीय परिषद् के अधीन शिक्षा :—क्षेत्रीय परिषद् ने 209 अवर प्राइमरी स्कूलों और जूनियर बेसिक स्कूलो को अपने हाथ मे लिया। आरम्भिक विद्यालयों (एलीमेंटरी स्कूलो) को बेसिक स्कूलो के ढांचे पर ढालने की योजना 25 निम्नतर प्राइमरी स्कूलो में शुरू की गई।

जन जातियो के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 861 विद्यार्थियो को चालू दरो पर मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ दी गई। पहाड़ी क्षेत्रों मे दो छात्रावास बनवाये जा रहे है।

आयोजना मे जिन विकास योजनाओं को शामिल कर लिया गया था उन सभी को 1962-63 में चलाने और आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

IV त्रिपुरा

आलोच्य वर्ष मे शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र की शिक्षा संबधी विकास योजनाओं के लिए कुल 230,78 लाख रुपये नियत किये गये है। चालू वर्ष मे विकास खर्च के लिए 43,40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमे से 15,20 लाख रुपये प्रशासन चालित योजनाओं के लिये और 28.20 लाख क्षेत्रीय परिषद् की योजनाओं के लिए निर्धारित किये। यह योजनाओं के लिए निर्धारित किये। यह अनुमान किया गया है कि प्रशासन साधारण शिक्षा पर की ओर से 42,48,600 रु० होंगे और क्षेत्रीय परिपद् की ओर से 88,11,000 रु० खर्च होंगे। अगले साल मे विकास योजनाओ के लिए 57,29 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है। जिसमे से 22.20 लाख रु० की किन प्रशासन की योजनाओं के लिए होंगे और शेष 35,C9 लाख रुपये मी रकम क्षेत्रीय परिषद् की योजनाओ के लिए रहेगी। 1962-63 में प्रशासन के अधीन साधारण खर्च के लिए 42,35,300 रु० और क्षेत्रीय परिषद् के अधीन साधारण खर्च के लए 1,00,11,000 रु० की व्यवस्था की गई है।

प्रशासन के अधीन शिक्षा :—आलोच्य वर्ष मे प्रकाशन ने एम० बी० बी० कालिज अगरेताला को तीन-साला डिग्री ढाँचे का कालेज बना दिया है। इस क्षेत्र मे गैर सरकारी तौर पर चलने वाले कालिज को वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव है ताकि वह सुचारू रूप से चल सके। प्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापकों और स्नातक पूर्व बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने के विचार से वर्तमान बेसिक ट्रेनिंग कालेजों और क्राफ्ट अध्यापक प्रशिक्षण शाखा में विस्तार कर दिया गया है।

प्रशासन ने आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित योजनाओं का भी संचालन किया:— पुस्तकालय सेवाओं का विकास, एन० सी० सी०, ए० सी० सी० व स्काउट कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा का विकास, समाज कल्याण की योजनाये जैसे बालवाड़ी शिशु गृह आदि की स्थापना, समाज-रक्षा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, बी० टी० कक्षाओं की शुरू-आत, सामाजिक शिक्षा साहित्य की तैयारी, प्रौढ़ शिक्षा के और श्रव्य दृश्य शिक्षा और हिन्दी अध्यापन प्रचार केन्द्रो की स्थापना

क्षेत्रीय परिषद् के अधीन शिक्षा: आलोच्य वर्ष में 502 जूनियर बेसिक एकक आरम्भ कर दिये गए और 120 वर्तमान प्राइमरी कक्षाये (40 स्कूल) जूनियर बेसिक स्कूलों मे परिवर्तित कर दी गई। योग्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तके खरीदने और स्टेशनरी इत्यादि के सामान होने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। सोलह नये सीनियर बेसिक स्कूल स्थापित किये गए और 17 मिडिल स्कूलों मे अतिरिक्त एकक खोलें गये। योग्य विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और वजिफों की व्यवस्था की गई दो और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनवाने के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है और ऊचे दर्जे मे भी योग्य विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और वजिफो की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 14 अध्यापक बी० टी० के लिए 6बी० ए० के लिए और 3 शारीरिक शिक्षा मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे गए।

6 साल से 11 साल तक के बच्चो की स्कूलो में भर्ती की तादाद साल के अन्त तक अनुमानत: 87 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी। 1962-63 मे 144 नये जूनियर बेसिक एकक शुरू करने और 120 प्राइमरी एककों (40 स्कूलों) को बेसिक ढांचे पर ढालने का विचार है। प्राइमरी स्तर पर नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहन देने के लिये प्राइमरी जूनियर बेसिक स्कूल के बच्चों की उपस्थिति छात्रवृत्तिया दी जायेगी। प्राइमरी स्तर पर मध्यान्ह भोजन की योजना भी चलाने का प्रस्ताव है।

मिडिल स्तर पर 16 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने वर्त्तमान सीनियर बेसिक स्कूलों मे 20 एकक बढाने और वर्त्तमान मिडिल स्कूलों मे 8 अतिरिक्त एकक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह अनुमान लगाया गया है कि 11 से 14 साल तक के बच्चों की कुल भर्ती 27 प्रतिशत तक होगी।

माध्यमिक स्तर पर एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल आरम्भ करने, 3 उच्च स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाने, दो वर्त्तमान गैर सरकारी विद्यालयों का विस्तार करने और वर्त्तमान हाई स्कूलों में 8 नये एकक शुरू करने का प्रस्ताव है।

V. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

इन द्वीप समूहों में शैक्षिक विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल

56.76 लाख रुपये की रकम नियत की गई है। आलोच्य वर्ष में आयोजनान्तर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 11,40,000 रुपये की धनराशि दी गई और शिक्षा पर साधारण खर्च के लिए 8 64,000 रुपये की व्यवस्था की गई। दूसरे साल के लिए यह प्रस्ताव है कि आयोजनागत योजनाओं के लिये 13,99,000 रु० और साधारण खर्च के लिये 9,16,400 रु० की रकम नियत कर दी जाए ।

1960-61 के अन्त मे द्वीपसमूह मे 76 प्राइमरी स्कूल, तीन मिडिल स्कूल, दो उच्चतर माध्यमिक स्कूल, एक बहूउद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्कूल, एक अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल और एक व्यावसायिक स्कूल थे। आलोच्य वर्ष मे क्षेत्र के विभिन्न भागों मे 17 नये प्राइमरी स्कूल एक मिडिल स्कूल खोले गए है और चार प्राइमरी स्कूलो को मिडिल स्कूल बना दिया गया है। वर्त्तमान प्राइमरी, मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों मे अपेक्षित पुस्तको, विज्ञान के साज-समान और फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर दी गई है। 6 प्राइमरी स्कूलो को बेसिक ढाँचे पर ला दिया गया है।

इस द्वीपसमूह मे अध्यापकों की बहुत कमी है और इस स्थिति का हल निकालने के विचार से अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापको की संख्या बढाकर और अन्य आवश्यक साज सामान की व्यवस्था कर के उनमे सुधार किया गया है। इस वर्ष 24 अध्यापक प्रशिक्षित हुए और दूसरे 24 अध्यापकों का प्रशिक्षण जारी है। एक अध्यापक संगोष्ठी, का आयोजन किया गया जिसमे 125 अध्यापकों ने भाग लिया।

प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम मे प्राइमरी स्कूलों के 700 अतिरिक्त बच्चों को यूनीकेफ का दूध बाटने की भी योजना की गयी है।

क्षेत्र मे लड़कियो की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये एक विशेष पुरस्कार योजना चालू कर दी गई। जिसके अन्तगत हर प्राइमरी स्कूल मे दो लड़कियों को हर साल नियमित उपस्थिति के लिए पुरस्कार दिये जाने है। लड़कियो को छात्रावास की सुविधाये भी दी गई है। छात्रावास मे रहने वालो 20 निकोबारी लड़कियो को वजीफे दिये जायेगें

आलोच्य वर्ष में स्कूल की इमारतों के निर्माण और छात्रावास व अध्यापक आवास भवन बनाने की दिशा मे भी प्रशसनीय प्रगति हुई। एक सीनियर बेसिक स्कूल और 12 प्राइमरी स्कूलों के लिए इमारते तैयार कर दी गई 7 प्राइमरी स्कूलो और एक उच्चतर-माध्यमिक स्कूल में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गई है। पोर्ट ब्लेयर के बहूद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्रावास लगभग पूरा होने को है। स्कूलों के अध्यापकों लिये के 25 आवास गृह बना दिये गये है।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए 11 सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने है। हिन्दी की पढाई को बढावा देने की शिक्षा मे भी कदम उठाये गये है और 10 हिन्दी अध्यापन केन्द्रो की स्थापना हुई है। पिछड़ी हुई जातियो के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

निकोबार में दो छात्रावास—एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियो के लिए—बनाये जा रहे हैं। अनुसूचित जातियो के बच्चों को पाठ्यक्रम पुस्तके और स्टेशनरी के सामान मुफ्त दिये गये है।

एक सौ आठ योग्यता छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं। इसके अलावा, द्वीप समूह के विद्यार्थियों को भारत भूमि के और हिस्सो मे जाकर विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष 40 अतिरिक्त छात्रवृत्तिया दी जाती है।

VI लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में शैक्षिक प्रगति के लिए 18.83 लाख रुपये की धन राशि नियत की गई है। आलोच्य वर्ष मे विकास योजनाओं के लिये 4,00,000 रुपये की और शिक्षा सम्बन्धी साधारण खर्चे के लिए 3,65,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। अगले साल के लिए विकास योजनाये चलाने के लिये और अन्य साधारण खर्च के लिए क्रमश: 6,12,000 और 3,65,000 की धन राशियां रक्खी गई हैं।

आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत 4 प्राइमरी स्कूलो को अपर प्राइमरी स्कूल बना दिया गया। कडमत मे एक सहायक विद्यालय (फीडर स्कूल) खोल दिया गया है। अमेनी मे जो स्कूल गत वर्ष खोला गया था उसमें एक और कक्षा बढा दी गई है। 5 अपर प्राइमरी स्कूलो में 3 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक नियुक्त किये गये। वर्तमान स्कूलों मे अतिरिक्त अध्यापकों और साज सामान की व्यवस्था की जा रही है। क्योकि जल्दी ही सभी प्राइमरी स्कूलों को बेसिक ढांचे पर ढालना है इसलिए क्राफ्ट और दूसरे साज सामान खरीदने के लिये धन की व्यवस्था कर दी गई है। विद्यार्थियो और अध्यापकों के मनोरंजन के लिये पर्यटन आदि का भी आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों मे श्रम और सेवा के भाव पैदा करने के लिये समाज सेवा शिविरों के आयोजन का भी प्रस्ताव है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन करने वाले द्वीपसमूह के विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति और वजीफा वृत्तियाँ भी दिये गये।

अध्यापकों और शिक्षा विभाग के दूसरे कर्मचारियों के वेतन मान भी संशोधित किये गए । वह वृद्धि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है।

1962-63 में एक और हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जिसमें छात्रावास की सुविधाएँ भी होगी । लडको के 4 और प्राइमरी स्कूलों व लड़कियों के 4 और प्राइमरी स्कूलो को अपर प्राइमरी बना देने का भी प्रस्ताव है। विद्यालय भवनो के निर्माण और अध्यापकों के आवास गृह बनाने का कार्यक्रम भी चालू किया जाने वाला है।

VII **दीव, दमण और गोवा** : इन क्षेत्रों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है और इन क्षेत्रो के शैक्षिक विकास की आयोजनाएँ आकलन और अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी ।

आया उसका 50 प्रतिशत शिक्षा मंत्रालय और शेष 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों ने दिया।

4 **समाज कल्याण के क्षेत्र मे कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता :** आलोच्य वर्ष मे, अखिल भारतीय स्तर की 5 संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान के रूप में लगभग एक लाख रुपये की मंजूरी दी गयी।

5 **समाज-कार्य स्कूलों को सहायता :** अनुरक्षण और विकास सम्बन्धी क्रियाकलापो के लिए समाज कार्य के 5 स्कूलो को लगभग 1.88 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। तकनीकी सहयोग मिशन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत काशी विद्यापीठ, वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र और समाज कार्य विभाग; समाज कार्य स्कूल, दिल्ली, और समाज कार्य स्कूल, मद्रास की सहायता और सदर्शन के लिए उनमें विशेषज्ञ नियुक्त किये गये। इन विशेषज्ञों ने सम्बन्धित संस्थाओं को अपने विभागों को आधुनिक ढग पर पुनर्गठित करने मे सहायता दी और भारतीय अध्यापकों को उनके काम के सम्बन्ध मे बहुत कुछ जानकारी दी। 1961-62 मे इन विशेषज्ञों के आवास आदि (स्थानीय खर्च) पर 25,063 रु० खर्च हुए।

6. देश मे विभिन्न समाज कार्य स्कूलों के कार्य के स्तर को उपयुक्त बनाए रखने के लिए शिक्षा मत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मिलकर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। विशेषज्ञ समिति ने समाज कार्य के अधिकांश स्कूलों का निरीक्षण किया और उनके पाठ्यक्रमो, अध्यापक वर्ग की उपयुक्तता और छात्रों को दी गई सुविधाओं की जाच की। आशा है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट अगले वर्ष के आरम्भ में पेश कर देगी।

7 **बाल कल्याण कार्यक्रम :** तीसरी पचवर्षीय आयोजना मे बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए विशेष तौर पर 300 लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है। इस रकम का उपयोग निम्नलिखित चार मुख्य योजनाओं के अधीन करने का निश्चय किया गया है :

(क) बालकल्याण की समन्वित सेवायें-प्रदर्शन प्रायोजनाएं :

इस योजना का लक्ष्य यह है कि 16 साल तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण कल्याण के लिए कुछ चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों में बालकल्याण की समन्वित सेवाएँ चालू की जाएं ताकि 4 से लेकर 5 साल की अवधि में ही इस सम्बन्ध में उल्लखनीय सफलता प्राप्त की जा सके। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इस प्रकार का परीक्षण करने से सम्भवतः ऐसा अनुभव और जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी जिससे सीमित

साधनो से ही अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर बाल-कल्याण सेवाओं के लिए एक व्यावहारिक आयोजना बनाई जा सके। आलोच्य वर्ष मे इन प्रदर्शन प्रायोजनाओ की योजना बनाने के विषय में आयोजना आयोग, केन्द्रीय समाज कल्याण मडल, भारतीय बाल कल्याण परिषद् तथा भारत सरकार के अन्य संबधित मत्रालयों से परामर्श किया गया था। इस योजना के अनुसार विभिन्न राज्यो और सघ राज्यक्षेत्रों मे लगभग 20 प्रदर्शन प्रायोजनाएँ शुरू की जाएँगी। आयोजना को अवधि मे प्रत्येक प्रायोजना पर लगभग 5 लाख रु० खर्च होगे। इन प्रायोजनाओ की प्राशासनिक व्यवस्था राज्य सरकारे करेगी। सभी राज्य सरकारों को योजना का मसौदा भेज दिया गया है ताकि वे विकास खड का नाम और स्थानीय परिस्थितियो के कारण योजना मे जो रद्दोबदल आवश्यक हो, उनके बारे मे अपने सुझाव दे सके। अभी तक केवल पजाब और उत्तर प्रदेश राज्यो से तथा सघ क्षेत्रो में दिल्ली से ही इस विषय पर प्रस्ताव आए है और शिक्षा मत्रालय उनकी जाँच कर रहा है।

(ख) **बाल-वाड़ी, शिशुगृह और बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना :** शिक्षा मत्रालय ने यह निर्णय किया था कि तीसरी पचवर्षीय आयोजना की अवधि में मौजूद बालबाड़ी और शिशुगृहो की कार्यक्षमता बढाई जाए और नई सस्थाएँ खोली जाएँ। इस प्रस्ताव में प्रत्येक बालबाड़ी और शिशुगृह के लिए एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता की व्यवस्था की गई हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षिण कार्यकर्ताओ को प्राप्त करने के लिए दिल्ली और मद्रास मे दो बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। अगले वर्ष राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मैसूर मे भी इसी प्रकार के बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएगे। आशा की जाती है कि तीसरी पचवर्षीय आयोजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य मे कम से कम एक-एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र अवश्य होगा।

(ग) **बाल विकास सम्बन्धी अनुसंधान और अध्ययन :** बच्चों के विकास पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारणों की खोंज करने के लिए शिक्षा मत्रालय ने आलोच्य वर्ष मे यह निर्णय किया कि एक अनुसधान प्रायोजना बनाकर इस विषय का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। यह प्रायोजना राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान को सौप दी गयी है। तीसरी आयोजना की अवधि में इस काम पर 5 लाख रूपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

(घ) **भारतीय बाल कल्याण परिषद् की राज्य शाखाओं को चलाने के लिए अनुदान :** बाल कल्याण कार्य के महत्व को ध्यान मे रखकर और इस बात को समझते हुए कि बाल कल्याण कार्यक्रम मे स्वैच्छिक सस्थाओं को भी सक्रिय भाग लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय बाल कल्याण परिषद् को आलोच्य वर्ष मे 31,427 रूपये देने मंजूर किए, ताकि परिषद् अपनी विभिन्न शाखाओं मे केन्द्रभूत प्रशासनिक कर्मचारीवर्ग की सेवाओं को जारी रख सके।

(ङ) **समाज कार्य स्कूलों में किए गए अनुसन्धान कार्यों का प्रकाशन :** भारत में समाज कार्य के 17 स्कूल है और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह

अपनी अंतिम परीक्षा के लिए एक शोध-लेख (डेस्सर्टेशन) प्रस्तुत करे, जिसमें कोई सर्वेक्षण या अनुसधान किया गया हो। अनुमान किया जाता है कि अब तक लगभग 1500 शोध लेख एकत्रित हो चुके है। यह सोचकर कि इन शोध-लेखों के सार का सकलन उपयोगी सिद्ध होगा, शिक्षा मत्रालय द्वारा यह काम समाज कार्य स्कूल संघ (ऐसोसिएशन आफ स्कूल्स आफ स्पेशल वर्क) को सौप दिया गया है। इस कार्य के लिए सघ को उचित सहायक अनुदान दिया जायेगा।

(ख) **केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल :**

8. **केन्द्रीय और राज्य मडलो का गठन:** सन् 1961-62 में केन्द्रीय समाज कल्याण मडल और उसके अन्तर्गत 21 राज्य मडलो के सामान्य गठन मे केवल इतना ही परिवर्तन हुआ कि मद्रास राज्य के समाज कल्याण विभाग को राज्य के समाज कल्याण सलाहकार मंडल मे मिला दिया गया।

9. **सहायक अनुदान संहिता समिति :** समाज कल्याण की स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देना भी मंडल का एक मुख्य कार्य है। इसलिए सहायक अनुदान सबधी विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उद्देश्य से डा० जे० ऐफ० बालसुरा की अध्यक्षता मे एक समिति बनायी गयी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक दे दी थी और उसकी अधिकांश सिफारिशों को केन्द्रीय समाज कल्याण मडल ने स्वीकार कर लिया है। इनमे से एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी है कि तीसरी पचवर्षीय आयोजना की अवधि मे अब तक किए गए कामों के समेकन पर अधिक ध्यान दिया जाए और स्वैच्छिक सस्थाओ द्वारा किए गए कार्यों के स्तर को उन्नत किया जाए। आलोच्य वर्ष मे मंडल ने 2494 संस्थाओं को लगभग 107.18 लाख रुपये की सहायता दी।

10. **कल्याण विस्तार प्रायोजनाएँ :** शिक्षा मत्रालय ने यह निर्णय किया था कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में कोई भी नई कल्याण विस्तार प्रायोजना शुरू न की जाय। मौजूदा कल्याण विस्तार प्रायोजनाओ को पांच वर्ष तक की अवधि के लिए चालू रखा जायगा और इस अवधि के पूरे होने पर ये प्रायोजनाएं स्वैच्छिक सस्थाओं को सौंप दी जायगी। इस नीति के अनुसार, आलोच्य वर्ष मे, प्रारम्भिक ढग की 1607 कल्याण विस्तार प्रायोजनाएं, स्वैच्छिक सस्थाओं को सौप दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम : देश भर में 272 केन्द्रो में महिलाओ के लिए सक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई जिनमे आलोच्य वर्ष मे 6800 महिलाओ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंडल ने गृह-मंत्रालय की सहायता से एक और नया प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, गुजरात, बिहार और मनिपुर के आदिवासी क्षेत्रो में आदिवासी महिलाओं को कल्याण-कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिये 3 बहुद्देशी प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। मण्डल के अनुरोध पर अब तक कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं और विभिन्न स्वैच्छिक

संस्थाओं मे काम करने वाले लगभग 200 शिल्प शिक्षकों को अखिल भारतीय हस्तशिल्प मंडल द्वारा बम्बई, हैदराबाद और कलकत्ता में चलाये जाने वालों प्रादेशिक हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थानो मे प्रशिक्षित किया जा चुका है।

12. **सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम** : मंडल के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य है : निम्न आय वर्ग वाली महिलाओ के लिए आमदनी बढ़ाने के साधनो की व्यवस्था करना और, जहा सम्भव हो, वहा उनके लिए नियमित काम और मजदूरी की व्यवस्था करना। आलोच्य वर्ष के अन्त तक मण्डल ने स्वैच्छिक सस्थाओं को 38 प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र (यूनिट) स्थापित करने के लिए सहायता दी। इनमे 19 हाथ करघा केन्द्र, 3 सहायक केन्द्र, 7 लघु उद्योग केन्द्र, 5 औद्योगिक सहकारी समितियाँ और 4 हस्तशिल्प केन्द्र थे। इन प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रो की स्थापना मे मडल ने 1961-62 मे 28.94 लाख रुपये खर्च किए।

13. **रैन बसेरे** : आलोच्य वर्ष मे भारत सेवक समाज को 24 रैन बसेरे स्थापित करने और उन्हे चलाने के लिए 74,645 रुपये का अनुदान दिया गया।

14. **बालकों की देखभाल सम्बन्धी समिति** : शिक्षा मत्रालय के अनुरोध पर केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल ने श्रीमती ताराबाई की अध्यक्षता मे बालको की देखभाल के लिए एक समिति बनाई। समिति का कार्य था छः वर्ष तक की उम्र के बच्चो की विभिन्न आवश्यकताओ पर विचार करना तथा बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण के लिए एक ऐसी बिस्तृत आयोजना तैयार करना, जिसमे स्कूल पूर्व की शिक्षा-व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया हो। समिति ने क्षेत्रीय दौरे करने का काम पूरा कर लिया है और मडल को एक अतरिम रिपोर्ट भेज दी है। समिति अपनी अतिम रिपोर्ट सभवत अगले वर्ष के आरम्भ मे प्रस्तुत कर देगी।

ग—विस्थापितों का पुनर्वास

15. पाकिस्तान से आए विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत, स्कूल स्तर तक फीस-माफी के रूप मे और कालेज स्तर तक वृत्तिकाओं के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। यद्यपि दूसरी आयोजना के अन्त में इस योजना को समाप्त कर देने का विचार था, किन्तु भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन विद्यार्थियो को इस प्रकार की सहायता दी जा रही है और जिनका पाठ्यक्रम 1961-62 और 1962-63 मे पूरा नही होगा उन्हे इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता जारी रखी जायगी ताकि उन्हे पढ़ाई के बीचों-बीच अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

16. **शिक्षा के लिए ऋण** : विस्थापित विद्यार्थियों को दिये गए शैक्षिक ऋणों की वसूली और माफी का काम, आलोच्य वर्ष मे, जारी रहा; और समाज कल्याण और पुन-

र्वास निदेशालय के जरिए 1401 कर्जदारों को दी गई 7.26 लाख रुपये की रकम में से 4.44 लाख रुपये की रकम या तो वसूल की जा चुकी है या माफ कर दी गई है।

17. **आश्रम और अस्पताल**. पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए जो विभिन्न आश्रम अस्पताल और बाल संस्थाएं थीं वे शिक्षा मन्त्रालय के ही अन्तर्गत कार्य करती रहीं। ये संस्थाएं इन लोगों के लिए हैं:—

(क) बेसहारा स्त्रियाँ और उनके आश्रित,

(ख) बेसहारा बच्चे;

(ग) ऐसे बूढ़े और अशक्त व्यक्ति जिनके पास जीवन-निर्वाह का कोई भी जरिया नहीं है; और उनके आश्रित।

इन संस्थाओं के दिन-प्रति-दिन का प्रशासन राज्य सरकारों के ही हाथों में रहा। जो व्यक्ति इन संस्थाओं में रहने के पात्र नहीं थे उन्हें हटाने के लिए शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ और जांच करता रहा। समर्थ व्यक्तियों को निकालने और छोटे आश्रमों को बड़े आश्रमों में मिला देने से इन आश्रमों और अस्पतालों की संख्या 58 से घटकर 53 रह गई, और इनमें रहने वालों की संख्या लगभग 30,000 से घटकर लगभग 25 000 रह गई। 37 बाल संस्थाओं में लगभग 1800 विस्थापित बच्चों के पालन-पोषण का कार्य जारी रहा। आश्रमों के बाहर रहने वाले लगभग 4000 विस्थापित व्यक्तियों को नियमित रूप से नकद बेकारी अनुदान दिया जाता रहा।

18. **समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय** : समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय, दिल्ली द्वारा आलोच्य वर्ष में किए गए अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(क) **प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र**: दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थापित 19 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों में अब तक 22,094 महिलाओं को विविध शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एक बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त, इन केन्द्रों में हाथ तथा मशीन की कशीदाकारी, साबुन, फिनायल, मोजे बनियान आदि, झाड़न (डस्टर), चादरें, मेजपोश, नैपकिन, सिले कपड़े, बुनी हुई चीजें आदि तैयार करने के लिए मजदूरी पर काम करने वाली 1307 स्त्रियां भी नियुक्त थीं जिन्हें मजदूरी के रूप में लगभग 4 लाख रुपये दिए गए।

(ख) **शरणार्थियों की दस्तकारी की दूकान** : विभिन्न उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों में तैयार की गयी वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित शरणार्थियों की दस्तकारी की दूकान के जरिए की जाती रही। आलोच्य वर्ष में लगभग

1.75 लाख रुपये की बिक्री हुई।

(ग) **कस्तूरबा निकेतन** विस्थापित और बेसहारा स्त्रियो और बच्चो के लिए लाजपत नगर, नई दिल्ली मे कस्तूरबा निकेतन बनाया गया था। निकेतन का काम जारी है। आरम्भ मे इसमे लगभग 1300 व्यक्ति थे, परन्तु अब केवल 836 व्यक्ति ही रह गए है। अब तक निकेतन मे रहने वाले 417 व्यक्तियो को फिर से बसाया जा चुका है।

वित्तीय व्यवस्थाए : इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के लिए 1961-62 और 1962-63 मे निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाए की गई है।

क्रम संख्या	योजना	बजट व्यवस्था 1961-62 रु०	बजट व्यवस्था 1962-63 रु०
1	2	3	4
(1)	समाज कल्याण से सम्बन्धित सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसन्धान प्रायोजनाएं	2,50,000	5,00 000
(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण मडल को सहायक अनुदान	2,07,00,000	2 25,00,000
(3)	अखिल भारतीय कल्याण सस्थाओं को अनुदान तथा बाल कल्याण और समाज कल्याण संस्थाओं को विकास सम्बन्धी प्रशासकीय अनुदान	1,50,000	3,00,000
(4)	सामाजिक और नैतिक आरोग्य और उसे बनाए रखने का कार्यक्रम	27,00,000	11,00,000
(5)	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा बाल विकास सम्बन्धी अध्ययन कार्य	—	48,000
(6)	भारतीय बाल कल्याण परिषद को अपनी राज्य शाखाओ में केन्द्रभूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता।	70,000	80,000
(7)	प्रदर्शन प्रायोजनाएं-बाल कल्याण की समन्वित सेवाए		17,00,000

(8) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम	—	25,00,000
(9) राज्यों को सहायक अनुदान	—	36,50,000
(10) तकनीकी सहयोग मिशन (संकार्य करार—44)	40,000	30,000
(11) पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को आर्थिक सहायता	40,84,600	23,22,000
(12) पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितो के लिए आश्रम और अस्पताल	85,35,200	89,81,400
(13) समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय		
(i) मुख्यालय का अमला	1,82,100	1,85,700
(ii) कस्तूरबा निकेतन	3,08,500	2,46,400
(iii) निराश्रय विस्थापितों को बेकारी अनुदान	29,300	27,000
(iv) महिला प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र	6,78,600	7,36,100
निदेशालय के लिए कुल	11,98,500	11,95,200

वित्तीय व्यवस्था

तेरहवां अध्याय

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

परिषद् के उद्देश्य :—

आलोच्य वर्ष मे एक राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त सगठन है जो भारतीय समिति रजिस्ट्री अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया है। परिषद के प्रधान कार्य ये हैं :—

(एक) अनुसंधान के विकास, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षकों और शिक्षा के लिए आवश्यक अन्य उच्च स्तरीय कर्मचारियो के (सेवा के पहले और सेवा के दौरान) उच्च प्रशिक्षण, तथा विस्तार सेवाओ की व्यवस्था के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना करना, (दो) सामान्यतः अनुसधान, प्रशिक्षण और विस्तार के विकास के लिए, तथा विशेष रूप से बहूद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए देश के वि भिन्न भागों मे क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करना और उनका संचालन करना; तथा (तीन) शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार सम्बन्धी ज्ञान और सूचना के विकास-केन्द्र के रूप में कार्य करना।

2. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान :

इस परिषद् की स्थापना 1 सितम्बर, 1961 को हुई। निम्नलिखित पांच सस्थाएं, जो पहले शिक्षा मत्रालय के अधीन कार्यालयों के रूप में प्रशासित हो रही थीं, इस परिषद् के नियंत्रण के अधीन रख दी गई है :

(1) राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

(2) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली जिसमे केन्द्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन व्यूरो और केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसंधान व्यूरो भी शामिल है।

(3) माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली।

(4) राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली।

(5) राष्ट्रीय दृष्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

ये संगठन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के केन्द्र-बिन्दु हैं। इन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नियंत्रण के अधीन कर देना राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विकास की दिशा में पहला कदम है। दूसरा होगा उसके अपने ही परिसर (कैम्पस) में सस्थान की स्थापना करना, और उसके अन्तर्गत उपयुक्त अनुसधान विभागो का गठन।

3. सदस्यता

परिषद् के सदस्यों मे राज्यों के शिक्षा मंत्री और कुछ लब्ध-प्रतिष्ठ शिक्षा-शास्त्री है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री उसके पदेन अध्यक्ष है। परिषद् का रोजमर्रा का काम एक शासी निकाय चलाता है। शिक्षा-सम्बन्धी मामलों मे परिषद् को सलाह देने के लिए एक शैक्षिक अध्ययन मंडल है, जिसकी अनुसंधान और विस्तार की स्थायी समितियाँ हैं। परिषद् के व्यय की पूर्ति शिक्षा मंत्रालय सहायता अनुदान के ज़रिए करेगा।

4. महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

तृतीय आयोजना काल मे परिषद् द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय है।

(एक) बहूद्देश्य स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चार प्रादेशिक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना.

(दो) माध्यमिक शिक्षा विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र।

(चार) पाठ्य-पुस्तक और पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम;

(पाँच) वैज्ञानिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमे वैज्ञानिक प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के खोज की योजना भी शामिल है;

(छह) परीक्षा सुधार कार्यक्रम

(7) शैक्षिक और व्यवसायिक मार्गदर्शन का विकास;

(8) शिक्षा वर्ष-बोध (इयर-बुक) का प्रकाशन;

(9) अध्यापकों के लिए विवरणिका-माला का प्रकाशन;

(10) भारतीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि मे बाल विकास विषयक अध्ययन,

(11) बुनियादी शिक्षा के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन तथा अन्वेषण ; और

परिषद् द्वारा हाथ मे लिए गए कामो के लिए 1961-62 के पुनरीक्षित अनुमान और 1962-63 के बजट आकडे इस प्रकार है :—

	1961-62	1962-63
	रु०	रु०
योजना	18,78,000	1,48,00,000
योजनेतर	18,15,000	22,90,000

परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान की सघटन इकाइयो द्वारा हाथ मे लिए गए कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवरण नीचे के पैराओं मे दिया जा रहा है—

5. राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा सस्थान

(क) अनुसधान : वर्ष के दौरान जो मुख्य-मुख्य अनुसंधान प्रायोजनाएं पूरी की गई हैं वे हैं—दिल्ली मे प्राथमिक शिक्षा पर माता-पिता द्वारा किए गए व्यय का अध्ययन तथा स्कूली शिक्षा पद्धति में शिल्प-शिक्षा के स्थान का अध्ययन । निम्नलिखित प्रायोजनाए इस समय जारी है --

(i) हिन्दी बाल-पोथियो का विश्लेषण;

(ii) बुनियादी स्कूलो के मूल्यांकन के लिए पडताल-सूचियों का मानकीकरण;

(iii) बुनियादी स्कूलों मे उपलब्धि का स्तर सुनिश्चित करना;

(iv) बुनियादी और गैर-बुनियादी स्कूलो के छात्रो की व्यावहारिक समस्याओ को हल करने की क्षमता का तुलानात्मक अध्ययन;

(v) विद्यार्थियों के स्वशासन और बुनियादी स्कूल के छात्रो के सामाजिक अनुभवो के बीच सम्बन्धों का अध्ययन;

(vi) किसी चुने गए गांव की प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं का गहन अध्ययन तथा ग्राम अध्ययन पुस्तिका का निर्माण;

(vii) शहरी स्कूलों में उपयुक्त शिल्पों के समावेश का सुझाव;

(viii) स्कूल स्तर पर नव-प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांक अध्ययन;

(ix) बुनियादी स्कूल शुरू करने की प्रति एकक लागत; तथा

(x) विद्यार्थियो द्वारा छुट्टियाँ बिताने के तरीकों का प्रयोगात्मक अध्ययन ।

"अध्यापको में बढ़ती हुई संवेदनशीलता से सम्बधित प्रयोग" और "मूल्यांकन

सबधी पुस्तिका का निर्माण" के बारे में नई योजनाए 1962-63 मे आरभ की जाएंगी।

(ख) **प्रशिक्षण :** इस वर्ष शिल्प शिक्षकों के लिए तीन अल्पावधि प्रशिक्षण-क्रमों का आयोजन किया गया था। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार 1962-63 में भी चालू रहेगे।

(ग) **वर्ष के दौरान प्रशिक्षण :** इस वर्ष निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :—

(1) बुनियादी शिक्षा सार (बेसिक एजुकेशन एब्सट्रैक्ट) (अर्द्ध-वार्षिक),

(2) बुनियानी तालीम (त्रैमासिक पत्रिका)

(3) तन्तु उद्योग-बुनियादी स्कूलों मे शिल्प

(4) बुनियादी स्कूलों में निरीक्षण (इन्सपेक्शन इन बेसिक स्कूल्स)

(5) बुनियादी शिक्षा और नवीन समाज व्यवस्था
(बिल्डिंग अप करीकुल्म फार बेसिक स्कूल्स)

(6) बुनियादी स्कूलो के लिए पाठ्यचर्या निर्माण।

(7) उत्सवों का शिक्षा के लिए उपयोग (युटिलाइजिंग फेस्टिवल्स फार एजुकेशन)

(8) समस्या निदान परीक्षा—(योग्यता के हल की समस्या का परीक्षण)

(9) आरम्भिक बांस-कार्य—(एलिमेन्ट्री बैम्बू वर्क)

(10) शिल्प-कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य (टार्जेट्स फार क्राफ्टवर्कस)

(11) सहसम्बंधित अध्यापन के सिद्धान्त और समस्याएँ (प्रिंसिपल्स एण्ड प्राबलम्स आफ कोरिलेटेड टीचिंग) (रोटा प्रिंट में)

(12) प्रारम्भिक गुड़िया बनाना (एलिमेन्ट्री डाल मेकिंग)

(13) सहसम्बन्धित अध्यापन का अभ्यास (द प्रेक्टिस आफ कोरिलेटेड टीचिंग)

(14) बुनियादी शिक्षा में मूल्याकन (एवेल्युएशन इन बेसिक एजुकेशन)

(15) बुनियादी शिक्षा की अनुसधान सम्बन्धी समस्याएँ (रिसर्च प्राबलम्स इन बेसिक एजुकेशन)

(16) बुनियादी स्कूल और समाज-सेवा (ए फ्रेमवर्क आफ कोरिलेटेड सिलेबस)

(17) सह सम्बन्धित पाठ्यक्रम की रूपरेखा

(18) श्रेणी पाँच के लिए बागवानी और कृषि (गार्डनिंग एण्ड एग्रीकल्चर फार ग्रेड V)

(19) श्रेणी एक और दो के लिए सहसम्बन्धित अध्यापन (कोरिलेटेड टीचिंग फार ग्रेड्स I एण्ड II)

(घ) बुनियादी स्कूलों और विस्तार-कार्य के चालू अभ्यासों का विकास :

उच्च बुनियादी स्कूल, छतरपुर, दिल्ली में कक्षा अभ्यासों के विकास के लिए कार्य अनुसधान मे एक प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) **कला और शिल्प में अध्ययन और अन्वेषण** .

किए गए प्रयोगों के आधार पर बांस-शिल्प और गुडिया बनाने की कुछ प्रक्रियाए खोजी गई है, तथा इस विषय की विवरणिकाएँ प्रकाशन के लिए तैयार की गई हैं। मिट्टी के खिलौने और बरतन बनाने से सम्बधित प्रयोग 1962-63 मे शुरू किये जाएगे।

6. **केन्द्रीय शिक्षा-संस्थान** :

आलोच्य वर्ष में इस संस्थान ने बहुमुखी प्रगति की है।

(क) **अध्यासन विभाग** · 1960-61 मे 100 विद्यार्थियो ने बी० एड और 14 विद्यार्थियो ने एम० एड पास किया। चालू वर्ष में 105 विद्यार्थी बी० एड मे और 16 विद्यार्थी एम० एड में दाखिल हुए। इनके अलावा, 26 विद्यार्थी पी० एच० डी० मे हैं, जो शिक्षा के सिद्धान्तिक और व्यावहारिक पहलुओं के विभिन्न क्षेत्रो मे अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान, एक के अन्तर से हर शनिवार को सेमिनारो के रूप में छोटे-छोटे समूहो मे चर्चाओं के अतिरिक्त सुविधाएँ दी गई थी। इनमें अध्यापको ने मार्ग दर्शन किया। इन सेमीनारो मे जिन विषयो पर चर्चा की गई वे नीचे दिए जा रहे है :—

(1) अध्यापक शिक्षा के प्रयोजन और लक्ष्य
(2) सृजन-कल्पना की आवश्यकता
(3) विद्यार्थी अनुशासन
(4) शिक्षा सुविधाओं का प्रसार
(5) विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर मे सुधार
(6) धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता

विभिन्न विषय-क्षेत्रों के लिए पांच अनुसंधान पर्यवेक्षण समितिया बनाई गई हैं। प्रत्येक समिति में तीन या चार अध्याक होंगे जो एम० एड० के विद्यार्थियों को अनुसंधान प्रबंध तैयार करने में सहायता पहुँचाएँगे। इन समितियो के अन्तर्गत आने वाले विषय ये हैं (एक) शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-समाजविज्ञान और अध्यापक शिक्षा, (दो) शिक्षा-मनोविज्ञान, जिसमें मार्गदर्शन और सलाह देना भी शामिल है, (तीन) पाठ्यचर्या बनाना. पाठ्यपुस्तके और अध्यापन पद्धति; (चार) शिक्षा प्रशासन, और, (पाँच) प्रयोगात्मक शिक्षा।

शोध कार्य करने वालो के द्वारा हाथ में ली गई अनुसधान प्रायोजनाओं पर परिचर्चा के लिए मासिक गोष्ठी आयोजित की जाती है।

(ख) **शैक्षिक प्रशासन और अल्पावधि ललित-कला पाठ्यक्रम विषयक सेमिनार** : सस्थान द्वारा संचालित सेमिनार का विषय शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी शिक्षा और अनुसधान था। विभिन्न विश्वविद्यालयों के उन्नीस सदस्यों ने इस सेमीनार में भाग लिया। उन्होंने

एम० एड० के विषयों के अध्यापन के तौर-तरीकों में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा की तथा इस बात पर भी विचार किया कि उन विषयों में अनुसंधान-कार्य को और भी प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।

स्कूलों में ललित कलाओं के अध्यापन की पद्धति के सम्बन्ध में बहुद्देश्य स्कूलों के ललित कलाओं के अध्यापकों के लिए वर्ष के दौरान इस संस्थान ने एक चार मास का अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाया था।

(ग) अनुसंधान: मनोविज्ञान खंड ने जो कार्य सम्पन्न किए वे ये हैं— (एक) कक्षा आठ के लिए हिन्दी मे उपलब्धि परीक्षण तैयार करना और उसका मानकीकरण (दो) 14 वर्ष के आयु-वर्ग वाले बालकों की बुद्धि का मौखिक समूह-परीक्षण और (तीन) कुशाग्र बुद्धि और मन्द बुद्धि बालको की पठन-पाठन सम्बन्धी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन। अनुसधान की दिशा में निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन जारी है।

(1) कुशाग्र बुद्धि बालको की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि;

(2) (15 और 16 वर्ष की आयु वाले बालकों की) बुद्धि का केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में सामूहिक परीक्षण;

(3) दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों से बालकों के भागने की घटनाएं और उनके कारण; (4) उच्च बुनियादी स्कूलो से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आने वाले बालकों के वहाँ के शैक्षिक वातावरण में खप सकने की समस्यओं का अध्ययन; तथा

(5) कक्षा नौ से ग्यारह के बालकों के अंग्रेजी शब्द-भंडार का परीक्षण।

(घ) **प्रकाशन:** वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकादि प्रकाशित किए गए—

(1) एम० एड० रिपोर्ट सार,1956-57

(2) एम० एड० रिपोर्ट सार, 1957-58

(3) एम० एड० रिपोर्ट सार, 1958-59

(4) भारत के उन गैर-सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है।

(5) शिक्षा- मनोविज्ञान विषयक सेमिनार की रिपोर्ट

(6) माध्यमिक स्कूलों के लिए भौतिकी में नियत-कार्य

(7) माध्यमिक स्कूलों के लिए गणित मे नियत- कार्य

(8) माध्यमिक स्कूलों के लिए इतिहास में नियत-कार्य

(9) माध्यमिक स्कूलों के लिए भूगोल में नियत-कार्य

(10) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के मौखिक बुद्धि परीक्षण (14) के लिए हिदायतों की निमम-पुस्तक

(11) हिन्दी कक्षा आठ में उपलब्धि-परीक्षण सम्बन्धी हिदायतों की नियम-पुस्तक

(12) किशोर बालिकाओं कीं मनोवैज्ञाकि आवश्यकताए और वैयक्तिक संमंजन पर उनका प्रभाव

(13) (प्राथमिक स्तर) की विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण ।

(14) स्कूल के अध्यापकों के प्रति माता।पिता का रवैया ।

(15) अध्यापकों के कालेजों मे उपशिक्षण चर्चा के लिए सामग्री, तथा

(16) स्कूलो मे प्रदर्शन सामग्री का प्रभावी ढग से उपयोग ।

(ङ) **विस्तार सेवा विभाग:** इस विभाग ने जो योजनाएं हाथ मे ली है वे है---
आकृतियो के माध्यम से अग्रेजी पढाने का त्रिसाप्ताहिक पुनश्चर्या पाठ्यकम, शिक्षा में समाचार पत्रों के स्थान पर एक सेमिनार; स्कूलों मे गृह-कक्षाओ की व्यवस्था, भाग लेने वाले स्कूलो द्वारा पुष्प-प्रदर्शिनी का आयोजन, कतिपय स्कूलो में कार्य अनुसंधान और कक्षा के प्रयोग; सामाजिक अध्ययन प्रायोजना जिसका लक्ष्य अध्यापकों को विषय का पूरा ज्ञान कराना और नव-प्रशिक्षण देना था; दसवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए साख्यिकी पर आदर्श पाठ्य-पुस्तक का निर्माण; तम्बुओं मे लगने वाले दिल्ली के स्कूलों का प्रबन्ध करने, उन्हें सजाने और सुन्दर बनाने की प्रायोजनाओं; जिन स्कूलो में अभ्यास के लिए अध्यापन किया जाता है उनमें अध्यापक शिक्षा एजेन्सी के रूप मे स्कूल सबंधी प्रायोजना तथा अध्यापकों के सामने आने वाली कठिनाइयो एव समस्याओ को निर्धारित करने और विशेष प्रायोननाओं एव प्रयोगों के जरिए उनका हल ढढने मे उन्हे मदद पहुचाने के लिए गाव के लगभग बीस उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध मे श्रमपूर्ण कार्य और उनका मौके पर ही जाकर मार्गदर्शन। स्कूलों में विज्ञान-क्लब शुरू करने, प्रदर्शन करने और विज्ञान सम्बन्धी प्रदर्शनियो के आयोजन में सहायता पहुचा कर विज्ञान के अध्यापन में सुधार करने के विशेष प्रयत्न किए जा रहे है। दिल्ली के बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों से स्कूलों को आवश्यक सहायता और जानकारी प्राप्त करने की सुविधाए उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि छात्रों को उद्योगों की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रियाओ का एक सुस्पष्ट चित्र प्राप्त हो सके।

7. केन्द्रीय शैक्षिक और व्यवसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो :

इस वर्ष केन्द्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकलाप शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग दर्शन के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तक ही सीमित थे। दूसरे डिप्लोमा पाठ्यक्रम मे, जो मई 1871 में समाप्त हुआ, 12 प्रशिक्षार्थी थे, तथा तीसरे डिप्लोमा पाठ्यक्रम मे, जो जुलाई, 1961 में आरम्भ हुआ, देश के विभिन्न भागो से पाये हुए 24 प्रशिक्षार्थी थे।

ब्यूरो ने जो समन्वयमूलक कार्य अपने हाथ में लिए थे वे है–मार्गदर्शन सम्बंधी अखिल भारतीय आँकड़ों का संग्रह और सकलन, सलाहकारों और वृत्तिका मार्गदर्शको के प्रशिक्षण के लिए आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करना तथा सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शक विषयक प्रस्ताविक कर्मशाला की तैयारी के एक अंग के रूप में सलाहकारों के लिए एक पुस्तिका बनाना

इस ब्यूरों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "विद्यालय स्तर पर मार्ग-दर्शन और विद्यालय धार्मिक सेवाएँ" नामक सेमीनार में भाग लिया था। 'मार्गदर्शन की आवश्यकता' और 'भारत मे मार्गदर्शन आन्दोलन, पर पुस्तिकाएं भी तैयार की गई है।

ब्यूरो की व्यावसायिक सूचना सेवा :

देश के समस्त भागो से व्यावसायिक सूचना एकत्रित करने के सामान्य कार्य को जारी रखने के अतिरिक्त, इस ब्यूरो ने समाचार पत्रों मे प्रकाशित विज्ञापनो के जरिए रोजगार का जो रुख जाहिर होता है उसका अध्ययन कराया तथा विद्यार्थियों के व्यवसायिक नव प्रशिक्षण के लिए आदर्श कक्षा-वार्ताएं और "स्वास्थ्य व्यवसाय वृत्ति, विषयक पुस्तिकाएं तैयार कराई। ब्यूरो ने अपनी वृत्ति का आयोजन आप कीजिए प्रदर्शनी का भी दिल्ली. पब्लिक लायब्रेरी मे आयोजन किया तथा राष्ट्रमंडल तकनीकी प्रशिक्षण सप्ताह के सिल-सिले में एक वृत्ति-सम्मेलन भी बुलाया।

मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की तैयारी ब्यूरो की प्रधान गतिविधियों में से एक रही है। इस क्षैत्र की मुख्य प्रायोजना, विज्ञान चयन-माला का विकास लगभग समाप्ति पर है। इस वर्ष "विद्यार्थियों के व्यवहार की एक अध्यापक जाँच सूची भी तैयार की गई। एक विद्यार्थी समस्या जाच-सूची और एक हिन्दी शब्द भन्डार परीक्षण की तैयारी को हाल ही हाथ मे लिया गया है। कक्षा आठ और कक्षा ग्यारह के विभिन्न परीक्षणो के नमूने तैयार किये जा रहे हैं।

8- केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो :

ब्यूरो द्वारा पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या सामग्री की तीन प्रदर्शनिया आयोजित की गई थी-दो प्रदर्शनिया दिल्ली मे हुई और तीसरी अखिल भारतीय प्रशिक्षण कालेज प्रिंसिपल सम्मेलन के समय बगलौर में स्थानीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के भौतिक अध्यापकों का एक सेमीनार भौतिकी कार्य-नियतन के सिलसिले में किया गया तथा स्थानीय अध्यापकों की सहायता से सामाजिक अध्ययनों की पाठ्यपुस्तक लिखने की एक प्रायोगिक प्रायोजना हाथ मे ली गई। ब्यूरो से सम्बद्ध नैपाल के एक छात्र ने पाठ्यपुस्तक और पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है। भावनात्मक एकता को प्रोत्साहन देने के सिलसिले मे इस ब्यूरो ने भाषा, इतिहास, भूगोल और सामाजिक अध्ययनों की वर्तमान पाठ्यपुस्तकों की छान-बीन के लिए विश्लेशण पत्रों की पद्धति विकसित की है, तथा यह देखने के लिए कि वर्तमान पाठ्यपुस्तकों ने राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के विकास में कितना योगदान दिया है, 8 राज्यों की लगभग 80 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया है। ब्यूरो ने मीटरिक प्रणाली पर एक मार्गदर्शिका, सामाजिक अध्ययनों की पाठ्यचर्या बनाने से सम्बन्धित प्रयोग की एक रिपोर्ट, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास

की पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण से सम्बन्धित एक विवरणिका और मिडिल स्कूल की कक्षाओं में विज्ञान कार्य के नियतन से सम्बन्धित दूसरी विवरणिका तैयार कर ली है जो प्रकाशन के लिए तैयार है। ब्यूरो एक ऐ ी भी विवरणिका तैयार कर रही है जिसका विषय मिडिल कक्षाओ के लिए गणित कार्य का नियतन है, कक्षा एक से आठ के लिए मानचित्र को पढ़ने की निहित संकल्पनाओं का विश्लेषण और श्रेणीकरण है; कक्षा सात के लिए एक कार्य-पुस्तक और कक्षा आठ के लिए भूगोल की कार्य-पुस्तक पर भी काम हो रहा है।

9. **माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय :** माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय की गतिविधिया छह शीर्षकों के अन्तर्गत आती है:

(1) विस्तार सेवा प्रायोजना; (2) परीक्षा सम्बन्धी सुधार; (3) विज्ञान अध्यापन और वैज्ञानिक प्रतिभायुक्त विद्यार्थियो की खोज; (4) स्कूलों में प्रयोग, (5) सेमीनार और कर्मशाला; तथा (6) प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना।

चालू वर्ष की गतिविधियों का विनियमन निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है।

(1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अन्य संघटक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना; (2) राज्यो के शिक्षा विभागो के साथ समन्वय स्थापित करना; तथा (3) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रमो की प्राथमिकता के अनुसार अपने कार्यक्रल भी बनाना।

निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं: —

(1) राज्यों के लोक शिक्षा निदेशको/शिक्षा निदेशकों तथा विस्तार सेवा विभागों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकर्ताओं की सयुक्त वैठके विस्तार कार्य का समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के लिए हुई है; ऐसी बैठकें अब तक छह राज्यों में हो चुकी है;

(2) चालू आयोजना अवधि में कार्यान्वित करने के लिए विस्तार प्रायोजना का विशद कार्यक्रम बनाया गया है ताकि और अधिक कालेज और माध्यमिक स्कूल उससे अन्तर्गत्त आजाएँ;

(3) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अन्य विभागों की आवश्यकत्ताओं के समन्वय के लिए, साथ ही स्थानीय नेतृत्व को तैयार करने के लिए और अधिक प्रशिक्षण कालेज इसके अन्तंगत आजाएँ इस दृष्टि से सेमिनार कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है।

(4) राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के सिंहावलोकन काम शुरू किया गया और नौ राज्यों से तत्सम्बन्धी आँकड़े इकठ्ठे किए गए है;

(5) तीसरी आयोजना के विज्ञान विकास कार्यक्रम के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा उसकी कुछ खास खास बातों को अमल में लाने का काम भी आरंभ हो चुका है;

(6) विज्ञान के मैलों का कार्यक्रम भी तैयार किया जा चुका है और चालू वर्ष मे विस्तार केन्द्रों के जरिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

निदेशालय के छहों अनुभागों मे से प्रत्येक के अन्तंगत कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं: —

(क) विस्तार सेवा प्रायोजना :

विस्तार सेवाओं के 54 विभागों द्वारा शिक्षकों को नौकरी के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम और माध्यमिक स्कूलो के अध्यापकों को अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करने का कार्यक्रम वर्ष भर जारी रहा।

केन्द्रों और राज्यों के शिक्षा विभागो के बीच और अधिक समन्वय लाने की दृष्टि से केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकर्ताओ की राज्यों के शिक्षा विभागो के निदेशों के साथ छह राज्यों में संयुक्त बैठके हो चुकी है।

विस्तार सेवा विभागों के कार्यक्रमों और उनकी गतिविधियों तथा उनके द्वारा स्कूलों के लिए की गई सेवाओं के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं।

विस्तार गतिविधिओं के अन्य प्रशिक्षण कालेजों तक प्रसार कार्यक्रम के एक अंग के रूप मे, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के एक-एक प्रशिक्षण कालेज को नए केन्द्र खोलने के लिए चुना गया है।

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में प्रशिक्षण कालेजों में 25 और केन्द्रों खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें से 13 सन् 1962-63 में खोले जाएँगे। ये नये केन्द्र मुख्यतया ऐसे क्षेत्रों में स्थापित होंगे जो कि विस्तार सेवा विभागों के अर्न्तगत नहीं आते हैं, और यह प्रस्ताव है कि उन अन्य प्रशिक्षण कालेजों को भी विस्तार गतिविधियों मे समाविष्ट कर लिया जाए जिनमें पूर्णतः विकसित विस्तार सेबा विभाग नही हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचबर्षीय आयोजना में 72 विस्तार एकक खोलने का प्रस्ताव हैं, इनमें से 24 सन् 1962-63 में खोले जाने हैं। 1962-63 के अन्त तक, 75 प्रतिशत स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कालेजों में विस्तार चालू हो जाएगी।

(ख) **परीक्षा सुधार** :

यह दृष्टांतमूलक परीक्षण सामग्री जिसका कि एकए ने कर्मशालाओं के माध्यम से विकास किया है प्रकाशित की जा चुकी है और अध्यापकों एवं परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा बोर्डो और स्कूलों को भेजी जा रही है। इस सामग्री का अगला संग्रह जल्दी ही वितरण के लिए तैयार हो जाएगा।

(i) कर्मशाला मूल्याकन को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशिक्षण कालेजों के प्राध्यपकों के नव-प्रशिक्षण के लिए तीन कर्मशालाओं का आयोजन किया गया। 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 25 प्रशिक्षण कालेजों के सड़सठ प्राध्यापकों ने इस कर्मशालाओं मे भाग लिया। शैक्षिक मूल्याकन की अनुसधान विषयक तीन कर्मशालाएँ लेक्चररों, समन्वयकर्ताओं और अनुभवी प्रधानाध्यापकों के लिए विभिन्न छेत्रों में आयोजित की गई। इन कर्मशालाओ का प्रयोजन प्रशिक्षण कालेज और स्कूल स्तर पर अनुसधान की समस्याओ का पता लगाना था। मई 1961 में महिला देव समाज कालेज फीरोजपुर में सामाजिक अध्ययनों में समेकित यूनिट विषयक सिखाई के अनुभवों की तैयारी के लिए एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। सामाजिक अध्ययनों में मूल्यांकन के लिए दूसरी कर्मशाला का व्यवस्था सरकारी प्रशिक्षण कालेज, जालन्धर के विस्तार सेवा विभाग मे अगस्त, 1961 में की गई।

(ii) **मूल्यांकन विषयक अध्ययन** : उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्डों के अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित इन चार विषयों के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण का काम एकक ने हाथ में लिया था तथा पंजाब और दिल्ली राज्यों के सम्बन्ध में अध्ययन पूरा किया जा चुका है। अन्तरिम निर्धारण और मार्ग दर्शन के प्रयोजनों के लिए देश के विभिन्न बोर्डो द्वारा उपयोग मे लाए जा रहे संचित अभिलेख कार्डो का अध्ययन भी एकक ने समाप्त कर लिया है। इन सभी सूचक कार्डों के भरने के लिए एक अध्यापक अनुदेश नियम-पुस्तिका अध्यापकों के मार्ग दर्शन के लिए तैयार की जा चुकी है। ये कार्ड अनुदेश नियम-पुस्तिका सहित स्कूलों और शिक्षा विभागों को बड़े पैमाने पर दिए जाएँगे।

(iii) प्रकाशन : निम्नलिखित प्रकाशन निकाले जा चुके हैं :

(1) सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी म नमूना परीक्षण मद (गणित के परीक्षण पहले ही निकाले जा चुके है)

(2) "शैक्षिक मूल्यांकन के अनुसंधान संबंधी चार सेमीनारों की एक समेकित रिपोर्ट।

निम्नलिखित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियाँ तैयार हैं और वे बहुत जल्दी प्रकाशित कर दी जायेंगी।

(1) मूल्यांकन विषयक एक लोक प्रिय विवरणिका
(2) भूगोल मूल्यांकन तथा
(3) गणितमुल्याकन

सन् 1962-63 में केन्द्रीय परीक्षा एकक अपने काम में सहायता पहुंचाने के लिए एक मनोमितीय एकक खोलना चाहता है। समस्त राज्यों में मूल्यांकन एकक खोलने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप 22,000 रु० की लागत से सात राज्यों में मूल्याकन एकक खोलने का भी प्रस्ताव है।

(ग) विज्ञान अध्यापन : चालू वर्ष के वजट में स्कूल खोलने और 129 उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाओं में केन्द्रीय विज्ञान क्लव खोलने के लिए 2,60,000 रु० की व्यवस्था की गई तथा इस प्रयोजन के लिए 3 विस्तार सेवा विभाग चुने गए थे। विज्ञान क्लवों के कार्य के मूल्याकन की योजना भी हाथ मे ली गई थी और अब तक 220 विज्ञानों क्लवों के मुल्यांकन किए जा चुके है।

(i) **वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज :** विज्ञान क्लव आन्दोलन के सिद्धान्त के रूप में शुरू से ही यह आवश्यक समझा गया कि विज्ञान सम्बन्धी प्रतिभायुक्त विद्यार्थियों का पता लगाने के लिए एक तन्त्र बनाया जाए जिससे कि उनकी विशिष्ट योग्यताएं जानी जा सकें और उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जा सके। एक वैज्ञानिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम तैयार किया गया है जो 1962-63 से प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया जाएगा।

(ii) **विज्ञान पाठ्यक्रम का अध्ययन :** प्रारूप पाठ्यक्रम और तारादेवी में हुए विज्ञान अध्यापन सम्बन्धी अखिल भारतीय सेमीनार के प्रसंग में वर्ष के दौरान विज्ञान पाठ्यक्रम का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन की एक विस्तृत रिपोर्ट संकलित की जा रही है। अध्ययन, पाठ्यपुस्तकों, प्रयोगशाला और उपकरण सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण, विज्ञान की पढ़ाई के लिए समय का नियतन, विज्ञान के अध्यापकों को मिलने वाले वेतनमानों तथा विज्ञान की परीक्षा विषयक कार्य भी देश में सभी स्तरों पर विज्ञान के अध्यापन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से हाथ में लिया गया है।

विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने की दृष्टि से विज्ञान मेलों के आयोजन में विस्तार सेवा केन्द्रो का मार्गदर्शन किया जा रहा हैं। वर्ष के दौरान ऐसे कई मेले कराए जा चुके हैं और जब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर अगले वर्ष के लिए और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

तीसरी आयोजना में विशेष जोर और माध्यमिक स्कूलोंमे विज्ञान के विस्तार और वृद्धि पर दिया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि 1965-66 के अन्त तक समस्त माध्यमिक स्कूलो में विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगेगी और उनमें से लगभग 47 प्रतिशत में विज्ञान की शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो जाएगा। स्कूली स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों और उनमें विज्ञान के अध्यापन की अन्य समस्याओं का अध्ययन आवश्यक है। इस आयोजना के

लिए 1962-63 में राष्ट्रीय संस्थान में वैज्ञानिक शिक्षा का एक बिभाग खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रयोगात्मक प्रायोजनाएं :

इस योजना का उद्देश्यों माध्यममिक स्कूलों में प्रयोगात्मक कार्य को प्रोत्साहन देता है। अनुमोदित प्रायोगात्मक प्रयोजनाओ को माध्यमिक स्कूलों को परिषद् द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। चालू वष में कार्यकारी समूह द्वारा, चुनी गई प्रायोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 60 सस्थाओं को 33,000 रु० की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ङ) सेमिनार और कर्म शाला :

इस योजना के अन्तर्गत, निदेशालय राज्य-स्तर पर और शैक्षिक प्रशासकों एवं माध्यमिक स्कूलो के प्रधानों और विषय के अध्यापकों के लिए अखिल, भारतीय सेमीनारों का आयोजन करता है। इन सेमीनारों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षण, निरीक्षण और वास्तविक अध्यापन के कार्यभारी शिक्षकों को परस्पर मिलने और वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा करने तथा माध्यमिक शिक्षा के तौर-तरीकों के विकास की सुविधा प्रदान करना है।

1961-62 में जिन सेमीनारो के कराने की योजना थी वे ये है—एक अखिल भारतीय स्कूल पुस्तकालय सेमीनार, कृषि, वाणिज्य, टेक्नालाजी और ललित कलाओं पर बहुद्दश्य स्कूलों के अध्यापकों के चार अखिल भारतीय सेमीनार, माध्यमिक स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं मे गणित के अध्यापन विषयक राज्यस्तरीय सेमीनार और समस्त संघ राज्य क्षेत्रों के गणित के अध्यापकों का सेमीनार।

(च) क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज :

बहूद्देश्य स्कूलों के कार्य के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय आयोजना काल में चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज खोलने की एक योजना बनाई गई थी। इन कालेजों में अध्यापकों को बहूद्देश्य स्कूलों के विविध व्यावहारिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इस प्रकार बहूद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वय की एक बडी सयस्या हल हो जाएगी। इन कालेजों के लिये स्थान चुन लिये गए हैं और इमारतों की योजना बनाने का काम तीन स्थानों में हाथ में ले लिया गया है। चौथे स्थान में जमीन प्राप्त की जा रही है। चारों कालेजो के 1963-64 में चालू कर दिये जाने की योजना है।

10. राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र :

यह केन्द्र समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है तथा समाज शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं में अनुसधान करता है।

(क) प्रशिक्षण :

समाज शिक्षा के कार्यभारी जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए थे।

1962-63 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम का प्रस्ताव है : (i) राज्यों चल रहे समाज शिक्षा कार्य पर एक सप्ताह का या दो सप्ताह का एक सेमिनार । इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति राज्यों के समाज शिक्षा के प्रभारी अधिकारी होंगे ।

(ii) स्कूलो के जिला निरीक्षकों के लिए सक्षिप्त पाठ्यक्रम ।

(iii) केन्द्रीय कार्यकर्त्ता शिक्षा मण्डल के अन्तर्गत अध्यापक प्रशासकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हाथ मे लिया जाएगा ।

(iv) समाज और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में एक सेवा-पूर्व पाठ्यक्रम की योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(ख) अनुसंधान .

जब सम्पर्क विभाग, दिल्ली, की प्रार्थना पर दिसम्बर, 1961 में ग्राम रेडियो फोरम के कार्य का एक त्वरित सर्वेक्षण किया गया था । "मुखमेलपुर गाँव के लोगों की पढने की आदतों और रुचियो" के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले वर्ष, इस केन्द्र ने 'मेहरौली खण्ड के बच्चों की रहन-सहन की स्थितियो' का सर्वेक्षण करने में भारतीय शिशु कल्याण परिषद् का मार्गदर्शन करने और उसे सहायता देने का कार्य संभाला था । क्षेत्रीय-कार्य इसी वर्ष अप्रैल में पूरा किया जा चुका है ।

दिसम्बर, 1960 में, आकाशवाणी ने दिल्ली के टेलीक्लबों के बीस सदस्यों पर टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने का काम भारतीय वयस्क शिक्षा संघ के साथ-साथ इस केन्द्र को भी सौंपा था । तकनीकी कार्य के साथ-साथ अनुसधान प्रायोजना से सम्बन्धित सर्वेक्षण और अन्वेषण भी इसी केन्द्र द्वारा किया गया था । क्षेत्रीय कार्य पूरा किया जा चुका है और अनुसंधान प्रायोजना की रिपोर्ट तैयार हो रही है ।

निम्नलिखित अनुसंधान प्रायोजनाएं इस समय हाथ में हैं:

(i) सुखराली गाँव के लोगों की स्वास्थ्य विषय की आदतें

(ii) दिल्ली के कुछ गाँवों मे गुटबन्दियों के मामलों का अध्ययन

(iii) युवक क्लबों की सफलता या असफलता के कारण

(iv) नव साक्षरों की पुस्तकों का क्षेत्रीय परीक्षण

सन् 1962-63 के कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(i) "युवक क्लबों" और 'ग्राम के झगड़े' विषयक अनुसंधान प्रायोजनाएँ पूरी कर ली जाएगी । मुख्य अनुसंधान प्रायोजनाएं हाथ में ली जाएँगी, जिनमें से एक का सम्बन्ध साक्षरता पद्धति से होगा और दूसरी का दिल्ली का राज्य क्षेत्र मे वयस्क शिक्षा की आवश्यकताओं और सुविधाओं से ।

(ii) उक्त विषयो के सम्बन्ध मे छोटी-छोटी फिल्मे और अन्य दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार की जाएगी ।

(iii) समाज-शिक्षा के क्षेत्र मे विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाये निकाली जाएगी, जैसे -समाज शिक्षा की सकल्पना, साक्षरता कार्य, सामुदायिक विकास, आदि ।

(iv) लोकोपयोगी साहित्य के निर्माण की एक योजना हाथ मे ली जाएगी ।

राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान. इस सस्थान की गतिविधियों मे सेवा के दौरान प्रशिक्षण, अनुसधान, अप्रक्षेपित दृश्य साधनो ,प्रक्षेपित साधनो और श्रव्य साधनो का प्रदर्शन शामिल होगा ।

(क) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यो /केन्द्रीय मत्रालयो से आए हुए 33 प्रशिक्षार्थियो के लिए एक अल्पकालीन दृश्य-श्रव्य शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया गया था ।

प्रक्षेपण उपकरण को चलाने और उसके रख रखाव के लिए ग्राम सस्थानो से आए हुए प्रशिक्षणार्थियो के लिए दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण पाठ्य क्रम आयोजित किया गया था ।

इसके अलावा, चन्द दिनो से लेकर एक सप्ताह तक के कतिपय स्थानीय अल्प-कालीन पाठ्यक्रम आयोजित किये गए थे ।

(ख) यूनेस्को प्रादेशिक कर्मशाला:

यूनेस्को के सहयोग मे 15 दिसम्बर, 1961 से 31 जनवरी, 1962 तक अल्प-व्यय दृश्य साधनो के निर्माण विषयक एक प्रादेशिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । यूनेस्को की शिक्षावृत्ति पाने वाले दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के व्यक्तियों ने इसमे भाग लिया ।

(ग) अप्रक्षेपित दृश्य साधनों का निर्माण:

देश के माध्यमिक स्कूलो के लिए आदर्श अप्रक्षेपित सामग्री निर्माण के सपूर्ण कार्यक्रम के एक अग के रूप मे इस सस्थान ने विभिन्न शैक्षिक चार्ट, जैसे—"भारत में गेहूँ की उपज" "भारत मे चावल की उपज" और 'भारत में कपास की उपज' तैयार किये थे ।

शिक्षा मंत्रालय के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता मैत्री के लिए भी चार्ट और पोस्टर बनाए गए थे, जिनका उपयोग, क्रमशः उनके राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन के लिए और संगठन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था ।

एक अभ्यास किट, अर्थात्, 'भारत की खोज' यूनस्को के भारतीय राष्ट्रीय आयोग के लिए सम्बद्ध स्कूल प्रायोजना के उपयोगार्थ तैयार की गई थी।

भारतीय परिस्थितियो के उपयुक्त और अध्यापको एवं समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं की समस्याओ से सम्बन्धित आदर्श दृश्य साहित्य की पूर्ति की योजना के अग के रूप में 'फिल्म बोध' (फिल्म एसोशिएशन) पर एक निबन्ध आमन्त्रित किया गया था, जो जल्दी ही वितरित किया जायगा।

(घ) प्रक्षेपित साधनों का निर्माण:

"दिल्ली मे गणतन्त्र दिवस समारोह" और 'लोक नृत्यो' के सम्बन्ध में कई रगीन स्लाइड तैयार किए गए थे। 'दिल्ली के तुर्क-अफगान कालीन स्मारक' विषय पर एक फिल्म पट्टी बनाई गई थी।

समाज शिक्षा के कई कार्यक्रमों की फिल्में इस सस्थान मे बनाई गई थी, जो आकाशवाणी द्वारा टेलीविजन पर प्रस्तुत भी की जा चुकी है।

16 मिलीमीटर की एक 800 फुट लम्बी रगीन फिल्म 'रोगग्रस्त फेफड़ों की शल्या क्रिया (आपरेशन आफ डिसीज्डलंग्स) पर तैयार की गई हैं। फिल्म की कमेन्ट्री रिकार्ड की जा चुकी है और यह पूर्णतः तैयार फिल्म जल्दी ही प्रदर्शित की जायगी।

वर्ष के दौरान शुरू की गई पाच फिल्मे पूरी हो चुकी है। लगभग 16 फिल्मे फिल्म डिवीजन मे तैयार हो रही है।

(ङ) अनुसधान और सर्वेक्षण प्रायोजनाएं:

निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रायोजनाओ की रूपरेखा तैयार कर उन्हें हाथ में लिया गया है—

(1) सामुदायिक विकास खण्डो में दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग;

(2) विज्ञान साधन अध्यापन—एक सर्वेक्षण, और

(3) अध्यापन में फिल्मो और अन्य साधनो के प्रभाव का मूल्याँकन।

(च) केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय

वर्ष के दौरान 549 फिल्में और 265 फिल्म पट्टियाँ पुस्तकालय मे आई फलतः फिल्मो और फिल्म पट्टियों की कुल संख्या, क्रमशः, 4,895 और 1,855 तक पहुंच गई है। इसी अवधि में 10,044 फिल्मे और 210 फिल्म पट्टियाँ 1,512 सदस्यो को दी गई।

चलते-फिरते सिनेमा यूनिट ने 738 फिल्मे दिखाई और 132 नए सदस्य बनाए जिनसे कुल सदस्य संख्या 1,588 तक पहुँच गई है।

(छ) निरीक्षण और अभ्यास दौरे:

वर्ष के दौरान सैंतीस निरीक्षण किए गए। आगन्तुको मे शिक्षण-क्षेत्र के नेता, यूनेस्को की अधिछात्र, यूनेस्को सचिवालय के अधिकारी, अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के विद्यार्थीगण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामुदायिक विकास मत्रालय की विभिन्न शैक्षिक सस्थाओ के प्रशिक्षार्थी शामिल है।

(ज) 1962-63 **के कार्यक्रम की रूपरेखा :** विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षण और विभिन्न दृश्य-श्रव्य विषयों के लिए उपयोग में लाए जाने वाली दृश्य-श्रव्य सामग्री की किटो के विकास का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों के स्कूलो मे उपयोग के लिए अध्ययन किटों और एक स्वतः भारत सम्बन्धी किट के विकास का प्रस्ताव है। ये बड़े पैमाने पर कम लागत से बनाए जाते है।

विचारो और सूचना के प्रसारण में प्रदर्शनियों के महत्व और प्रभाव ने एक प्रदर्शन कोष्ठ खोलने की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया है। छोटी कम प्रदर्शनियों के विकास का भी एक प्रस्ताव है, जिनमें दृश्य-श्रव्य साधनों की प्रभावोत्पादकता और सादे एव कम-खर्चीले साधनो का प्रदर्शन किया जाए।

उच्च कोटि के साधनों के निर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से दृश्य-श्रव्य साधनो के प्राइवेट और वाणिज्यिक निर्माताओं को पुरस्कार देने की योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है।

चौदहवां अध्याय

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रमुख कार्य है अभिलेखों की प्राप्ति, उनका संवार सुधार और परिरक्षण, अनुसंधान और तकनीकी सेवा तथा प्रशिक्षण और प्रकाशन। आलोच्य वर्ष में इन सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई।

2. **प्राप्ति**—अभिलेखों के सूचकों के वर्तमान क्रमों में रहे हुए रिक्त स्थानों मे से कुछकी पूर्ति विभिन्न मंत्रालयों से आए नए अभिलेखों से हुई। भूतपूर्व गवर्नर जनरल सचिवालय के सुधार पत्रों सम्बन्धी सूचना को प्राप्त करने और उसको इस विभाग की अभिरक्षा में लेकर रखने की दिशा में भी काफी कार्य हुआ।

खरीदकर या उपहार के रूप में काफी संख्या में ऐसे पुरालेख या ऐतिहासिक प्रलेख प्राप्त किए गए जो अब तक गैर सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं के पास थे। वैज्ञानिक देखभाल और परिरक्षण के द्वारा इन प्रलेखों को नया जीवन दिया गया। आलोच्य वर्ष में हुई इस प्रकार की प्राप्तियों में इनायत जंग के संग्रह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं इसमें दक्षिण के सत्रहवीं शताब्दी और अठारहवीं शताब्दी के आरंभ काल के प्रशासन संबंधित शाही मुगल पुरालेख हैं। प्राप्त की गई अन्य महत्वपूर्ण सामग्री में विशेष उल्लेखनीय ये हैं:—प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब के पत्र व्यवहार की एक संग्रह पुस्तक और डा० ना० भा० खरे के निजी पुरालेखों में से प्राप्त प्रलेखों का एक संग्रह। इन पुरालेखों में से अधिकांश डा० खरे द्वारा इस विभाग को उपहार स्वरूप दिए गए हैं।

इस वर्ष में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के सन् 1759 से 1794 तक के काल से संबधित अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियों की 156 रीलें और लार्ड डफरिन के भारत के वाइसराय रहने के काल से (सन् 1884 से 88 तक) संबंधित कागजों की 46 रीलें विदेशी संग्रहालयों से, प्राप्त की गईं। डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के सन् 1794-96 काल के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मों और मेयो के कागजात, मिन्टों के कागजात और फाउलर के कागजातों की माइक्रो फिल्म के प्रतिलेखों को केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, स्काटलैंड की नेशनल लाइब्रेरी और लंदन की कामनवेल्थ रिलेशन्स आफिस लाइब्रेरी से प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई।

विभाग के पुस्तकालय में 585 पुस्तकें प्राप्त हुईं जिनमें से कुछ अठारहवीं शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुई थी। इनके अतिरिक्त गेहूं ऋण कार्य-

क्रय के अंतर्गत इतिहास की भी 38 पुस्तकें प्राप्त हुईं। जिनमे से अधिकाश भारत और एशिया के इतिहास की हैं।

3. **अभिलेखों की जांच और व्यवस्था, सूची-निर्माण कार्य**—इस विभाग में जो अभिलेख पहले से ही मौजूद है तथा जो नई प्राप्तियाँ हुई हैं उन सबकी जाँच करने और उन्हें व्यवस्थित ढग से रखने के कार्य की दिशा मे भी प्रगति अच्छी रही।

4. **अनुसंधान और संदर्भ सेवा**—148 शोधकर्त्ताओं को मूल अभिलेख पढने की सुविधाएं दी गयी और उनके लिए अपेक्षित मार्गदर्शन और शोध-सामग्री की भी व्यवस्था की गयी। इन शोधकर्त्ताओं में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और नैपाल आदि देशों के शोधकर्त्ता भी शामिल थे। इन शोधकर्त्ताओं के लिए अभिलेखो की टाइप की हुई 12,000 पृष्ठों की सामग्री, 5049 फोटोस्टेटिक प्रतियाँ और 29,785 नेगेटिव एक्सपोजर, तथा 120 मीटर पाजीटिव प्रिन्ट, आदि सामग्री उपलब्ध की गई। आलोच्य वर्ष में इस विभाग ने विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक विषयों से सम्बन्धित पूछताछों के उत्तर दिये गये। इस प्रकार की पूछताछ भारी संख्या में की गई और इसके उत्तर के लिए प्राय: काफी समय अभिलेखों की खोजबीन करनी पड़ी।

5. **परिरक्षण और फोटोलिपिकरण**—1859 से पूर्व काल के अभिलेख के 2,30,000 नेगेटिव प्रिंट इस विभाग ने तैयार किये। इनमें इनसे दुगने हस्तलिखित पृष्ठ आ गए हैं। इसके अतिरिक्त 10,000 फोटोस्टेट प्रतियाँ, 6,200 परिवर्द्धित प्रिंट, और 4,250 मीटर पाजीटिव प्रिंट तैयार किए गये। लगभग 13,650 मीटर माइक्रो-फिल्म धोई गई और 450 रीलों की जांच की गई। विभाग ने "देशी समाचार पत्रों पर रिपोर्ट, को माइक्रो फिल्म करने के कार्यक्रम को भी हाथ में लिया। भारतीय भाषाओं के पुराने समाचार पत्रों से, जिनमें से अधिकांश अब बन्द हो गये हैं, उद्धरण लेने के लिए यह सरकारी उपक्रम था। प्रलेखों की लगभग 1,55,000 शीटों पर पारदर्शी परतें (लेमिनेशन) चढ़ाई गईं और 2,600 जिल्दें बाँधी गईं। 1,032 नक्शों की मरम्मत की गई और उन्हें मढ़ा गया।

6. **अनुसंधान प्रयोगशाला**—मरम्मत करने की सामग्री का आजकल विदेशो से आयात होता है। जैसे, हाथ से बना कागज, टिसू कागज, जिल्द बांधने का कपड़ा आदि। इनके स्थान पर उपयुक्त देशी सामग्री की खोज के लिए परीक्षण जारी रहे। जो संस्थाएं इस विषय में परामर्श चाहती थी उन्हें परामर्श दिये गये। सरकारी अभिलेख कक्षों मे समान्यत. जिन कीटनाशकों और धूमायकों का प्रयोग होता हैं उनके बारे में भी प्रयोगशाला मे परीक्षण किये गये। परीक्षणों की रिपोर्ट तैयार हो रही है।

7. **तकनीकी सेवा**—गाँधी स्मारक निधि, राजा लाइब्रेरी, रामपुर आदि बहुत सी संस्थाओं और व्यक्तियो को जीर्णोद्धार, जिल्द बांधने और फोटो प्रतिलिपिकरण के

मामलों में निःशुल्क सेवाएं दी गईं। इन संस्थाओं और व्यक्तियों के पास जो मूल प्रलेख थे उनकी फोटोप्रतियां इस विभाग मे रखे जाने की अनुमति उन्होने दे दी। यह अनुमति उन्होने सरकार द्वारा की गई एक अपील के फलस्वरूप दी। नेपाल में भारतीय सहायता मिशनकी एक प्रायोजना के अन्तर्गत इस विभाग का चलता फिरता माइक्रोफिल्म यूनिट कर्मचारियों और उपस्करों के साथ काठमांडू भेजा गया ताकि वह वीर लाइब्रेरी मे रखी हुई दुष्प्राप्य पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्मे लेने मे नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद कर सकें। राजस्थान के अभिलेखागार के निदेशक को भंगुर प्रलेखों के एक बहुत बड़े संग्रह के फोटो प्रतिलिपिकरण के कार्य में सहायता देने के लिए चलते फिरते माइक्रोफिल्म यूनिट की सेवाएं दी गईं।

8. **सलाह कार्य**—अभिलेखों के संवार-सुधार और परिरक्षण के बारे मे 45 सस्थाओ को तकनीकी सलाह दी गई। इन संस्थाओ में कुछ विश्वविद्यालय और भारत सरकार के कार्यालय भी शामिल हैं।

9. **प्रशिक्षण और शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलाप**:—9 प्रशिक्षार्थियों ने, जिनमें दो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामित किए गए थे, अभिलेखपालन का एक वर्ष का सनद (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके अतिरिक्त 1 सितम्बर 1961 से आरम्भ होने वाले पाठ्यक्रम में सात प्रशिक्षार्थियो के नए दल को भर्ती किया गया। इस दल मे मलाया सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति तथा राज्य सरकारों द्वारा नामित तीन व्यक्ति शामिल हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी एजेन्सियों के नामित व्यक्तियों के लिए अल्प अवधि के प्रशिक्षण क्रम की भी विशेष व्यवस्था की गई।

विभाग के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखागार के निदेशक ने राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी मे 'पूरा लेख विज्ञान' विषय पर व्याख्यान दिए तथा दिल्ली के हिन्दू कालेज की इतिहास समिति मे 'ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याएं' विषयो पर वार्ता की। सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली में भी प्रशिक्षार्थियों को 'पुरालेख प्रशासन और पुरालेख परिरक्षण" विषय पर व्याख्यान दिए गए।

10. **प्रदर्शनी**—भारत के महान् गणितवेत्ता एस० रामानुजम् के जीवन और कार्यों से सम्बन्धित दस्तावेजों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी को जनता ने बहुत पसन्द किया। इसके अतिरिक्त इस विभाग ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया। भारत के ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के 36 वें अधिवेशन के अवसर पर चण्डीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऐतिहासिक प्रदर्शनी; रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में और कलकत्ते में हुई टैगोर शताब्दी प्रदर्शनी में; और विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा आयोजित उर्दू समाचार पत्रों और पुस्तकों की प्रदर्शनी।

11. **प्रकाशन :**—इस वर्ष कई ग्रंथ प्रकाशित किए गए। इनमें से विशेष महत्वपूर्ण ये हैं : (नागपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित) एलफिन्सटन के पत्र (1804-08) संस्कृत के ताम्र पत्रों का वाचन-शोध आदि, भारत के एतिहासिक अभिलेख आयोग की कारवाई- खंड 36, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की वार्षिक रिपोर्ट 1959, और फोर्ट विलियम और इंडिया हाउस का पत्र व्यवहार विभाग की पत्रिका "इंडियन आरकाइन्स" के खंड 12 के छपकर आने की प्रतीक्षा है तथा खंड 13 छपने को देने के लिए तैयार कर लिया गया है। 1960 की वार्षिक रिपोर्ट और 'सिलेक्शन्स फ्राम एजुकेशनल रिकार्ड्स' खंड 2, भी प्रकाशन के लिए तैयार किए गए। आक्टरलानी के कागजों की सामग्री तैयार करने और अभिलेख विषयक विधि निर्मात्री समिति की रिपोर्ट की छपाई की दिशा में भी प्रगति हुई। आक्टरलानी के कागजों का संपादन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम० के० सिन्हा करेंगे।

"आर्काइन्स एंड रिकार्डस-व्हाट आर दे" नामक पुस्तिका की जनता द्वारा मांग किए जाने पर इसका दूसरा संस्करण निकालने के लिए भी कार्य किया गया।

12. **विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से सहयोग :**—भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद को प्रथम एशियाई इतिहास कांग्रेस आयोजित करने मे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अपना शताब्दी समारोह मनाने में तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को भारतीय इतिहास कांग्रेस के 24वें अधिवेशन का आयोजन करने में, इस विभाग द्वारा सक्रिय सहायता दी गई। भारतीय समाचार पत्रों की पुरानी फाइलों की माइक्रोफिल्म बनाने की योजना तैयार करने में राष्ट्रीय लाइब्रेरी कलकत्ता के साथ भी इस विभाग ने सहयोग किया। व्यक्तियो/संस्थाओ के निजी संग्रहों के ढेरों के रूप में समाचार पत्रों की ये पुरानी फाइले बिखरी थी। भारतीय मानक संस्था और सांस्कृतिक सामग्री के अध्ययन और परिरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के कुछ कार्यकलापों मे भी इस विभाग ने हाथ बंटाया।

13. **सलाहकार निकाय और समितियां :**—भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख का 36वां अधिवेशन चण्डीगढ़ में 25 और 26 फरवरी, 1961 को भारत के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। इसमें सारे देश के विद्वानों, इतिहासज्ञों, अभिलेखविदों और पुराविद्या विशारदों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया पुरालेखों के प्रशासन, संगठन और परिरक्षण से गहन सम्बन्ध रखने वाली अनेक समस्याओं पर आयोग ने चर्चा की। आयोग की अनुसंधान और प्रकाशन समिति की 31वीं बैठक भी चण्डीगढ़ में 26 फरवरी, 1961 को भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में हुई। इसमें वर्षभर में देश में हुए पुरालेख विषयक क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय अभिलेख रजिस्टर की सलाहकार समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में अगस्त 1961 में हुई, विविध व्यक्तियों ने भारत में और

विदेशों में जो निजी पुरालेख और ऐतिहासिक प्रलेख बिक्री के लिए प्रस्तुत किए हैं, उनका परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक प्रलेखों क्रय समिति की बैठके इस वर्ष में दो बार हुई । अनेक पुरालेखो और प्रलेखों को खरीदने के बारे मे इन बैठकों मे सिफारिशे की गईं ।

अभिलेख विधायक समिति ने जो अगस्त 1959 मे बनाई गई थी, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दिसम्बर 1960 में पेश कर दी । अन्य बातो के साथ-साथ इस समिति ने केन्द्र और राज्यो में पुरालेखों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए विधान की सिफारिश की है । यह रिपोर्ट राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों और अन्य इच्छुक निकायों को भेजी गई है और समिति की सिफारिशों पर उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं । आशा की जाती है कि यह रिपोर्ट शीघ्र ही छपकर सर्वसाधारण को प्राप्त हो सकेगी ।

14. **स्थान**—राष्ट्रीय अभिलेखागार के वर्तमान भवन में स्थान की कमी के कारण बहुत से अभिलेख अभी बाहर ही पड़े हुए हैं । उनको रखने के स्थान की समस्या सुलझाने के लिये तीसरी आयोजना के अन्तर्गत एक उप-भवन के निर्माण की योजना शामिल की गई हैं । इस प्रस्तावित उप-भवन का निर्माण कार्य कई अवस्थाओं में बांट कर किया जायगा । प्रथम अवस्था में होने वाले कार्य मे "स्टेक विंग" आता है जिसके लिए 28.77 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं । वर्तमान भवन को वातानुकूलित करने की व्यवस्था का कार्य, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया है ।

15. **प्रादेशिक कार्यालय, भोपाल**—भोपाल की भूतपूर्व सरकार से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी जाच करने, उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने और उनकी सूची बनाने का सामान्य कार्य इस वर्ष भी जारी रहा । इस अभिलेख के परिरक्षण और रखरखाव के लिए भी उपाय किए गए । इस कार्यालय में रखे अभिलेख को पढने के कार्य में सरकारी और गैर-सरकारी शोधकर्त्ताओ की सहायता की गई । कार्यालय के परिसर मे जो राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए प्रलेखों की प्रदर्शनी है, उसकी लोकप्रियता जारी है ।

16. **सन 1962-63 का कार्यक्रम**—इस विभाग की अभिरक्षा में जो अभिलेख और पुस्तकें हैं उनकी जांच करने, सूची बनाने, और उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने के कार्य पर तथा विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों के पास जो पुरालेख सामग्री है उसकी जानकारी सम्बन्धी सूची बनाने के कार्य पर इस विभाग द्वारा विशेष जोर दिया जाएगा । अभिलेख विषयक विधि निर्मात्री समिति की जिन सिफारिशों को सरकार मान लेगी उनको कार्यान्वित करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा । विदेशी संग्रहालयों मे जो भारत के लिए उपयोगी प्रलेख है उनकी माइक्रोफिल्म प्रतिलिपियां प्राप्त करने के कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाने के लिए भी विभाग प्रयत्न करेगा । गैर सरकारी व्यक्तियो/संस्थाओं के अभि-

रक्षण में जो महत्वपूर्ण पुरालेख संग्रह हैं उनके बारे मे पूरी जानकारी प्राप्त करने और उनका वैज्ञानिक ढंग से सज्जित संग्रहालयों में स्थानान्तरण करने के लिए भी विभाग यत्न करेगा ।

गुप्त विभाग के अभिलेखो की (1781-83 तक की अवधि की) अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी और उसकी विवरणात्मक सूची बनाने के काय में शीघ्रता की जाएगी। अवध की मोहरों के सूचीपत्र तैयार हो जाने की भी आशा है। अगले वर्ष के प्रकाशन कार्य में जो लक्ष्य रखे गए है उनमें से कुछ ये हैं—"सिलेक्शन फ्राम एजुकेशनल रिकार्डस" माला का खण्ड 2, "फारसी पत्र व्यवहार के सूचक" का एक खण्ड, फोर्ट विलियम और इंडिया हाऊस पत्र व्यवहार माला के तीन खण्ड, "इन्डियन आर्काइव्स" पत्रिका के दो अंक, और वार्षिक रिपोर्ट का एक अक। इसके अतिरिक्त, "सिलेक्शन्स आफ एजुकेशनल रिकार्डस" खण्ड 3 के लिए सामग्री का संकलन कार्य समाप्त हो जाएगा। फोर्ट विलियम और इन्डिया हाऊस पत्र व्यवहार माला के दो नए खंड तथा फारसी के ऐतिहासिक प्रलेखों के सूचीपत्र के एक खण्ड की प्रेस कापियाँ तैयार कर दी जाएंगी।

अगले वर्ष में यह विचार है कि इस विभाग में नीचे लिखे कार्य किए जाएं—जो प्रलेख बिल्कुल ह्रास की अवस्था में है उनकी तेजी से मरम्मत की जाए, ऐसे प्रलेखों को उपयुक्त अल्मारियों आदि मे रखा जाये ताकि उनकी हिफाजत होती रहे, उनकी माइक्रोफिल्म प्रतियाँ तैयार की जाएं, भारतीय समाचार पत्रों की रिपोर्टों की माइक्रोफिल्म प्रतियाँ बनाने के कार्य को आगे बढाया जाए, उपभवन के निर्माण कार्य को आरम्भ किया जाए, जनसम्पर्क विषयक क्रिया कलापों को बढ़ावा दिया जाए और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि के साथ सहयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए, पुरालेख और इतिहास सम्बन्धी विषयों पर जनप्रिय नई व्याख्यान मालाएँ आयोजित की जाएं, पुरालेख विषयक जनप्रिय साहित्य को प्रकाशित कराया जाए और अभिलेखों की प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं।

प्रादेशिक कार्यालय भोपाल अपने सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त सैनिक विद्रोह संबंधित कागजों की विवरणात्मक सूची की अनुक्रमणिका भी तैयार करेगा।

17. **बजट**—वर्ष 1961-62 के लिए (आयोजनागत, आयोजनेतर और राष्ट्रीय रजिस्टर की योजनाओं के अनुदानों सहित) 14,08,000 रुपये की निधि इस विभाग को, इसके प्रादेशिक कार्यालय भोपाल को तथा प्रस्तावित प्रादेशिक कार्यालय, हैदराबाद को सौंपी गई थी जबकि वर्ष 1960-61 के लिये 13,09,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1962-63 के बजट प्राक्कलन मे इसके लिए 15,28,100 रुपये की निधि निर्धारित की गई है।

अनुबन्ध-1

शिक्षा मन्त्रालय में काम करने वाले सलाहकार मण्डल

क्रम संख्या	मंडल का नाम	स्थापना का वर्ष	1961-62 में हुई बैठकों की सख्या
1.	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल	1935	एक
2.	यूनेस्को के साथ, सहयोग के लिये भारत का राष्ट्रीय आयोग (इंडियन नेशनल कमीशन फार कोआपरेशन बिद यूनेस्को)	1949	एक भी नही
3.	शिक्षा मंत्री सम्मेलन	1949	एक भी नही
4.	समाज कल्याण सलाहकार मंडल	1950 (1954 मे पुनर्गठित)	मंडल द्वारा बनाई गई प्रवर समिति की एक बैठक हुई।
5.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग [वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली मंडल जो 1950 से काम कर रहा था उसी के स्थान पर इस आयोग की स्थापना हुई।]	1960	तीन
6	केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन मंडल	1950 [1961 में पुनर्गठित]	एक
7.	हिन्दी शिक्षा समिति	1951	एक
8.	राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा मंडल (नेशनल बोर्ड आफ आडो-विजुअल एजुकेशन)	1953	एक
9.	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद (आल इंडिया कौंसिल फार स्पोर्टस)	1954 [1961 मे पुनर्गठित]	पाँच
10.	राष्ट्रीय विकलांग शिक्षा सलाहकार परिषद (नेशनल एडवाइजरी कौंसिल फार दि एजूकेशन आफ दि हैण्डीकैप्ड)	1955	एक

11. अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	1955	एक भी नहीं
12. राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद्	1956	एक
13. केन्द्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान समिति (अब इसे बढ़ाकर दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद् बनाने का विचार है)	1957	—
14. अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (आल इण्डिया कौंसिल फार एलीमेंटरी एजूकेशन)	1958	—
15. बाल साहित्य समिति (चिल्ड्रेन्स लिटरेचर कमेटी)	1959	दो
16. राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद्	1959	दो
17. केन्द्रीय संस्कृत मंडल	1959	चार
18. राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा मंडल	1962	एक भी नहीं

अनुबंध २

सामान्य शिक्षा की योजनाओं के लिए प्रस्तावित खर्च का ब्योरा—तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का अन्तिम रूप

राज्य प्रशासन	प्रारम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	विश्वविद्यालय शिक्षा	दूसरी शिक्षा योजनाएं	योग
राज्य			(रुपये लाखों की संख्या मे)		
आंध्रप्रदेश	1193.66	557.96	206.50	97.88	2056.00
असम	945.00	218.50	85.00	85.00	1333.59
बिहार	1943.00	714.00	537.00	164.56	3358.56
गुजरात	849.11	336.86	164.72	70.84	1421.53
जम्मू और कश्मीर	194.58	93.72	54.60	32.10	375.00
केरल	723.18	480.94	119.00	108.25	1431.37
मध्य प्रदेश	1749.73	537.52	314.00	87.25	2688.50
मद्रास	1800.00	609.01	56.00	77.98	2542.29
महाराष्ट्र	1340.48	538.79	330.21	115.45	2324.93
मैसूर	1062.21	307.64	150.00	81.87	1601.72
उड़ीसा	1079.17	214.41	144.99	66.43	1505.00
पंजाब	870.96	512.42	267.68	125.94	1777.00
राजस्थान	1046.75	375.00	243.25	85.00	1750.00
उत्तर प्रदेश	3387.74	823.17	573.18	219.45	5003.54
पश्चिमी बंगाल	1304.09	638.97	573.06	298.79	2814.91
योग (राज्य)	19489.66	6958.91	3819.19	1716.79	31984.55

प्रशासन					
अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह	37.41	14.00	2.50	2.85	56.76
दिल्ली	616.48	480 65	–	46.45	1143.58
हिमाचल प्रदेश	109.44	62 51	22.70	8.12	202.77
लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	10.66	6.80	0.35	1.02	18.83
मणिपुर	58.77	39.06	33.50	8.50	109.83
नेफा	47.93	31.68	1.97	0.79	82.37
नागालैंड	66.21	20.66	9.27	0.32	96.46
पाण्डुचेरी	50.64	46.50	22.23	17.90	137.27
त्रिपुरा	149.60	42.40	20.10	18.68	230.78
योग (प्रशासन)	1147.14	744.26	82.62	104.63	2078.65
कुल योग	20636.80	7703.17	3901.81	1821.42	34063.20
प्रतिशत	60.55	22.62	11.45	5.38	100.00

अनुबंध ३

हिन्दी के विकास के लिये काम करने वाले व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित व्यक्तियो और स्वैच्छिक संगठनो को अनुदान दिये गये। अनुदान के उद्देश्य, व्यक्तियो तथा संगठनो के नामों के सामने अलग-अलग दिये गये है।

क्रम संख्या	संगठन का नाम	रकम	अनुदान का उद्देश्य
1.	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	29,572	हिन्दी की श्रीवृद्धि और प्रचार
2.	हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई	7,920	हिन्दी का प्रचार व विकास
3.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेंद्रम	4,200	त्रिवेंद्रम स्थित हिन्दी पुस्तकालय के लिए फर्नीचर और पुस्तकें खरीदने के लिए
4.	कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, धारवार	12,345	1. हिन्दी कक्षाये और हिन्दी पुस्तकालय चलाना
		2,400	2. हिन्दी नाटक अभिनीत करने के लिए
5.	विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर	6,600	हिन्दी पुस्तकालय के लिए, प्राचीन हिन्दी पाण्डुलिपियो का संकलन व व्याख्यानो एवं नाटको का आयोजन सम्पादन और
6.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	11,500	1. असम में अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा प्रचार सम्मेलन के दसवें अधिवेशन के लिए। 2. केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये पुस्तकें खरीदने और हिन्दी अध्यापको के प्रशिक्षणार्थ। 3. साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए।

7. बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई	6,300	1. हिन्दी पुस्तकालय के लियें पुस्तक खरीदने के लिये 2. राष्ट्रभाषा शिविरो के लिये 3. प्रतियोगितायें, पुरस्कार व दूसरे सास्कृतिक कार्यों के लिए
8. इंस्टीयूशन आफ इंजीनियर्स (भारत) कलकत्ता	500	सस्थान के श्री बालेश्वर नाथ को 1960-61 का राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिये
9. नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	10,000	1. प्राचीन पाण्डुलिपियो की खोज 2. फोटोस्टैट मशीने 3. पुरानी पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने और उनकी जिल्दसाजी के लिये
10. संसदीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली	13,922 7,356 1,440	हिन्दी का प्रचार और विकास
11. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना	5,400	वही
12. गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद	5,400	पुस्तकालय के लिये फर्नीचर और किताब खरीदना, राष्ट्रभाषा शिविर और प्रतियोगिताएं व पुरस्कार।
13. केरल ग्रंथशालासंगम, त्रिवेंद्रम	30,660	1. 50 पुस्तकालयों में हिन्दी खंड आरम्भ करना। 2. पुस्तकालयाध्यक्षो को भत्ते देना 3. हिन्दी दिवस मनाने के लिये 4. पत्रिका में हिन्दी खड जोड़ने के लिये।
14. विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	6,240	1. केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये फर्नीचर और पुस्तकें 2. राष्ट्रभाषा शिविर 3. प्रतियोगिता, पुरस्कार व दूसरे सांस्कृतिक कार्य
15. असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गौहाटी	43,500	1. प्रचार विद्यालय व केन्द्रीय पुस्तकालय मे सुधार के लिये

		2 ग्राम पुस्तकालयो के विकास व हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशनार्थ ।
16. श्री लक्ष्मीनाथ झा, कलाकार (बिहार)	8,000	'मिथिला की लोककला' नामक पुस्तक के प्रकाशनार्थ यह धनराशि शिक्षा-मंत्री की विवेक अनुदान से दी गई ।
17. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास	15,000	1. हिन्दी नाटको का अभिनय करने के लिये । 2. हिन्दी वक्ताओं और कवियो के व्याख्यान आदि के लिये । 3 केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय मे वृद्धि करने के लिये
18. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना	3,000	पूना स्थित केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय के विकास के लिये
19. मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति बगलौर	20,000	स्कूल की इमारत बनाने के लिये
20. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, आंध्र, हैदराबाद	10,000	कार्यालय भवन के निर्माण के लिये ।
21. संसदीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली	5,916	'देवनागर' पत्रिका के प्रकाशन के लिये
22. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (केरल) एर्नाकुलम	5,400	निःशुल्क हिन्दी कक्षाये चलाने और हिन्दी शार्टहैंड व टाइप की कक्षायें चलाने के लिये ।
23. सचिव, इंस्टीट्यूट आफ इजीनियर्स (भारत कलकत्ता)	2,000	सस्थान की पत्रिका के हिन्दी खंड को परिवर्तित रूप में प्रकाशित करवाने के लिये ।
24 दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	4,000	सिंधी पाठ्यपुस्तकें देवनागरी लिपि मे प्रकाशित कराने के लिये ।
25. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई	3 096	हिन्दी प्रचार के खर्च, जिसमें प्रचार पुरस्कार भी शामिल हैं ।
26. अद्वैतआश्रम, अल्मोड़ा द्वारा अद्वैत आश्रम, कलकत्ता	5,000	स्वामी विवेकानन्द का सम्पूर्ण साहित्य प्रकाशित कराने के

अनुबन्ध 4

आलोच्य वर्ष में शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

1. तीसरी पंचवर्षीय आयोजना और शिक्षा–एक परिसंवाद ।
2. इंडियन जर्नल आफ एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रिसर्च, विंटर—1960 (शिक्षा-प्रशासन और अनुसंधान का भारतीय जर्नल-शीतऋतु—1960)
3. शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1960–61 (अंग्रेजी संस्करण)
4. शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट–1960-61 (हिन्दी सस्करण)
5. शिक्षा मंत्रालय के कार्यो का सक्षिप्त विवरण 1960-61 (अंग्रेजी सस्करण)
6. शिक्षा मंत्रालय के कार्यो का सक्षिप्त विवरण 1960 61 (हिन्दी संस्करण)
7. विकलागो की शिक्षा और कल्याण–1960 61 की रिपोर्ट (अंग्रेजी सस्करण)
8. विकलागो की शिक्षा और कल्याण 1960-61 (हिन्दी सस्करण)
9. यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग-चौथे सम्मेलन की कार्यवाही
10. प्रारम्भिक स्कूलो की अवर कक्षाओ और किडरगार्टन कक्षाओं के बुनियादी शिक्षा सिद्धातो की व्याख्या (हिन्दी सस्करण)
11. समाज कल्याण—1960-61 की रिपोर्ट
12. समाज-शिक्षा 1960-61 की रिपोर्ट
13. विकलांग व्यक्तियो को भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां ।
14. 'यूथ' शीतऋतु 1960
15. विकलांग व्यक्तियो के लिये रोजगार ।
16. इंडियन जर्नल आफ एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रिसर्च, बसंत, 1961
17. रूरल इंस्टीट्यूट्स (ग्रामसंस्थान) एक सचित्र पुस्तिका
18. दि एजूकेशन क्वार्टर्ली-बसन्त 1961
19. यूनेस्को के महा सम्मेलन के ग्यारहवे अधिवेशन मे गये हुए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट ।
20. दिल्ली मे शिक्षा सम्वन्धी सुविधाओ के विस्तार की रिपोर्ट ।
21. राज्य शिक्षा-सचिवों और जन शिक्षा निदेशकों का सम्मेलन—शिक्षा मंत्री डा० कालूलाल श्रीमाली का उद्घाटन भाषण ।
22. भारतीय शिक्षा-मत्रालय—1960-61 मे शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की रिपोर्ट जुलाई 1961 मे जेनेवा मे हुए जनशिक्षा के 24 वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत ।
23. 1961–62 के लिए यूनेस्को का स्वीकृत कार्यक्रम और बजट-चौथा अध्याय—पूर्वी और पाश्चात्य सास्कृतिक मूल्यो की पारस्परिक गुणग्रहिता
24. ग्राम-संस्थानों मे मूल्याकन ओर परीक्षा

25. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
26. इंडियन जर्नल आफ एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च—ग्रीष्म ऋतु, 1961
27. 'यूथ' बसंत 1961
28. वेस्टेज एण्ड रिटार्डेशन इन एजूकेशन—आर० एस० चितकारा
29. पुस्तकालय-सलाहकार समिति की रिपोर्ट (पुनर्मुद्रित संस्करण)
30. भारत मे अध्ययन करने के लिये भारत सरकार की छात्रवृत्तिया।
31. शारीरिक कुशलता आन्दोलन की राष्ट्रीय आयोजना हिन्दी सस्करण)
32. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो के अध्यापको के बच्चो के लिये भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तिया
33. उपकुलपति सम्मेलन की कार्यवाही 1960
34. भारत मे प्राथमिक विद्यालयो के अध्यापको की शिक्षा-पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट।
35. सातवा अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह (सोवेनियर ग्रन्थ)
36. रेडियो इन स्कूल एजूकेशन—सी० एल० कपूर
37. राष्ट्रीय सेवा योजना (नेशनल सर्विस स्कीम)—के० जी सैयदैन
38. यूथ परिशिष्टाक, भाग v संख्या 2—ग्राम उच्चतर शिक्षा
39. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियो के रहन-सहन की स्थिति का सर्वेक्षण: एक रिपोर्ट
40 दि एजूकेशन क्वार्टरली—ग्रीष्म ऋतु, 1961
41. युवक-प्रचार (फोल्डर)
42. स्कूल एण्ड कम्यु निटी (विद्यालय और समुदाय)
43. यूनेस्को का स्वीकृत बजट और कार्यक्रम 1961-62, पहला अध्याय-शिक्षा
44. राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आदोलन 1961-62
45. फर्स्ट इयर बुक आफ एजूकेशन-भारत मे शिक्षा की समीक्षा (1947-61)
46. 'यूथ' ग्रीष्म, 1961
47. इम्प्लायमेट फार दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड (संशोधित संस्करण)
48. फोल्डर दि फर्स्ट नेशनल एग्जीविशन आन दि ट्रेनिग एण्ड एम्प्लायमेंट आफ दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड
49. दि ब्लाइण्ड कैन् सी
50. प्रौढ़-अंधों का प्रशिक्षण केन्द्र-विवरण पुस्तिका
51. कैटलाग आफ ब्रेल पब्लि केशन्स (ब्रेल प्रकाशनों की सूची)
52. रीडिंग इंट्रेस्टस आफ दि न्यू रीडिग पाब्लिक एण्ड जुवेनाइल रीडर्स इन हिन्दी।
53. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल की 28 वी वैठक की कार्यवाही
54. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल की 29 वी बैठक में शिक्षा मंत्री डा० काललाल

श्रीमाली का अध्यक्षीय भाषण ।

55. ग्राम उच्च शिक्षा पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की रिपोर्ट
56. दूसरा राष्ट्र मण्डल शिक्षा सम्मेलन, नई दिल्ली, 1962—डा० कालूलाल श्रीमाली का अध्यक्षीय भाषण
57. राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद्-द्वारी वार्षिक रिपोर्ट (1960-61)
58. दूसरा राष्ट्र मण्डल शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रम (जनवरी 11-25, 1962)
59. दूसरा राष्ट्र मण्डल शिक्षा सम्मेलन-प्रतिनिधियो के लिए सामान्य जानकारी
60. दूसरा राष्ट्र मण्डल शिक्षा सम्मेलन-सोवेनियर
61. रूरल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया-लेखक शामनारायण
62. 1961-62 के लिये यूनेस्को का बजट और कार्यक्रम, दूसरा अध्याय-प्राकृतिक विज्ञान
63. शिक्षा सचिवो और जन-शिक्षा निदेशको के सम्मेलन की कार्यवाही
64. हू इज हू—दूसरा राष्ट्र मण्डल शिक्षा सम्मेलन
65. दूसरे राष्ट्र मण्डल शिक्षा सम्मेलन की रिपोर्ट
66. समग्र शिक्षा आयोजना पर क्षेत्रीय परिसवाद (29 जनवरी से 23 फरवरी 1962 तक) शिक्षा सचिव श्री पी० एन कृपाल का उद्घाटन भाषण ।
67. इंडियन जर्नल आफ एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रिसर्च-शरद अंक, 1961
68. बाल साहित्य पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता ।
69. प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के ढांचे पर ढालने के लिये राष्ट्रीय सेमिनार की रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
70. दि एजूकेशन क्वार्टरली-शरद, 1961
71. भावनात्मक एकता समिति-आरम्भिक रिपोर्ट
72. शिक्षा मन्त्रालय के कार्यो का संक्षिप्त विवरण 1961-62 (अंग्रेजी संस्करण)
73. शिक्षा मन्त्रालय के कार्यो का संक्षिप्त विवरण (हिन्दी संस्करण)
74. दि मीडो स्कूल ऐक्स्पेरिमेन्ट इन एजूकेशन, ले० तारावाई मोदक
75. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार (1961 के संस्करण का पुनर्मुद्रण)

———